लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १-४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१-७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५-१३८

अंक २--बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३--गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . . २५४—६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—९२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ से २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ और २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ से २९६, २९८, २९९, ३०२ और ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २६६, २६८ से २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . . स्तम्भ ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ . . . ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७--८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . ९८४—१०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५९, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०९१, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०७९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा वाद-विवाद

(भग १—प्रश्नोउत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

—

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सुबोध हासदा (मिदना पुर—झाड़ ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) ।

—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे के सलीपर

*५०६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चनाब नदी में भारतीय क्षेत्र से २ लाख से अधिक लकड़ी के सलीपर पाकिस्तान में बह गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार का अनुमान है कि ६०,०००से ७०,००० तक सलीपरों की हानि हुई है ।

(ख) कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सब सलीपर ठेकेदारों के थे या उन में से कुछ सरकार के भी थे ?

डा० काटजू : श्रीमान, मैं नहीं जानता ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस प्रकार सलीपर प्राप्त करने में दूसरी नदी रावी ने भी पाकिस्तान की कोई सहायता की ? रावी नदी में भी वे बह गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या रावी नदी पाकिस्तान की सहायता कर रही है ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई सलीपर रावी नदी में भी बह गये थे ?

डा० काटजू : मुझे जानकारी नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पाकिस्तान से कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप स कोई ऐसा करार हुआ है अथवा कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय है कि किसी देश द्वारा इस प्रकार प्राप्त हुआ माल उस के असल मालिक को लौटा दिया जाये ?

डा० काटजू : ऐसे विस्तृत प्रश्नों के लिये मझे पूर्व सूचना चहिये ।

भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय झगड़े

*५०८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान पर हमारा कितना ऋण है और कब से उस का भुगतान नहीं किया गया;

(ख) भिन्न-भिन्न लेखों में हमारे क्या शेष हैं जिन के बारे में समझौता नहीं हुआ;

(ग) सरकार उन का समझौता और उन की वसूली कैसे करेगी; और

(घ) पाकिस्तान ने कौन सी बकाया राशियां देने से इनकार कर दिया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (घ). जैसे कि वित्त मंत्री ने १४ मई, १९५४ को तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि पाकिस्तान का वभाजन के समय का ऋण निश्चित नहीं है । ऋण ५० समान वार्षिक किश्तों में दिया जाना है जो १५ अगस्त, १९५२ को आरम्भ होती हैं । पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कोई अदायगी नहीं की है । ऋण के अन्तिम मूल्यांकन और दूसरे मुख्य वित्तीय झगड़ों के समझौते के बारे में वार्तालाप के पुनरारम्भन केवित्त मंत्री ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री से बात चीत है परन्तु अभी तक बैठक निश्चित नहीं की जा सकी है । दोनों ओर से कई क्लेम हैं और जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक यह कहना कठिन है कि दोनों ओर से कौन सा क्लेम अस्वीकृत किया गया है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : लगभग दोनों पक्षों के क्लेम क्या है ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरा विचार है कि सभा में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि विभाजन ऋण लगभग २५० करोड़ रुपया होगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: इस राशि की वसूली आरम्भ करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह दूसरे पक्ष के ऋण चकाने पर राज़ी होने पर निर्भर करता है । इस विषय में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया जा सका ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : पाकिस्तान ने कितनी राशि का क्लेम किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : जितनी मैं ने बताई है । हमारे लेखे के अनुसार पाकिस्तान ने सरकार ने हमें जितनी शद्ध राशि देनी है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या पाकिस्तान ने कोई विशेष राशि देने से इनकार किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : नहीं, श्रीमान । उन्हों ने न तो इनकार किया है और न ही कोई बात स्वीकार की है ।

परिसीमन आयोग

*५०९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो काम कहां तक हो गया है और इस के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : (क) और (ख). परिसीमन आयोग ने २६ में से १७ राज्यों में अपना कार्य पूरा कर लिया है और संसद् व विधान सभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के अन्तिम आदेश प्रकाशित हो चुके हैं । तीन राज्यों अर्थात आसाम पश्चिमी बंगाल और विंध्य प्रदेश में अन्तिम सार्वजनिक सभायें हो चुकी हैं और आयोग आशा करता है कि वह आगामी दो या तीन सप्ताह में आदेश प्रकाशित कर

देगा । सौराष्ट्र, बम्बई, राजस्थान, बिहार और हैदराबाद में इस का काम पूरा होने वाला है और आशा है कि फरवरी १९५५ के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जायेगा । आयोग को फरवरी १९५५ की समाप्ति तक सब काम पूरा होने की आशा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : जहां जहां आयोग अपना काम पूरा कर चुका है क्या वहां इन की सिपारिशों अथवा प्रस्तावों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : जिन राज्यों के नाम मैं ने लिये हैं वहां इन का काम सम्पन्न हो चका है और शेष में शीघ्र ही हो जायेगा ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या आयोग को अन्तिम प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : मेरा विचार है कि परिसीमन अधिनियम में प्रतिवेदन को संसद के सामने रखने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सत्य है कि आयोग द्वारा दिये गये आदेश जनगणना के आंकड़ों पर आधारित नहीं थे ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : किस राज्य के बारे में ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः वे उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : इस राज्य के बारे में बहुत कम प्रगति हुई है और इस विषय में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्री हेडा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि विधान सभा और संसद के स्थानों में अनुपात हरेक राज्य में अलग अलग है और राज्यों का पुनर्गठन अभी होना है क्या सरकार ने इन राज्यों में इसी प्रकार का अनुपात रखने की नीति निर्धारित की है ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक उलझन सी है । मेरे विचार में यह विस्तार का विषय परिसीमन आयोग पर ही छोड़ देना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कमीशन के सदस्यों और उस के सहयोगी सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो गया है और क्या उस के सुलझाये जाने के लिये ऐक्ट में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : मतभेद जरूर पैदा हो गया था और वह सुलझ रहा है ।

वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार

*५१०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वागह चौकी के रास्ते भारत में बहुत सी वस्तुयें छपा कर लाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ और १९५४-५५ में वागह में तस्कर-व्यापार के लिये कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) उन पर जुर्माने कर के कितनी राशि प्राप्त की गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) सरकार को उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि वागह-अटारी सीमान्त पर भारत में अधिक मात्रा में वस्तुयें छुपा कर नहीं लाई जा रही हैं ।

(ख) भारत-अटारी सीमान्त की भारतीय दिशा में तस्कर-व्यापार करने के लिये गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) १९५३–५४ और १९५४–५५ (३१ अक्तूबर, १९५४) में क्रमवार ७३,९२४ रु० और १२,८६० रु० जुर्माना किया गया जिस में से १९५३–५४ में २९६ रु० वसूल किये गये और १९५४–५५ में कोई वसूली नहीं हुई। जहां जुर्माने वसूल नहीं किये गये वहां वह सामान जिस के लिये जुर्माने किये गये उन के मालिकों द्वारा वापस नहीं मांगा गया।

श्री डी० सी० शर्मा : सीमा पार से भारत में मुख्यतः कौन सी वस्तुयें लाई जाती हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : सामान्यतः भारतीय मुद्रा, सोना, चांदी, चांदी के सिक्के, घड़ियां, चर्स, फल, ज़ेवर इत्यादि।

श्री डी० सी० शर्मा : अब तक छुपा कर लाई गई वस्तुओं का लगभग मूल्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन का अभिप्राय कब्ज़ा की गई वस्तुओं के लगभग मूल्य से है।

श्री ए० सी० गुहा : छुपा कर लाई गई वस्तुओं का मूल्य मैं नहीं बता सकता। मैं केवल उन वस्तुओं का मूल्य बता सकता हूं जो पकड़ी गई हैं। १९५३–५४ तक यह ७४,३१९ रु० था और १९५४–५५, अक्तूबर तक यह १३,९९६ रु० था। यह आंकड़े, किये गये जुर्माने के लगभग बराबर ही हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : इन वस्तुओं का कैसे निबटारा किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि जुर्माना न अदा किया जाये तो वस्तुयें जब्त कर ली जाती हैं और उन्हें नीलाम कर दिया जाता है।

श्री हेडा : क्या तस्कर-व्यापार केवल एक ओर से ही हो रहा है या भारत से भी कोई वस्तुयें छपा कर ले जायी जाती हैं, यदि हां तो वे वस्तुयें कौन सी हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : यह व्यापार दोनों ओर से हो रहा है।

मुद्रा में कमी

*५११. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से मुद्रा और सार्वजनिक धन के संभरण के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): योजना के पहले तीन वर्ष में जनता को उपलब्ध धनराशि में कमी और मुद्रा में कमी का मुख्य कारण भुगतान संतुलन में समूचा घाटा है जिस का पता रिजर्व बैंक की विदेशी आस्तियों में होने वाली कमी से लगता है।

श्री एस० सी० सिंघल : इस कमी का देश की सामान्य अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे इस कमी के परिणामस्वरूप देश की सामान्य आर्थिक स्थिति पर हुए प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री एम० सी० शाह: कोई मंदी नहीं हुई है; यह बात नहीं है। मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को रोक दिया गया था।

श्री एस० सी० सिंघल : इस देश में फिर से संतुलित अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री एम० सी० शाह : जब हम विकास कार्य को चलाते जायेंगे और विकास व्यय में वृद्धि होने लगेगी और कुछ धन उपलब्ध होगा तो और अधिक धन की प्राप्ति भी होगी और इस प्रकार संतुलित अर्थव्यवस्था पुनःस्थापित हो सकेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निश्चित किये गये पुनरीक्षित विनियोग लक्ष्य में हुई कमी का

प्रतिशतक क्या है ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी कमी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री एम० सी० शाह : पहले दो वर्षों में कमी रही थी। पहले वर्ष यह कमी १७८ करोड़ रुपया थी और दूसरे वर्ष ३१ करोड़ रुपया। तीसरे वर्ष ५१ करोड़ रुपये का विस्तार हुआ है। अतः मुद्रा के बारे में किसी चिन्ता की आवश्यकता नहीं है।

यूनेस्को (प्रशिक्षण)

*५१३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को के तत्वावधान में भारत से १९५३–५४ और १९५४–५५ में कितने अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए;

(ख) क्या किन्हीं अभ्यर्थियों को यूनेस्को के प्राधिकारियों द्वारा किन्हीं विशेष कारणों से अस्वीकार किया गया है; तथा

(ग) भारत में प्रशिक्षण के लिए कितने अभ्यर्थी आये ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क)

१९५३–५४	२
१९५४–५५	३

(ख) जी नहीं।

(ग) सात, उन २२ व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हों ने मैसूर में यूनेस्को द्वारा चलाई गई ग्रुप प्रशिक्षण योजनाओं में भाग लिया था।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : विदेश जाने वाले उम्मीदवारों ने कौन कौन से विषय चुने है, तथा उन देशों से कौन-कौन वापस लौट आये हैं ?

डा० एम० एम० दास : १९५३–५४ में दो उम्मीदवार विदेश गये थे। एक उम्मीदवार का विषय वैज्ञानिक प्रलेखीकरण केन्द्र का संगठन था। वह छः मास तक के लिये विदेश रहा। वह इंगलिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, डेन्मार्क, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नार्वे, यूगस्लाविया तथा मिस्र गया था। दूसरे उम्मीदवार का विषय अनिवार्य शिक्षा था। वह दस मास तक विदेश में रहा था। वह यूरोप तथा कनाडा गया था। तीसरे उम्मीदवार का विषय भारी विद्युत था......

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : लिस्ट लम्बी है। अगर आनरेबल मेम्बर चाहते हैं तो टेबल पर रख दी जायेगी। पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या इन लोगों का जिन्हों ने विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वापस आने पर उन्हीं कार्यों के लिये उपयोग किया जा रहा है जिन में उन्हों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां। इन लोगों को इन के नियोजकों ने भेजा था और अब भी वे उन्हीं के अधीन सेवा में नियोजित हैं।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : किन किन देशों ने अपने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिये यहां भेजा है ?

डा० एम० एम० दास : थाइलैंड, ईराक़, तथा मिस्र; पुनः थाइलैंड, इन्डोनेशिया, ईराक़ तथा पेरू। जिन उम्मीदवारों ने मैसूर में यूनेस्को द्वारा आयोजित बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लिया था, उन में से फ्रांस, हालैण्ड तथा डेन्मार्क प्रत्येक से दो-दो तथा जर्मनी, आस्ट्रिया, बेल्जियम, नार्वे, बर्मा तथा स्वीडन प्रत्येक से एक-एक, लाइबेरिया से दो

एवं अफगानिस्तान, मलाया, न्यूज़ीलैण्ड, इन्डोनेशिया, थाइलैण्ड, फिलिपाइन्स, नेपाल तथा आस्ट्रेलिया प्रत्येक से एक-एक उम्मीदवार आये थे ।

श्री **राघवाचारी** : मुझे प्रश्न संख्या ५१७ पूछने का अधिकार है । क्या मैं उसे पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अन्त में आयेगा ।

फ्रांसीसी सांस्कृतिक शिष्टमंडल

***५१८. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : **क्या शिक्षा** मंत्री अक्तूबर, १९५४ में भारत आने वाले फ्रांसीसी सांस्कृतिक शिष्टमण्डल के सदस्यों के नाम व अर्हतायें आदि बताने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : भारत सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता

***५२०. श्री झूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिज़र्व बैंक ने ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता दूर करने के उद्देश्य से कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख) . संविधान के अन्तर्गत 'ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करना' राज्य का विषय है । फिर भी रिज़र्व बैंक आफ इंण्डिया इस मामले में आरम्भ से ही रुचि लेता रहा है । किसानों के ऋण सम्बन्धी प्रश्नों का अध्ययन करने के लिये एक किसान ऋण विभाग रखने के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक किसानों के इस ऋण में कमी करने के लिये सहकारिता आन्दोलन की विभिन्न प्रकार से सहायता करता रहा है जैसे, ऋतुकालीन कृषि कार्यों एवं फसलों के विपणन की अर्थव्यवस्था करने के लिये अल्प-कालिक सहायता करना तथा हाल ही से भूमि आदि के सुधार के लिये रियायती ब्याज दर पर राज्य के सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देना एवं सहकारी बैंकों के वाणिज्यिक पत्रों पर पुनः कटौती करने की सुविधा देना है । दीर्घकालीन सहायता के रूप में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया एक निश्चित सीमा तक केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों को भी खरीदता है ।

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियुक्त की गई ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने अभी बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस में ग्रामीण ऋण के अन्य पहलुओं के साथ ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता पर भी ध्यान दिया गया है ।

श्री झूलन सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करने तथा ऋणों को कम करने के लिये उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों द्वारा किये गये प्रयत्नों से अवगत है, और यदि हां, तो क्या इस से वहां की ग्रामीण ऋण व्यवस्था की नींव हिल गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य का आशय किस सरकार से है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों से ।

श्री ए० सी० गुहा : लगभग सभी राज्य सरकारों ने ग्रामीण ऋणों में कमी करने तथा दीर्घकालिक किस्तों द्वारा भुगतान का प्रबन्ध करने के लिये उपाय किये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन के पूछने का आशय यह है कि क्या इस से ग्रामीण ऋण व्यवस्था की नींव हिल गई है ।

श्री ए० सी० गुहा इस से बहुत कुछ ग्रामीण ऋण खत्म हो गया है और भगतान

कृषकों की वित्तीय क्षमता के भीतर हो गये हैं ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार को यह विदित है कि इन राज्यों में ऋण व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है, और लोगों को महाजनों से ऋण लेने में कठिनाई हो रही है, और सरकार उन के स्थान पर स्वयं ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं कि महाजनों को कृषकों को ऋण देने में पूरी स्वतंत्रता दी जाय यह बात आजकल के समय के अनुसार नहीं है । खैर, यह नीति सम्बन्धी बात है । सरकार की नीति यह है कि कृषकों को ऋण संस्थाओं द्वारा ऋण की अधिक सुविधायें दी जायें और सरकार उसी नीति पर चल रही है ।

श्री जेठालाल जोशी : देश में भूमि-बन्धक बैंक कितने हैं और उन्हों ने कहां तक ऋणों को समाप्त कर दिया है और किसानों के मकानों तथा खेतों को छुड़वा दिया है ।

श्री ए० सी० गुहा : भूमि-बन्धक बैंकों की संख्या के बारे में मुझे पूर्वसूचना चाहिये । किन्तु मैं यह स्वीकार कर सकता हूं कि मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि भूमि-बन्धक बैंकों ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिये कोई बहुत अधिक काम किया है । किन्तु सरकार इस मामले पर निरन्तर विचार कर रही है, और इस विषय में धीरे धीरे प्रगति भी हो रही है ।

श्री जेठालाल जोशी : बैंकों ने खेती के लिये कितना ऋण दिया है, और उद्योग में लगाई गई धनराशि की तुलना में इस का क्या अनुपात है ? इस का क्या प्रतिशत है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में व्यापारी बैंक ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे कृषि हेतु रुपया उधार दे सकें; कुछ चाय बागानों को शायद कुछ ऋण दिया गया हो, जो पारिभाषिक रूप से वस्तुतः कृषि के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु शायद माननीय सदस्यों को उन की अधिक चिन्ता नहीं है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या सरकार इस से अवगत है कि मद्रास सरकार ने ग्रामीण ऋणों के लिये शोध-विलम्ब-काल की घोषणा की है और इस से ग्रामीण ऋण की सुविधाओं में कमी हो गई है ? क्या सरकार इस मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कोई उपाय कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : इसी कठिनाई का उल्लेख उन माननीय सदस्य ने किया था जिन्हों ने यह प्रश्न पूछा था । अन्तर्कालीन अवस्था में कुछ कठिनाई हो सकती है; कुछ भी हो, हमें उस कठिनाई का सामना करना है ।

सरकारी कर्मचारी

*५२१. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले कतिपय सरकारी कर्मचारियों को तीन साल में दो वेतन वृद्धियां दी गई हैं, जब कि दिल्ली के संलग्न तथा सहायक कार्यालयों में काम करने वाले इन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों को यह वृद्धियां नहीं दी गई हैं;

(ख) इस भेद-भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). अनेक सालों से लागू आदेशों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में भर्ती किये गये निम्न श्रेणी के क्लर्कों को दो

अगाऊ वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। युद्ध और सत्ता हस्तान्तरण के कारण पैदा हुई स्थिति के परिणामस्वरूप पाकिस्तान से आने वाले अनेक अस्थायी कर्मचारियों तथा विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को क्लर्कों के स्थान पर सीधे नियुक्त किया गया और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस के परिणामस्वरूप अधिकांश वर्तमान निम्न श्रेणी के क्लर्कों को, संघ लोक-सेवा-आयोग के द्वारा न आने पर, दो अगाऊ वेतन वृद्धियां नहीं मिलीं। अतः भारत सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया कि केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के निम्न श्रेणी में स्थायी किये गये सभी व्यक्तियों को तथा उन को भी, जो कम से कम तीन साल से इन पदों पर काम कर रहे हैं और जो स्थायी होने के योग्य समझे जाते हैं, दो अगाऊ वेतन वृद्धियां मिलनी चाहिएं। यह आदेश पुराने आदेश का विस्तार मात्र है ताकि वह वर्तमान अवस्था के अनुकूल हो जाये। केन्द्रीय सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के बाहर के क्लर्कों को इन अगाऊ वेतनवृद्धियों का कभी कोई लाभ नहीं प्राप्त था और अब पहली बार उन को लाभ पहुंचाने का कोई कारण भी न था।

(ग) इस सम्बन्ध में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री भीखाभाई : क्या सरकार का नियमों का पुनरीक्षण कर के दूसरे वर्ग के कर्मचारियों में असंतोष की भावना को दूर करने का विचार है?

श्री दातार : जहां तक अन्य वर्गों का सम्बन्ध है, किसी प्रकार का भी असंतोष युक्तिसंगत नहीं है।

जनता कालेज (मैसूर)

***५२२. श्री तिम्मय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैसूर राज्य में एक जनता कालेज खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कालेज कब खोला जायेगा; और

(ग) कालेज के संधारण पर अनुमानतः कितना व्यय होगा?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). राज्य सरकार का विद्यानगर में जल्दी ही एक जनता कालेज खोलने का विचार है, जिस के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) १०,००० रुपये वार्षिक।

श्री तिम्मय्या : किन अन्य राज्यों में ऐसे ही कालेज खोले गये हैं?

डा० एम० एम० दास : लगभग २० जनता कालेज हैं, जिन के लिये केन्द्रीय सरकार ने अनुदानों की स्वीकृति दी है। ये कालेज पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, पंजाब, भोपाल इत्यादि में हैं।

श्री तिम्मय्या : मैसूर जनता कालेज को कितनी सहायता दी जाने वाली है?

डा० एम० एम० दास : ६,६०० रुपये की अनावर्तक धनराशि स्वीकार की गई है, और छः महीने के लिये २,५०० रुपये के आवर्तक व्यय की भी स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश

***५२३. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में प्रतियोगिता के द्वारा चुनाव के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के कितने छात्र सैनिक चुने गये;

(ख) व्यक्तिगत इंटरव्यू के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के कितने अभ्यर्थी अस्वीकृत किये गये; और

(ग) उन्हें अस्वीकृत करने के क्या कारण थे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के १६३ छात्र सैनिक अभी तक चुने जा चुके हैं ।

(ख) २८१ ।

(ग) अभ्यर्थी अपेक्षित स्तर के नहीं पाये गये ।

श्री के० सी० सोधिया : प्रवेश के लिये कुल कितने अभ्यर्थी चुने गये थे और उन में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के छात्र सैनिकों का क्या अनुपात था ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे विचार में उन्हों ने १९५३-५४ के आंकड़े पूछे थे, जो कि उत्तर में दे दिये गये हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : कुल कितने अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने बताया कि उक्त वर्ष में १६३ अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला ।

श्री के० सी० सोधिया : कौन से ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न क्या है ?

श्री के० सी० सोधिया : मेरा प्रश्न यह है कि अकादमी में कुल कितने अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला और उन में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के छात्र सैनिकों का क्या अनुपात था ?

श्री सतीश चन्द्र : प्रश्न में उल्लिखित वर्ष के अतिरिक्त, यदि माननीय सदस्य सारे आंकड़े चाहते हैं, तो मैं उन को बताता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणाम-स्वरूप १९५१ से राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के ५१७ छात्र सैनिकों को अकादमी प्रविष्ट किया जा चुका है । राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के अन्य १६४ छात्र सैनिको को सीधे से सैनिक विभाग में प्रविष्ट किया गया था; राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के ६१ छात्र सैनिक शिल्पिक स्नातक पाठ्यक्रम के द्वारा प्रविष्ट किये गये थे, और १६३ छात्र सैनिक, जिन का मैं ने प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है, राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के लिये सुरक्षित १० प्रतिशत रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हुए थे ।

ब्रिटिश वस्त्र आयातों के लिये रियायतें

*५२७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंकाशायर वस्त्र उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल उन से हाल ही में मिला था;

(ख) यदि हां, तो भारत में ब्रिटिश वस्त्र आयातों के लिये रियायतें देने के बारे में क्या उन को कोई आश्वासन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान । १८ अक्तूबर, को लन्दन में लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मिला था, उन्हों ने यह अभ्यावेदन किया था कि आयात कर में हाल ही में जो वृद्धि कर दी गई है, उस से भारत में इंग्लैंड से वस्त्र का आयात लगभग बिल्कुल खत्म हो जायेगा और इस में तथा भारतीय वस्त्र के ब्रिटेन में आयात में असमता बढ़ जायेगी ।

(ख) और (ग). वित्त मंत्री ने उस अभ्यावेदन को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के पास भेज देने का वचन दिया और कहा कि उन्हें यह विचार करने के पूर्व कि क्या कार्यवाही करनी चाहिए. इस व्यापार की वास्तविक स्थति को देखना होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या माननीय वित्त मंत्री व्यापार मंडल के अध्यक्ष, श्री पीटर थार्नीक्राफ्ट से भी मिले थे और उन्हों ने उन के साथ इस विषय पर चर्चा की थी ? यदि हां, तो जो कुछ चर्चा हुई थी उस का विशिष्ट रूप क्या है ?

श्री ए० सी० गुहा : वित्त मंत्री और व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बीच मेरे विचार में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : व्यापार तथा अशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार में जापान के कथित प्रवेश को देखते हुए क्या कपड़े के आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में भारत और इंग्लैंड के बीच के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन होने की संभावना है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि इंग्लैंड से भारत में कुल आयात में कमी नहीं आई है, तो भारत में वस्त्रों के आयात के लिये विशेषाधिकार मांगने का क्या कारण है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस का कारण यह है कि इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों के आयात से इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के श्रमिकों की स्थिति कुछ कठिन हो गई है और रोजगार की स्थिति का अच्छी तरह से रक्षण नहीं हो पा रहा है । अतः वे यह चाहते थे कि इंग्लैंड में भारतीय वस्त्र के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के अधिक आयात के लिये आयात शुल्क में कुछ ढील दे दी जाये ।

मैसूर को ऋण

*५२९. **श्री केशवयंगार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मैसूर सरकार को विधान सभा भवन के निर्माण के लिये, जो कि बंगलौर में बनाया जा रहा है, कोई आर्थिक सहायता अथवा ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और किन शर्तों पर ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशवैयंगार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में बंगलौर में लोक-सभा और राज्य-सभा के सत्र करने की इच्छा होने पर यह भवन उपलब्ध हो सकेगा. यदि मैसूर सरकार केन्द्रीय सरकार से इस के निर्माण की लागत के लिये अनुदान देने के लिये अभ्यावेदन करे तो क्या केन्द्र उस पर विचार करेगा ?

श्री एम० सी० शाह : विधान सभा के भवन के सम्बन्ध में मैसूर सरकार से अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

ऋणों का उपयोग

*५३०. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय ऋणों का उपयोग उन कार्यों के अलावा जिन के लिये ये ऋण दिये गये थे, अन्य कार्यों के लिये भी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से; और

(ग) क्या राज्यों को यह अनुमति है कि वे केन्द्रीय सरकार को अपने निर्णयों के कारण बताये बिना, केन्द्रीय ऋण की धनराशि का उपयोग उन कार्यों के अलावा, जिन के लिये केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट रूप से वह धनराशि दी है, अन्य कार्यों के लिये भी कर सकते हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इन ऋणों के देने से पूर्व कोई शर्तें रखी जाती हैं ताकि धन का उपयोग निर्धारित क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में न हो सके ?

श्री बी० आर० भगत : ऋणों के देने के लिये निर्धारित नियम तथा शर्तों के अनुसार, धन को अन्य किसी उपयोग में लाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सामान्यतः खर्च होने के बाद पेश किये गये विवरणों पर ही ये ऋण दिये जाते हैं । कुछ मामलों में जब अगाऊ ऋण दिये जाते हैं, तो सर्वप्रथम एक पृष्ठांकन पत्र महालेखापाल अथवा महालेखापरीक्षक के पास भेजा जाता है, जो व्यय पर निगरानी रखता है । दूसरे, राज्य सरकारें समय समय पर व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन भेजती रहती हैं, जिन से हम जांच कर सकते हैं । तीसरे, ऋण राज्य की संचित निधि में से दिये जाते हैं और किसी भी घटा-बढ़ी की हर साल राज्य के लेखों में समायोजन कर लिया जाता है और भविष्य म ऋण देते समय उस में से यह काट लिया जाता है । अतः निर्धारित योजना के अलावा अन्य योजना के लिये धन का उपयोग करने की कोई संभावना नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या राज्य सरकार अपनी आवंटन की योजना पर पुर्नविचार और पुनरीक्षण नहीं कर सकती तथा केन्द्र द्वारा दिये गये ऋण को एक उद्योग से दूसरे उद्योग को नहीं दे सकती ?

श्री बी० आर० भगत : उन को उस के लिये फिर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, वे यह काम अपने आप नहीं कर सकते ।

श्री आर० एस० दीवान : यदि एक विशेष कार्य के हेतु दिये गये ऋण का उपयोग उसी काम के लिये तथा निर्धारित समय के अन्दर नहीं होता है, तो क्या वह धन राशि व्यपगत हो जायेगी ?

श्री बी० आर० भगत : वे व्यपगत नहीं होती, परन्तु भविष्य में राज्य को ऋण देते समय उन्हें काट लिया जाता है ।

विश्व बैंक के बन्ध-पत्रों का विक्रय

*५३१. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के बन्ध-पत्रों के भारत में रुपयों में विक्रय की आज्ञा देन की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री संगण्णा : क्या इस प्रश्न पर वाशिंगटन में हुए विश्व बैंक के गवर्नरों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी जिस में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री ने किया था ?

श्री बी० आर० भगत : यदि, इस प्रश्न से माननीय सदस्य का अभिप्राय भारतीय बाज़ार में भारतीय रुपयों में ऋण प्राप्त करने से है, तो इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी ।

आरा मिल

*५३२. **श्री मुरारका** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति के नवें प्रतिवेदन में कही गई उस बात की ओर दिलाया गया है, कि एक आरा मिल को बेचने के मामले में अनुकूल वैधानिक राय

होने के बावजूद भी सरकार ने करार की शर्तों को लागू नहीं किया, किन्तु सामान को पुस्त मूल्य के ४० प्रतिशत पर इस कारण से छोड़ दिया क्योंकि यह सरकार द्वारा अपनायी गई इस नई नीति के अनुसार है कि फालतू संयंत्र और मशीनरी उद्योगों का उपयाग करने वालों को विक्रय की जाये; और

(ख) क्या सरकार का इस मामले का अनुसरण करने और उन लोगों को उत्तरदायी ठहराने का विचार है, जिन्हों ने लोक हित की परवा नहीं की ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री मुरारका : क्या सरकार ने उस के बाद इस पक्ष से किराये की रक़म वसूल कर ली है जो कि ६०,००० रुपये से अधिक होती है ?

सरदार मजीठिया : प्रश्न का विक्रय से सम्बन्ध है । उस सौदे में किराये का भी ध्यान रखा गया था ।

श्री मुरारका : क्या १९४५ से १९४९ तक के समय का किराया वसूल कर लिया गया है ? क्योंकि जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, यह १९४९ में बेचा गया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ६०,००० रुपये की रक़म, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस का भी ध्यान रखा गया था, १९४५–४९ तक के समय के लिये है ?

सरदार मजीठिया : यह वसूल नहीं की गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस मामले की जांच कैसे हुई थी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई समिति बनाई गई थी ?

सरदार मजीठिया : मैं अब इस मामले की स्वयं जांच कर रहा हूं ।

राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ

५३३. **श्री सारंगधर दास :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिकगवेषणामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औषध प्रयोगशाला, लखनऊ में कितने वैज्ञानिक पदाधिकारी और गवेषणा सहायक काम कर रहे हैं; और

(ख) उन के रहने के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) केन्द्रीय औषध गवेषणा संस्था में निम्न वैज्ञानिक कर्मचारी हैं :

(१) वैज्ञानिक पदाधिकारी (जिन में निदेशक, उप-निदेशक और चार सहायक निदेशक सम्मिलित हैं)	३८
(२) गवेषणा सहायक	२९

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को देखते हुए कि प्रयोगशाला चार या पांच साल से विद्यमान है और कर्मचारियों के लिए कोई भी क्वार्टर नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि ये वैज्ञानिक पदाधिकारी और उन के कर्मचारी क्या एकाग्र हो कर कार्य कर रहे हैं अथवा उन्हें कुछ असुविधा है ?

श्री के० डी० मालवीय : सम्भव है उन्हें कुछ असुविधा हो । सरकार को उन की कठिनाइयों का पूरा पूरा पता है और आवास स्थानों के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है । हमें अभी राज्य सरकार से कुछ भूमि लेनी है जिसे अभी तक राज्य सरकार देने को तैयार नहीं हुई है । हमारे मंत्रालय की प्रस्थापनायें वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिये उन के सामने हैं

श्री सारंगधर दास : किस तारीख से निर्माण कार्य के आरम्भ होने की संभावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ठीक ठीक तारीख नहीं बता सकता, किन्तु हम शीघ्रता करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि स्वदेशी औषधियों पर भी गवेषणा कार्य हो रहा है, क्या गवेषणा सहायकों में से कोई आयुर्वैदिक डाक्टर भी है जो राज्य की आयुर्वेद परीक्षा में उत्तीर्ण हो ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे तो किसी का पता नहीं है ।

अगरतला (त्रिपुरा) में अग्निकांड

*५३४. **श्री दशरथदेव** : क्या **राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला के महाराजगंज बाजार में २० सितम्बर, १९५४ की रात को जो आग लगी थी उस में कितनी दुकानें जल गईं;

(ख) क्या उन दुकानों के अधिकतर स्वामी पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति हैं;

(ग) क्या सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन के आर्थिक पुनर्वास के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). त्रिपुरा के मुख्या-युक्त से पूछा गया है, और यथासंभव शीघ्र एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि जब इन मकानों में अभी आग लगी ही थी उस समय पुलिस इन मकानों से लोगों को वस्तुएं निकालने से रोक रही थी ?

डा० काटजू : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं है; मैं इस सम्बन्ध में और जानकारी मांगूंगा ।

नामकुम सैनिक गण्यशाला

*५३७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने नामकुम सैनिक गण्यशाला के प्राधिकारियों के लाभदायक पशुओं को बेचने के बारे में रांची गोशाला समिति के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : रांची गोशाला समिति के अभ्यावेदन पर विचार किया गया था और पशुओं को बेचने के लिए यह प्रक्रिया निर्धारित की गई थी :

(क) जिन बछड़ों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें सैनिक गण्यशालाओं में एक मास तक पाला जाता है और तब उन्हें राज्य सरकारों या पशुपालन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा पुरानी गोशालाओं को बेच दिया जाता है अथवा बिना मूल्य उपहार में दे दिया जाता है ।

(ख) यदि लेने वाला चाहता है कि किसी बछड़े को एक मास से अधिक समय तक पाला जाये तो ऐसा किया जाता है और ३० दिन के बाद पालन पर होने वाला व्यय उस से ले लिया जाता है ।

(ग) संक्रामक तथा असाध्य रोगों से पीड़ित पशुओं को छोड़ कर शेष सब को नीलाम कर दिया जाता है ।

(घ) संक्रामक तथा अन्य रोगों से पीड़ित पशुओं के उपचार का हर प्रकार से प्रयत्न किया जाता है और यदि उसमें सफलता न मिले, तो उन रोगमुक्त न हो सकने वाले पशुओं को बिना कष्ट दिये मार दिया जाता है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह सही है कि नामकुम डेयरी की कुछ दूध देने वाली गायें

ग्रौर भैंसें ग्रौर जो गाभिन गायें ग्रौर भैंसें थीं उन को बेच दिया गया ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने ग्रभी बताया, जो गायें बीमार होती हैं ग्रौर जिन्हें संक्रामक रोग नहीं होते ग्रौर जो दूध नहीं देतीं ग्रथवा बहुत कम दूध देती हैं उन्हें बेच दिया जाता है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रांची गोशाला में इस सम्बन्ध में जांच की गई कि वे सब गायें दूध देती थीं ग्रौर बच्चे देने वाली गायें ग्रौर भैंसें थीं जो कि दूसरे के हाथ नहीं बेची जा सकती थीं ?

सरदार मजीठिया : मैंने ग्रभी बताया कि हम उन गौग्रों ग्रौर भैंसों को बेच देते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वे लाभप्रद नहीं हैं । वे थोड़ा दूध ग्रवश्य देती हैं ग्रौर बच्चे भी देती हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि गण्यशाला के लिए ग्रनावश्यक गायें ग्रौर दूध केवल गोशालाग्रों को ही दिया जाये, ग्रौर यदि वे इन्हें न लें तो ये दूसरों को दिये जा सकते हैं ?

सरदार मजीठिया : ठीक यही प्रक्रिया तो निश्चित की गई है ।

योगाश्रम

***५४१. बाबू राम नारायण सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ पर उठाये गये एक ग्रनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने योगाश्रम (यौगिक व्यायाम संस्थायें) हैं; ग्रौर

(ख) सन् १९५४ में ग्रब तक उन्हें कितनी राशि ग्रनुदान में दी गई ?

शिक्षा मंत्री के (सभा-सचिव डा० एम० एम० दास) : (क) योगाश्रमों की संख्या के सम्बन्ध बें सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) १९५४–५५ में केवल धाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिति (के० एस० एम० वाई० एम० समिति), लोनावला, जिला पूना, बम्बई को १८,००० रुपये की वित्तीय सहायता तदर्थ ग्राधार पर विशेष रूप से यौगिक गवेषणा की उन्नति के लिए दी गई है ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या सभा-सचिव को विदित है कि दिल्ली में एक योगाश्रम है जिस की सारे नगर में कई शाखाएं हैं जिन में से दो इस सभा के सदस्यों के लिए हैं ग्रौर यदि हां, तो क्या सरकार इस संस्था को कोई विशेष ग्रनुदान देना चाहती है ?

बाबू रामनारायण सिंह : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह यौगिक गवेषणा के लिए ग्रनदान देती है ग्रौर साधारण योगाभ्यास के लिए नहीं, श्रीमान, यही कठिनाई है ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या इस विषय में भारत सरकार ग्रौर रूस सरकार में कोई पत्र-व्यवहार हो रहा है ?

डा० एम० एम० दास : गत सत्र में समाचारपत्रों के इस प्रकार के एक समाचार के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था कि रूस की सरकार देश में योगाभ्यास ग्रारम्भ कर रही है । हम ने मास्को में ग्रपने दूतावास को इस समाचार की पुष्टि ग्रौर ब्यौरा देने के लिए लिखा था । हमें ग्रभी तक उत्तर नहीं मिला है ग्रौर हम ने कई बार उन्हें स्मरण कराया है ।

श्री केशवैयंगार : क्या सरकार को यह विदित है कि योगासनों के दो केन्द्रों एक नार्थ एवेन्यू ग्रौर दूसरे कांस्टीट्यूशन क्लब में, उपाध्यक्ष महोदय सहित इस सभा के लगभग ६२ सदस्यों ने इस प्रणाली की शिक्षा प्राप्त की है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । ग्रगला प्रश्न लिया जाये ।

छात्रों की छात्रवृत्तियां

*५४२. **श्री के० सी० जेना :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के छात्रों को अभी तक इस वर्ष की मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए अपनी छात्रवृत्तियों की पहली किस्त भी नहीं मिली है;

(ख) क्या सरकार का इस के भुगतान में देरी को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) उड़ीसा के उन सब अनुसूचित जाति और आदिम जाति के छात्रवृत्ति-धारियों को प्रथम अर्धवार्षिक किस्त दे दी गई है, जिन के प्रार्थनापत्र ३०-९-१९५४ को पूर्ण थे । जिन छात्रों के प्रार्थनापत्र बाद में पूर्ण किये गये थे उन्हें शीघ्र ही भुगतान किये जाने की आशा है ।

(ख) और (ग). छात्रवृत्तियों के भुगतान में कोई देरी नहीं हुई ।

श्री के० सी० जेना : छात्रवृत्तियों के भुगतान में देरी का क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा मैं ने बताया, उन प्रार्थियों को पहले ही छात्रवृत्तियां भेजी जा चुकी हैं जिन के प्रार्थनापत्र ३०-९-१९५४ को या उस से पूर्व पूर्ण थे, परन्तु कुछ ऐसे प्रार्थी भी थे जिन के प्रार्थनापत्रों के कई स्तंभों को ठीक प्रकार से नहीं भरा गया था । उन के मामलों में कुछ देरी हुई है ।

श्री के० सी० जेना : क्या प्रार्थनापत्रों की राज्यवार जांच करने का कोई नियम है ?

डा० एम० एम० दास : क्या छात्रवृत्तियों के देने के अनुसार राज्यवार ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रार्थनापत्र राज्य-वार देखे जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : ऐसा कोई नियम नहीं है, परन्तु माननीय सदस्य को कृपया यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारे पास लगभग ३४,००० प्रार्थनापत्र आते हैं और हमें उन सब की जांच करनी होती है और स्वभावतः इस में समय लग जाता है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि इन आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वे साल में केवल दो किस्तों में दी जाती हैं, जिस के कारण बहुत से छात्रों को ६ महीने तक स्कालरशिप नहीं मिलता और उन को पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है और क्या सरकार ६ महीने की बजाये ३ महीने में स्कालरशिप देने की व्यवस्था करेगी ?

डा० एम० एम० दास : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि छात्रवृत्ति-धारियों ने छात्रवृत्तियों के धन के न मिलने के कारण अपना अध्ययन छोड़ दिया हो, परन्तु यह ठीक है कि छात्रवृत्तियां छमाही दी जाती हैं ।

श्री नानादास : जिन छात्रों को छात्र-वृत्तियों के लिए नहीं चुना गया क्या उन्हें यह बताया जा रहा है कि क्यों नहीं चुने गये ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है उन में से जो पात्र हैं अर्थात जो न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हैं प्रायः उन सब छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं । पहले भारत सरकार ने केवल ७५ लाख रुपये की मंजूरी दी थी, और फिर क्योंकि बहुत से पात्र छात्र रह गये थे इसलिए और ३२ लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी । इस वर्ष के लिए कुल १०७ लाख रुपये हैं ।

सेना की टुकड़ी में विस्फोट

***५४३. श्री राम दास :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ सितम्बर, १९५४ को अम्बाला में स्थित एक सेना की टुकड़ी में कोई विस्फोट हुआ था;

(ख) इस दुर्घटना में कितने सैनिक मारे गये और घायल हुए; और

(ग) विस्फोट के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां; एक विस्फोट १६ सितम्बर, १९५४ को हुआ था, २१ सितम्बर, १९५४ को नहीं ।

(ख) एक सिपाही मारा गया और अन्य पांच घायल हुए थे; जिन में से एक चोटों के कारण चिकित्सालय में मर गया ।

(ग) विस्फोट के कारणों की जांच एक जांच न्यायालय कर रहा है जिस के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा है ।

श्री रामदास : क्या मृतकों के परिवारों को निवृत्ति वेतन या क्षतिपूर्ति दी गई थी ?

सरदार मजीठिया : ज्यों ही जांच न्यायालय का निर्णय प्राप्त होगा और हम उत्तरदायित्व निश्चित कर सकेंगे तभी इस प्रश्न को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

श्री राम दास : घायलों में से कितने व्यक्तियों को सेवा के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास यह जानकारी नहीं है, परन्तु जैसा मैं ने बताया पांच में से एक मर गया था और चार बच गये थे और उन का उपचार किया गया था, परन्तु क्या उन्हें बाद में मुक्त कर दिया गया या नहीं स की अभी मुझे पड़ताल करनी होगी ।

नौ सेना के कर्मचारी वृन्द का कल्याण

***५४४. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ के बाद से नौसेना के पदाधिकारियों और उन के परिवारों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए और उन के कल्याण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) निकट भविष्य में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). सरकार नाविकों को उपयुक्त सुविधाएं देने की व्यवस्था पर बहुत ध्यान देती रही है और उनके लिए जामनगर, बम्बई और कोचीन में विवाहितों के लिए नई आवास व्यवस्था की गई है और इस के साथ ही महिला क्लबों, परिवारों के चिकित्सालयों, बच्चों के खेल के मैदानों और चायपान गृहों आदि की सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है ।

पदाधिकारियों के लिये बम्बई, कोचीन विज़गापट्टम, जामनगर, लोनावला, और दिल्ली में विवाहितों के लिये अतिरिक्त आवास की व्यवस्था की गई है । इस के अतिरिक्त सब नौसैनिक अड्डों पर पदाधिकारियों के लिए टेनिस, स्क्वैश और बेडमिन्टन के मैदानों की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : हाल ही में प्रधान सेनापति एडमिरल पिज़ी ने घोषित किया था कि नौ सेना के मुख्यालय की स्थापनाओं के पुनर्गठन से उन के पदाधिकारियों की सुविधायें बढ़ाने में सहायता मिलेगी । इस के क्या साधन हैं ?

सरदार मजीठिया : मैं बम्बई, कोचीन, विज़गापट्टम, लोनावला और दिल्ली में विवाहितों के लिए अतिरिक्त आवास की व्यवस्था और टेनिस, स्क्वैश और बेडमिन्टन

के मैदानों की सुविधाओं की सूची पहले ही बता चुका हूं जिन के लिए ध्वज दिवस के चन्दे में से और नौ सेना मुख्यालय द्वारा धन दिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि विभिन्न नौ सेना मुख्यालयों में पदाधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में अन्तर है ? यदि हां, तो सरकार का उन्हें एक समान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सरदार मजीठिया : जैसा सभा को विदित है, हमारे पास जो सीमित साधन हैं हम उन की सहायता से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । श्रीमान, आप जानते हैं कि विभाजन के पश्चात हमारी बहुत सी आवास व्यवस्था हम से छिन गई थी और वह पाकिस्तान को मिल गई थी । हम विवाहितों के लिए और आवास स्थान और खेलों सम्बन्धी सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं अच्छी प्रकार अनुभव करता हूं कि सभी केन्द्रों में सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इस विस्तृत व्यय को एक साथ करना बहुत कठिन है ।

विभाजन के ऋण

*५४५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वित्त मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के बाद विभाजन के ऋण में से कोई राशि पाकिस्तान से वसूल की गई है; और

(ख) क्या १ अप्रैल, १९५४ के बाद इस विषय पर चर्चा के लिए कोई सम्मेलन हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) गत अक्तूबर में जब वित्त मंत्री पाकिस्तान के वित्त मंत्री से ओटावा में मिले

थे, तो उन्हों ने उन के साथ संक्षिप्त अनौपचारिक चर्चा की थी, परन्तु कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी वार्ता के लिए कोई भविष्य की तथि निश्चित की गई है या यह वार्ता यहीं समाप्त हो गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पाकिस्तान की राजनैतिक परिस्थिति से अपना विवेकपूर्ण अनुमान लगा लेना चाहिये । कुछ लोगों का यह विचार है कि वे शेष समस्याओं के निबटाने के लिए कुछ बातचीत आरम्भ करेंगे । कोई भी तिथि निश्चित हो सकती है या कोई भी निश्चित तिथि नहीं हो सकती ।

सरदार हुक्म सिंह : वित्त मंत्री ने गत वर्ष ९ करोड़ रुपये की आय का आयव्ययक में उपबन्ध किया था और उन्हों ने आशा प्रकट की थी कि कम से कम इस वर्ष उन्हें पाकिस्तान से यह राशि अवश्य मिल जायेगी । क्या हमें इस का कुछ अंश मिल सका है ?

श्री ए० सी० गुहा : एक राष्ट्र के रूप में हम सदा आशावादी हैं और इसी आधार पर हम ने यह आशा की थी, परन्तु दूसरे पक्ष ने हमारी आशा पूरी नहीं की । इस में हम कुछ नहीं कर सकते ।

सरदार हुक्म सिंह उठे––

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रश्न की ही तरह अस्पष्ट होगा । अगला प्रश्न लिया जाय ।

काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण

*५४६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के आय-कर और डाक तथा तार विभागों को भारत संघ के इन विभागों के साथ पूर्णतः एकीकृत कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन एकीकृत विभागों से वार्षिक कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) हां, श्रीमान । जम्मू और कश्मीर के आय-कर और डाक तथा तार विभागों का भारत संघ के साथ पूर्णतः एकीकरण कर लिया गया है ।

(ख) अनुमानित वार्षिक राजस्व इस प्रकार है :

(१) आय-कर १२,००,००० रुपये

(२) डाक तथा तार :

दूर संचार ३,१२,००० रुपये

क्योंकि डाक विभाग को १८९४ में ले लिया गया था और क्योंकि डाक सम्बन्धी प्रशासन के लिये जम्मू और कश्मीर को पृथक इकाई नहीं माना जाता अतएव डाक विभाग से राजस्व के प्राक्कलन का पता लगाना संभव नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में टेलीफोन की दरें भारतसंघ के अन्य राज्यों की दरों की अपेक्षा अधिक हैं, और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्री एम० सी० शाह : यह प्रश्न संचार मंत्रालय से पूछना चाहिये । मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या उस राज्य के टेलीफोन और तार के कर्मचारिवृन्द को वही वेतन नहीं दिये जाते जो भारत संघ के कर्मचारिवृन्द को दिये जाते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : यह भी संचार मंत्रालय का काम है । जहां तक आय-कर उत्पादन-शुल्क और सीमा शुल्क का सम्बन्ध है मैं सदस्यों को वे जो भी जानकारी चाहें दे सकता हूं ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या सरकार इस विभाग को मिला लेने के कारण जम्मू और काश्मीर सरकार को कोई अनुदान दे रही है और यदि हां, तो वह राशि क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : इस करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं परन्तु हम आय-कर का ५५ प्रतिशत और दियासलाई, तम्बाकू, वनस्पति आदि पर शुल्क का ४० प्रतिशत देने के लिए सहमत हो गये हैं । परन्तु इस के साथ ही यदि यह राशि २.५० करोड़ रुपये से कम होगी, तो हमें २.५ करोड़ रुपये देने होंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या आय-कर और डाक तथा तार विभागों के अतिरिक्त जम्मू और काश्मीर सरकार की अन्य सेवाओं को भारत सरकार उन के तत्संवादी विभागों में एकीकरण के लिये कुछ ठोस प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । हमारा सम्बन्ध राजस्व और व्यय से है । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सम्बन्धित प्रशासकीय मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक

*५५०. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक को और सहायता देने का निश्चय किया गया है; और

(ख) उन के पुनर्नियोजन और सहायता के सम्बन्ध में सारी स्थिति क्या है ?

रक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया): (क) और (ख). आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक पहले ही सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में सेवा प्राप्त कर सकते हैं यदि उन में वे शिक्षा सम्बन्धी तथा शारीरिक

और अन्य अर्हताएं हों जो अन्य नये भर्ती होने वालों के लिए आवश्यक हैं। आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के कारण उन पर कोई लांछन नहीं लगाया गया है। भूतपूर्व भारतीय सेना के पदाधिकारी जो आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे नये सिरे से कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें तीन मास का वेतन तथा भत्ते और सेवा से निकाले जाने के समय के पद का शेष वेतन, सेवा निवृत्ति वेतन और साधारण नियमों के अधीन देय उपदान, युद्ध-उपदान और उन के पदकों और पुरस्कारों से सम्बन्धित आर्थिक भत्तों के रूप में वित्तीय सुविधाएं भी दी जाती हैं।

उपरोक्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगे और सहायता देने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ बता सकती है कि आज़ाद हिन्द फौज के कितने कर्मचारियों को भारतीय सेना में ले लिया गया है और कितने अभी नहीं लिये गये ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मेरे पास पदाधिकारियों के सम्बन्ध में आंकड़े हैं। उन १८ पदाधिकारियों में से जिन्हों ने कमीशन के लिए प्रार्थना पत्र भेजे थे, दस को उपयुक्त नहीं समझा गया, सात को स्थायी कमीशन दे दिये गये हैं या अल्पकालीन सेवा के नियमित कमीशन दे दिये गये हैं, और एक के मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री झूलन सिंह : क्या यह सच है कि जिन पदाधिकारियों को सेना में ले लिया गया है उन्हों ने उस कालावधि के लिए पारिश्रमिक मांगा है जब वे भारतीय सेना से बाहर और आज़ाद हिन्द फौज में थे ?

सरदार मजीठिया : मुझे इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिए।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को विदित है कि आज़ाद हिन्द फौज सहायता तथा जांच समिति ने आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारि-वृन्द पर लगाये गये इस लांछन और सरकार की आज़ाद हिन्द फौज विरोधी नीति के सम्बन्ध में शिकायतें और स्मरण पत्र भेजे हैं, जो कि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के विपरीत हैं ?

सरदार मजीठिया : मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सरकार आज़ाद हिन्द फौज विरोधी नहीं है और विशेषत: जब कि प्रधान मंत्री सभापति हैं तो सरकार आज़ाद हिन्द फौज की समर्थक होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

***५५२. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आयोग द्वारा प्रस्तावित नये वेतन-क्रम लागू करने के लिए सरकार का १० लाख रुपये का अनुदान देने का विचार है;

(ख) क्या यह अनुदान देश के केवल कुछ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों और अध्यापकों को दिया जायेगा; और

(ग) क्या पटना और बिहार विश्व-विद्यालयों ने भी सरकार से इन अनुदानों के लिए प्रार्थना की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए कतिपय न्यूनतम वेतन क्रम लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता करने का निश्चय किया है। आयोग सरकार द्वारा उसे दिये गये धन में से विश्वविद्यालयों को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अनुदान देगा।

(ख) आयोग ने उन विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का निश्चय किया है, जहां आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतनक्रम से कम वेतन-क्रम है। उन्होंने यह भी निश्चय किया है कि यह अनुदान उन अध्यापकों को नहीं दिया जायेगा जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं।

(ग) जी हां।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पटना और बिहार विश्वविद्यालयों को अनुदान देने से इन्कार कर दिया है ?

डा० एम० एम० दास : बिहार विश्वविद्यालय ने अभी तक वे निश्चित आंकड़े नहीं दिये हैं जो विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने इस सम्बन्ध में मांगे हैं। आयोग को पटना और बिहार विश्वविद्यालयों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है कि इन के अध्यापक सरकारी कर्मचारी हैं अथवा नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों से उत्तर न मिलने के कारण उन की मांगों को विचाराधीन रख लिया है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा मैं ने बताया है, अनुदान देने की शर्तों में से एक यह है कि यदि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सरकार ने नियुक्त किया हो—यदि वे सरकारी कर्मचारी हों—तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं देगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह राशि अध्यापकों को निजी भत्तों के रूप में दी जायेगी या यह संशोधित वेतन क्रम के रूप में दी जायेगी और क्या संशोधित वेतन क्रम अनुदर्शी प्रभाव से लागू होगा ?

डा० एम० एम० दास : इस का कोई अनुदर्शी प्रभाव नहीं होगा, परन्तु इस से उन के वेतन-क्रम और भविष्य निधि इत्यादि में उन के अंशदान में वृद्धि नहीं होगी। यह निजी भत्ते के रूप में दिया जायेगा।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस के अध्यापक इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : दिल्ली के अध्यापक इस योजना के अन्तर्गत आ गये हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रार्थनापत्र पर विचार किया जा रहा है और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इस अनुदान के क्षेत्र से बाहर है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या यह एक तदर्थ अनुदान है, क्या जिन वेतन वृद्धियों का विचार किया गया है वह आवर्तक या स्थायी व्यय होगा और जब आगामी वर्षों में आवर्तक व्यय स्थायी रूप से बढ़ जायेगा, तो विश्वविद्यालय के अध्यापक क्या करेंगे ?

डा० एम० एम० दास : इस बात के सम्बन्ध में मैं निश्चय से कुछ नहीं कह सकता, परन्तु मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये अनुदान देता रहेगा।

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज, जलाहली

***५५३. श्री केशवैयंगार :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज जलाहली के कर्मचारियों का भारतीयकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में कालेज के कर्मचारियों में कितने विदेशी थे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रगति इस प्रकार है :

वर्ष	अंग्रेज़ शिक्षकों की संख्या
दिसम्बर, १९५२	३९
दिसम्बर, १९५३	२२
नवम्बर, १९५४	२०

श्री केशवैयंगार : क्या इन विदेशी विशेषज्ञों के सम्बन्ध में कुछ संविदाएं हाल ही में पुनः नई की गई हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : हां, श्रीमान् । ऐसी ही बात है ।

श्री केशवैयंगार : क्या यह सच है कि क्योंकि स्थानीय विशेषज्ञ उपलब्ध थे अतः सरकार सुगमता से इन संविदाओं को नया करने से बच सकती थी ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार ने यह जानने के लिए भरसक प्रयत्न किया है कि क्या देश में उपयुक्त शिक्षक उपलब्ध हैं । उन्हें ऐसे शिक्षक नहीं मिले । कई अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग को अपेक्षित अनुभव और अर्हताओं वाले उपयुक्त भारतीय शिक्षक नहीं मिले । मैं यह भी कह दूं कि भारतीय विमान बल में कुछ विस्तार के कारण और कार्य बढ़ने के कारण इस संख्या के बढ़ जाने की संभावना है ।

श्री केशवैयंगार : क्या हाल में ही लिये गये विशेषज्ञों में से एक को उस विषय के अयोग्य पाया गया जिस के लिए उसे लिया गया था और उसे वापस चले जाने के लिए कहा गया था ?

श्री सतीश चन्द्र: मुझे ऐसे किसी व्यक्तिगत मामले का पता नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भाग 'ग' राज्य

***५०७. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भाग 'ग' राज्यों में विधान-सभाओं तथा लोकप्रिय मंत्रिमण्डलों की स्थापना हुई है, उनकी प्रशासकीय दक्षता और दूसरी महत्वपूर्ण बातों के बारे में क्या सरकार को सामयिक प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से किस प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों (अब भाग 'ग' राज्यों) के सम्बन्ध में वार्षिक प्रशासन वृतान्तों का जारी किया जाना मितव्ययता के लिये १९४२ से बन्द कर दिया गया था। उसके बाद से सभी भाग ग राज्यों को नियमित रूप से वार्षिक प्रशासन वृतान्तों के प्रकाशन की व्यवस्था करने को सलाह दी गई है। कुर्ग राज्य के १९४७-४८ के प्रशासन वृतान्त की एक प्रति हाल ही में प्राप्त हुई है। विन्ध्य प्रदेश और भोपाल की सरकारों ने भी क्रमशः १९५३ और १९५० के लिये प्रशासन वृतान्त प्रकाशित किये हैं। इन वृतांतों में इन राज्यों के प्रशासन सम्बन्धी सभी विषय हैं ।

१९४७ से पूर्व के सिक्कों का वापिस लेना

***५१२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि गोआ के पुर्तगाली अधिकारियों ने यह प्रचार आरम्भ किया है कि भारत सरकार का १९४७ से पूर्व के सिक्कों को चलन से वापस ले लेने का विचार है और इस प्रकार वे लोगों को ऐसे सिक्के गोआ रक्षा निधि में

चन्दे के रूप में देने के लिये बाधित कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में ठीक ठीक स्थिति बतायेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). भारत सरकार को इस प्रकार के प्रचार का ज्ञान नहीं है। परन्तु यह सूचना मिली है कि गोआ में यह अफवाह बहुत जोरों से फैली हुई है कि राजा जार्ज षष्ठ के चित्र से अंकित भारतीय नोट वापस ले लिये जायेंगे । यह अफवाह बिल्कुल निराधार है ।

लोक-प्रशासन

*५१४ **श्री एस० एन० दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने लोक-प्रशासन के सम्बन्ध में अमर्र की सलाहकार के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों पर अब तक किस प्रकार के निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). निर्देश सम्भवतः १९५३ में प्रस्तुत किये गये श्री पाल एच० एपलबी के प्रतिवेदन से है। इस प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार ने अन्य प्राधिकारियों की सिफारिशों के साथ साथ, विशेषकर स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा की गई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई सिफारिशों के साथ विचार किया है । वास्तव में श्री एपलबी की कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं ; उनके सुझाव के अनुसार एक संगठन और प्रणाली विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थापित किया गया है और सरकार द्वारा चलायी जा रही एक लोक-प्रशासन संस्था ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । लोक-प्रशासन संस्था ने एक लोक प्रशासन स्कूल की स्थापना के लिए भी एक योजना रखी है । यह प्रस्थापना की गई है कि उक्त स्कूल स्नातक छात्रों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा गोष्ठियां और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम संगठित करे ।

श्री एपलबी की शेष सिफारिशें व्यक्तियों के प्रशासन, संगठन ढांचे और कार्य-प्रणाली विषयक साधारण सिद्धान्तों के सम्बन्ध में हैं । ये सिफारिशें उल्लिखित कर ली गयी हैं और व्यक्तिगत विभागों से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं को निपटाते समय उन पर विचार किया जायगा ।

केन्द्रीय सचिवालय

*५१५. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८५ के उत्तर का निर्देश कर के सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें संघ सरकार की सेवा कर रहे उन घोषित तथा अघोषित पदाधिकारियों की संख्या जिनके मुख्य कार्यालय विभिन्न अव्यवभूत राज्यों में हैं, दिखलायी गयी हो ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

युवक शिविर

*५१६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में विभिन्न राज्यों द्वारा संगठित युवक शिविरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को इन शिविरों के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ७० ।

(ख) शिविरों के कार्यकरण सम्बन्धी सूचनाएं मांगी गयी हैं और आशा की जाती है कि वे शीघ्र ही सरकार के पास पहुंच जायेंगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

विदेशी विनियोग

***५१७. श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५३ को भारत में विदेशी विनियोगों का कुल मूल्य कितना था;

(ख) वर्ष १९५३ में उन्होंने कितना लाभ प्राप्त किया है ; और

(ग) लाभ का कितना प्रतिशत भाग भारत में पुनः विनियोजित किया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है । इस समय भारत का रक्षित बैंक भारत की विदेशी , आस्तियों तथा दायित्व की गणना कर रहा है, और उसके पूर्ण हो जाने के बाद ३१ दिसम्बर, १९५३ तक की जानकारी प्राप्त होगी ।

(ख) तथा (ग). सरकार को जानकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय छात्र-सेना

***५१९. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्र सेना में कुल कितने छात्र सैनिक अब तक सेना, नौसेना तथा विमान बल में नियमित कमीशन के लिये चुने गये हैं ;

(ख) कितने छात्र सैनिकों को पहले ही कमीशन दिया जा चुका है ;

(ग) क्या इन छात्र सैनिकों के लिए विमान, बल तथा नौसेना में कोई रक्षण है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या रक्षण किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) विशेष राष्ट्रीय छात्र-सेना के प्रवेश से ११८ छात्र सैनिक सेना के लिए और पांच विमान बल के लिए चुने गए हैं । नौसेना के लिए विशेष राष्ट्रीय छात्र सेना का कोई प्रवेश नहीं है किन्तु सेना के तीन छात्र सैनिक नौसेना में स्थानान्तरित किये ग े थे क्योंकि वे सेना की आवश्यकता से अधिक थे ।

(ख) ६७ ।

(ग) तथा (घ). विमान बल में लिये जाने वाले पदाधिकारियों की संख्या में दस प्रतिशत राष्ट्रीय छात्र सेना के छात्र सैनिकों के लिए रक्षित हैं । नौसेना में रक्षण का प्रश्न विचाराधीन है ।

बैंकों का परिसमापन

***५२४. श्री इब्राहीम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में भारत में कितने बैंक परिसमापित हुए;

(ख) उनके परिसमापित होने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत में बैंक प्रणाली को स्थिर बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). १ जनवरी, १९५३ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक की अवधि में ३९ बैंक परिसमापित हुये । उन बैंकों के नाम तथा

उनके परिसमापित होने के कारण दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के अनेक उपबन्ध, और खास कर बाद वाले अधिनियम द्वारा रक्षित बैंक को दी गयी देखरेख तथा नियन्त्रण की शक्तियां देश में बैंकिंग प्रणाली को उत्तरोत्तर सुस्थिर बनाने के लिए रखी गयी हैं।

पेट्रोल की खोज

***५२५. श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** १५ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हुगली के दोनों किनारों पर स्थित क्षेत्रों का दौरा करने वाले शिल्पिकों के पूर्व परीक्षण दल ने अब तक क्या प्रगति की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): हुगली नदी के दोनों किनारों पर स्थित क्षेत्रों में गुरुत्व सर्वेक्षण किया जा रहा है।

खुदाई

***५२८. श्री बहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में पुरातत्व विभाग द्वारा अब तक प्रारम्भ किये गये नये खुदाई कार्य किस प्रकार के हैं , और

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक महत्व की कोई चीज प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) तथा (ख). १९५३-५४ में (३१ मार्च, १९५४ तक) किये गये पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई कार्यों की प्रकृति तथा उनके परिणाम "भारतीय पुरातत्व—१९५३-५४— एक पुनर्विलोकन" पृष्ठ ६—१२ पर दिये हुए हैं, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। खुदाई करने की नयी ऋतु अभी प्रारम्भ हुई है और परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही ज्ञात होंगे।

राज्यों के लिए संयुक्त पदालियां

***५३५. श्री आनन्द चन्द :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अधीन सभी भाग 'ग' में के राज्यों को पड़ौस के भाग 'क' अथवा भाग 'ख' में के राज्यों के साथ आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अफसरों की संयुक्त पदालियां दी जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संयुक्त पदालियों के बनाये जाने के सम्बन्ध में कतिपय प्रस्थापनाओं पर भारत सरकार ने विचार किया था। कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और अभी विषय विचाराधीन है।

बिहार को सहायता

***५३६. श्री बी० पी० सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग कितनी सहायता दी गयी है ; और

(ख) क्या इस सहायता में बुनियादी तालीम के लिये कोई रकम निश्चित कर दी गयी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए बिहार सरकार को १६, १९, ४८४ रुपये और माध्यमिक शिक्षा के लिए १, ४६, ५१५ रुपये केन्द्रीय सरकार की सहायता के तौर पर मंजूर किये गये हैं।

संपदा शुल्क

***५३८. श्री गणपति राम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पदा शुल्क के अपवंचन के कितने मामले पकड़े गये हैं। और कर इकट्ठा करने में तथा सम्पदा का मूल्य निर्धारित करने में सरकार को कौनसी साधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : कर अपवंचन का कोई मामला अब तक नजर में नहीं आया है, और सम्पदा का मूल्य निर्धारित करने तथा कर एकत्र करने में अब तक कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई है।

अफ़ीम

***५३९. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री १९५२-५३ और १९५३-५४ में भारत में अफ़ीम की खेती से प्राप्त राजस्व की राशि को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : १९५२–५३ और १९५३–५४ में अफ़ीम से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए राजस्व को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]**

शकुन्तला का अरबी में अनुवाद

***५४०. श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालिदास कृत 'शकुन्तला' के अरबी अनुवाद का मुद्रणाधिकार खरीदने में सरकार को कितना धन खर्च करना पड़ा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : भारत सरकार ने ८०,००० रुपये में छ पांडुलिपियों का मुद्रणाधिकार खरीदा है, जिसमें शकुन्तला की पांडुलिपि भी शामिल है और प्रत्येक पांडुलिपि के लिए व्यय का कोई संविभाजन नहीं किया गया है।

सहायता की प्रार्थना (बिहार)

***५४७. श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने माध्यमिक तथा मिडिल स्कूलों में नानाविध पाठ्यक्रमों तथा विज्ञान को जारी करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है तथा भारत सरकार द्वारा कितना रुपया मंजूर किया गया है ;

(ग) क्या किसी और राज्य ने भी इस प्रकार की कोई योजना तय्यार की है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने केन्द्र से कितनी सहायता मांगी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) हां, माध्यमिक स्तर के लिये।

(ख) केन्द्र से वर्ष १९५४-५५ के लिए १५,९१,१६८ रुपये तथा वर्ष १९५५-५६ के लिए ३०,८२,७५० रुपये की सहायता मांगी गई है। किन्तु अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) पश्चिमी बंगाल, सौराष्ट्र, हैदराबाद, भोपाल, पंजाब तथा त्रिपुरा ने अपनी

योजनायें पूरी कर ली हैं।

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों ने जितनी सहायता मांगी है वह इस प्रकार है :—

राज्य	मांगी गई सहायता १९५४-१९५५	मांगी गई सहायता १९५५-५६
पश्चिमी बंगाल	१६,४३,४०० रुपये	१,५०,००० रुपये
सौराष्ट्र	३२,२६,७४० रुपये (१९५४-५५ के लिये)	
हैदराबाद	५१,२९,००० रुपये (दो वर्ष के लिए)	
भोपाल	१,७६,३३२ रुपये	३,७६,४९६ रुपये
पंजाब	५६,१५,७१३ रुपये	२,५६,००० रुपये
त्रिपुरा	३,०४,००० रुपये	६१,००० रुपये

भूतपूर्व सैनिक

***५४८. श्री विभूति मिश्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४५ से अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को जमीन और रोजगार दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : १९४५ के बाद से उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिन्हें नौकरी दी गई है और जमीन पर बसाया गया है इस प्रकार है :—

(क) सरकारी गैर-सरकारी सेवाओं में लिये गये भूतपूर्व सैनिक	३,४७,४८६
(ख) व्यवसायिक प्रविधिक प्रशिक्षण	२२,४८५
(ग) परिवहन सेवा	२,१७६
(घ) जिनको बस्तियों में जमीन दी गई	७,३९३
कुल योग . .	३,७९,५४०

पर्वतारोहण संस्था

***५५४. श्री भीखाभाई :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतवर्ष में पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने दार्जिलिंग में एक संस्था की स्थापना की है;

(ख) इस संस्था के लिए कितना पूंजी आयव्ययक स्वीकृत किया गया है ;

(ग) प्रशिक्षार्थियों की संख्या और वहां प्रशिक्षण देने के लिये चुने गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) प्रशिक्षार्थियों तथा प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों की कम से कम क्या योग्यता अपेक्षित होगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने ४ नवम्बर, १९५४ को किया था। इसका प्रबन्ध एक स्वतन्त्र कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जाता है जिसमें भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार, जो कि इस संस्था के व्यय में अंशदान देती हैं, प्रतिनिधित्व है।

(ख) इस संस्था की कार्यकारिणी परिषद् ने पूंजी व्यय के निमित्त ६,५०,००० रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से केन्द्रीय सरकार ७० प्रतिशत तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ३० प्रतिशत के अनुपात से व्यय करेगी। केन्द्रीय सरकार ने पूंजी व्यय की मद में अभी तक १,००,००० रुपये स्वीकृत किये हैं।

(ग) पाठ्यक्रमों के बारे में अन्तिम रूप से अभी कुछ निश्चय नहीं किया गया है। बेसिक पाठ्यक्रमों में, जो आजकल वहां पढ़ाये जा रहे हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम में साधारणतया २४ प्रशिक्षार्थी होंगे। प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में विस्तृत बातें सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

(घ) प्रशिक्षार्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिएं और उनमें पाठ्यक्रम सिलेबस के आवश्यक तत्वों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। प्रशिक्षण देने वालों के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अभी तक निश्चित नहीं की गई है, और चुनाव तदर्थ आधार पर ही किया गया है।

खेड़िया स्थित भारतीय वायु बल के भांडार में अग्निकांड

*५५५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेड़िया (आगरा) के भारतीय वायु बल के भांडार में अक्टूबर १९५४ में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस आग लगने के फलस्वरूप कुल कितनी हानि हुई थी;

(ग) क्या आग लगने के कारण के सम्बन्ध में पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कारण क्या था?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). आग लगने के कारण मालूम करने तथा उसके कारण हुई हानि का अनुमान लगाने के लिये एक जांच अदालत बनाई गई है। जांच अदालत के निर्णयों की प्रतीक्षा है।

त्रिपुरा पत्रकार संघ

*५५६. **श्री दशरथ देव :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा पत्रकार संघ की ओर से सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला है जिससे यह शिकायत की गई हो कि यद्यपि संसद् कार्य मंत्री ने अप्रैल १९५४ में राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था त्रिपुरा में प्रैस सम्मेलन बुलाया जायेगा किन्तु फिर भी त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त कोई प्रेस सम्मेलन नहीं बुला रहे हैं;

(ख) क्या उपयुक्त पत्रकार संघ ने अखबारी कागज़ का आयात करने के लिए हवाई भाड़े के सम्बन्ध में कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि उपरोक्त प्रश्न (क) तथा (ख) के उत्तर हां में हों, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). भारत सरकार को त्रिपुरा पत्रकार संघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में पारित हुये संकल्पों की प्रतियां मिली हैं जो नियमित रूप से प्रैस सम्मेलन किये जाने तथा अखबारी कागज़ मंगाने में जो हवाई भाड़ा लिया जाता है उसमें कमी किये जाने के सम्बन्ध में है।

(ग) सरकार का विचार है कि त्रिपुरा को वायुयान द्वारा अखबारी कागज़ ले जाने

के लिये हवाई भाड़े में कमी करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसे पाकिस्तान में होकर स्थल मार्ग से भी लाया जा सकता है। जहां तक त्रिपुरा में प्रैस सम्मेलन करने की बात का सम्बन्ध है, उसके लिये तो यही कहा जा सकता है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी मुख्य आयुक्त प्रैस सम्मेलन बुलायेंगे ।

वेतन की उच्चतम सीमा

***५५७. श्री बी० पी० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन की कोई उच्चतम् सीमा निश्चित करने की बात सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निश्चित रकम क्या होगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशों के आधार पर, सरकार ने संशोधित वेतन नियमों के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के वेतन की उच्चतम् सीमा ३,००० रुपये निश्चित कर दी है ।

अमरीकी शिल्पिक सहयोग सहायता समझौता

***५५८. सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी शिल्पिक सहयोग सहायता समझौते के अधीन कितने भारतीयों को वर्ष १९५३-५४ में अमरीका भेजा गया था;

(ख) उनका चुनाव किस प्रकार किया गया था ; और

(ग) इस मद में सरकार ने व्यय का कितना प्रतिशत भाग वहन किया था ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) ८१ ।

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे सर्वप्रथम उनकी जांच सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाओं की विषय-वस्तु के आधार पर की गई थी। सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा जिन प्रशिक्षण प्रस्थापनाओं की सिपारिश की है उनकी अंतिम स्वीकृति के लिये योजना आयोग की केन्द्रीय समिति को भेज दिया गया था। केन्द्रीय समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत प्रस्तावों को संयुक्त राज्य सरकार के प्रविधिक सहकारिता मिशन को भेज दिया गया था ।

(ग) इस प्रशिक्षण का कुल व्यय, जिसमें कि भारतवर्ष से अमरीका तक का आने जाने का भाड़ा भी सम्मिलित है, अमरीका की सरकार ने दिया था। स्थानीय व्यय जैसेकि देश के भीतर स्थित स्थान से जहाज़ पर सवार होने वाले पतन तक का भाड़ा और प्रशिक्षार्थियों के देय वेतन प्रशिक्षार्थियों के नामों का सुझाव देने वाले प्राधिकारियों द्वारा वहन किया गया था ।

शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड

***५५९. बाबू रामनारायण सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री १५ सितम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इसकी बैठक तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में क्या नियम तथा प्रक्रियायें हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]** ।

खनन उद्योग

***५६०. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में पूंजी निगम नियंत्रक द्वारा खनन उद्योग के लिये पूंजी निर्गम करने से सम्बन्ध रखने वाले कितने मामले मंत्रालय के पास परामर्श के लिये भेजे गये ; और

(ख) उसी काल में कितने मामलों में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) ६ ।

(ख) ५ ।

ललित कला अकादमी

***५६१. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक ललित कला अकादमी की मुख्य गतिविधियां क्या रही हैं; और

(ख) इसी काल में कुल कितना रुपया व्यय किया गया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]** ।

(ख) ३१ अक्टूबर, १९५४ तक अकादमी द्वारा कुल १५,६२१ रुपया खर्च किया गया है ।

सैनिक सामान के कारखानों की पुनर्संगठन समिति

***५६२. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सैनिक सामग्री बनाने के कारखानों की पुनर्संगठन समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सैनिक सामग्री बनाने के कारखानों की पुनर्संगठन समिति लगभग अगले सप्ताह तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा करती है ।

अल्पकालीन सेवा कमीशन पदाधिकारी

***५६३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन पदाधिकारियों को स्वीकृत किये गये उपदान की वर्तमान दर क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि दर अभी हाल में ही कम कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जिन पदाधिकारियों को एक वर्ष के लिये अल्पकालीन सेवा कमीशन दिया गया था उनको सेवा की समाप्ति के समय जिस पद पर वह थे उस पद के एक मास के वेतन के बराबर उपदान पाने के अधिकारी हैं, किन्तु उनकी कुल सेवा के लिये यह धन राशि अधिक से अधिक ९०० रुपये तक हो सकती है । जो तीन या पांच वर्ष से अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त किये हुये हैं वह, अपने पद के अनपेक्ष, जितने पूरे वर्ष तीन या पांच वर्ष, जैसी भी स्थिति हो उन्होंने सेवा की है, उसके प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये ६०० रुपये के हिसाब से उपदान पाने के अधिकारी हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

विश्व बैंक से ऋण

*५६४. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री अमजद अली :
श्री इब्राहीम :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से ऋण लेने सम्बन्धी वार्त्ता सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में विश्व बैंक ने भारत को कितनी धनराशि ऋण के रूप में देने का वायदा किया है ;

(ग) किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये यह ऋण दिया जाने को है ; और

(घ) क्या यह किश्तों में दिया जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (घ) मेरे विचार से माननीय सदस्यों का निर्देश विश्व बैंक के साथ हुई वार्त्ता से है जो कि भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम (इंडियन इंडस्ट्रियल क्रैडिट तथा इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन) तथा दी ट्राम्बे थर्मल इलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट के लिये ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में हाल ही में वाशिंगटन में हुई थी । विनियोग निगम के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार अभी जारी है ।

ट्राम्बे के सम्बन्ध में बक ने टाटा के थर्मल पावर प्रोजैक्ट के लिये १६२ लाख डालर के ऋण की स्वीकृति दी है । यह धनराशि परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने वाले सार्थों द्वारा आवश्यकता होने पर , अन्तिम तिथि तक जो कि ३० जून, १९५८ होगी, ली जा सकती है ।

अगरतला (त्रिपुरा) में आग बुझाने के प्रबन्ध

*५६५. **श्री दशरथ देव** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला में अभी आग बुझाने से सम्बन्धित कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं यद्यपि उस के लिये आय-व्ययक स्वीकृति दी हुई हैं ;

(ख) यदि हों, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां आग बुझाने के प्रबन्ध कब तक पूरे हो जायेंगे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) किस प्रकार के यंत्र क्रय किये जायें इसे निश्चित करने में कुछ देरी हुई है, परन्तु इस कार्य के लिये अन्तरिम उपाय के रूप में एक उपयुक्त ट्रेलर पम्प खरीद कर इसका प्रबन्ध कर दिया गया है । कुछ पुलिस के सिपाहियों को आग बुझाने के कार्य ठीक श्रीगणेश करने के लिये प्रशिक्षण भी दिया गया है ।

(ग) आग बुझाने के प्रबन्ध को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

४२७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने १९५४–५५ में अभी तक कितनी धनराशि दी है ;

(ख) वे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं ; और

(ग) यह धन किन कार्यों के लिये दिया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]

अधिमान्य शुल्क

४२८. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू प्रशुल्क अधिनियम के अधीन (१) ब्रिटेन तथा (२) ब्रिटेन के उपनिवेशों से १९४७-४८ तथा १९५३-५४ में अधिमान्य शुल्क वाली वस्तुओं पर से कितना धन आयात शुल्क के रूप में इकट्ठा किया गया है; और

(ख) यदि इन दो वर्षों में अधिमान्य शुल्क के स्थान पर प्रमाणित शुल्क लिया जाता तो आगणना के पश्चात् यह धनराशि कितनी होगी?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिमान्य शुल्क वाली वस्तुओं पर १९४७-४८ तथा १९५३-५४ में क्रमशः लगभग ९·४२ करोड़ रुपया तथा १७·१ करोड़ रुपया आयात शुल्क के रूप में इकट्ठा हुआ। ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के अलग-अलग आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। इस आगणना के लिये ब्रिटेन द्वारा बनाई गई कुछ वस्तुओं पर, जैसे लोहा तथा इस्पात पर, जो कि प्रशुल्क अनुसूची के ६३वें पद के अन्तर्गत आती है, शुल्क की निम्न दरों को अधिमान्य शुल्क समझा गया है। इसके पश्चात् १९४७-४८ के आंकड़ों में क्रमशः १ तथा १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त तथा पूर्वी बंगाल के समुद्र द्वारा हुए सीधे व्यापार के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

(ख) यदि इन वस्तुओं पर अधिमान्य शुल्क के बजाय प्रमाणित शुल्क वसूल किया जाता तो यह वसूल की गई रक़म १९४७-४८ में लगभग १४·२० करोड़ रुपया तथा १९५३-५४ में २१·७३ करोड़ रुपया हो।

रूई

४२९. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि रूई निर्माताओं द्वारा रूई शुल्क के लौटाये जाने के कितने दावे किये गये हैं?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का निर्देश उन अनेक दावों की ओर है जो कि आयात की गई उस रूई पर लिये गये वापस दिये जाने वाले शुल्क के लौटाये जाने के सम्बन्ध में किये गये थे जिसे उस कपड़े के बनाने में काम में लाया गया था जिससे बाद को निर्यात कर दिया गया था। कपड़ा बनाने के कार्य में लाई गई आयात की गई रूई पर शुल्क के वापस दिये जाने की योजना २६ नवम्बर, १९५३ से १५ जून, १९५४ तक लागू रही थी तथा उस तिथि को कपास पर से आयात शुल्क के हटा लिये जाने के कारण इसे वापस ले लिया गया था। दावों की कुल संख्या ८,०३६ थी।

लघु बचत योजना

४३०. **श्री अनिरुद्ध सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु बचत योजना का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या तरीके अपनाये गये हैं; और

(ख) इस बारे में ३१, मार्च १९५४ तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी है?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) प्रचार इन तरीकों से किया जाता है

(१) समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर

(२) प्रचार साहित्य जैसे इश्तहार, पर्चे, फोल्डर, कैलेण्डर स्याही सोख्ते, बुकमार्क्स आदि बांट कर।

(३) इश्तहार तथा पोस्टर चिपका कर ।

(४) होर्डिंग तथा स्लोगन बोर्डों के द्वारा ।

(५) नियोन साइन, कलर चेंजर, (रंग पलेटों) ब्लिंकर्स आदि के द्वारा ।

(६) सिनेमा स्लाइडों के द्वारा ।

(७) शिक्षात्मक फिल्मों तथा स्लाइडों के द्वारा ।

(८) ग्रामोफोन रेकार्डों के द्वारा ।

(९) रेडियो ।

(ख) पिछले तीन वर्षों का व्यय इस प्रकार रहा है :—

१९५१-५२	५.२ लाख रुपये
१९५२-५३	६.६ लाख रुपये
१९५३-५४	५.७ लाख रुपये
	(लगभग)

मनीपुर में लोक निर्माण विभाग

४३१. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में कितने जनवास्तु विभाग इस समय कार्य कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक विभाग को कितना काय बांटा गया है ;

(ग) प्रत्येक विभाग का संस्थापन व्यय कितना है ;

(घ) वहां एक से अधिक जन-वस्तु विभाग स्थापित करने का क्या उद्देश्य तथा आवश्यकता है ; और

(ङ) क्या मितव्ययता के हेतु सरकार वहां केवल एक ही जनवास्तु विभाग रखने की प्रस्थापना करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बचत यूनिट की सिफारिशें

४३२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय पर नियुक्त 'बचत यूनिट' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये और कमी किये गये कर्मचारियों को दूसरी नौकरियों पर रखने के लिये मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मैमोरेंडम संख्या ७१/७२/५३—डी० जी० एस०, दिनांक ३ अक्टूबर, १९५३, के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैमोरेंडम के पैरा २ में दी गई विभिन्न शर्तों के अनुसार कितने व्यक्तियों को "ओवर राइडिंग प्रायरटी" दी गई और उनमें से कितनों को नौकरियां दी गयीं और कितनों को अयोग्य बतलाया गया ; और

(ख) जिन लोगों को 'बचत यूनिट' की सिफारिशों के अनुसार नौकरी से अलग किया गया, उनमें से कितनों ने अपने को एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में रजिस्टर कराया ौर उस के फलस्वरूप कितनों को ौकरियां मिलीं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी तत्काल ही प्राप्य नहीं है तथा प्राप्य होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बचत यूनिट की सिफारिशें

४३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय पर नियुक्त "बचत यूनिट' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये और कमी किये गये कर्मचारियों को दूसरी नौकरियों पर रखने के लिये मंत्रालय द्वारा जारी किये मये मैमोरेंडम संख्या ७१/७२/५३—डी० जी०

एस०, दिनांक ३ अक्टूबर, १९५३ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बचत यूनिट की सिफारिशों के फलस्वरूप कर्मचारियों के नौकरियों से निकाले जाने के बाद विभिन्न विभागों में कितने स्थान रिक्त हुये, और इन निकाले गये लोगों को कितने स्थानों पर नौकरियां दी गयीं और कितने स्थान नये व्यक्तियों को दिये गये ;

(ख) इन स्थानों पर नौकरियों से निकाले गये व्यक्तियों के स्थान पर नये व्यक्तियों के नियुक्त किये जाने का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी :—

(१) जून, १९५४ तक निकाले गये व्यक्तियों की उन के पद और काम के वर्गीकरण के अनुसार संख्या ; और

(२) जून, १९५४ तक निकाले गये व्यक्तियों के अतिरिक्त नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों की उनके पद और काम के वर्गीकरण के अनुसार संख्या ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : माननीय सदस्य का ध्यान चौधरी रघुवीर सिंह के ११ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । उसमें बताया गया था विशेष पुनर्संगठन यूनिट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उस समय तक ६७८ व्यक्ति अतिरेक घोषित किये गये थे जिनमें से ५७१ को पुनः नियुक्त कर लिया गया था ।

प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक में मांगी गई जानकारी तत्काल प्राप्य नहीं है तथा प्राप्य होने पर यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अम्बरनाथ में मशीनी औजारों के मूलरूप निर्माण का कारखाना

४३४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ की मशीनी औजार मूलरूप फ़ैक्टरी अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रही है तथा सैनिक सामान के कारखानों की मशीनी औज़ारों सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ है; और

(ख) इस फ़ैक्टरी से सम्बन्धित दस्तकारी प्रशिक्षण स्कूल में कितने प्रविधिविज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अम्बरनाथ की मशीनी औज़ार आद्य रूप फ़ैक्टरी को पूरी क्षमता से कार्य करना इतना शीघ्र संभव नहीं है क्योंकि पूरी क्षमता से कार्य करना तभी संभव हो सकता है जबकि विभिन्न प्रकार के मशीनी औज़ारों के प्रारम्भिक रूपांकन का कार्य पूरा हो जाये । परन्तु फ़ैक्टरी योजना बद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है तथा आशा की जाती है कि १९५७ तक यह पूर्ण क्रियाकारी क्षमता से कार्य करने लगेगी ।

(ख) इस समय दस्तकारी प्रशिक्षण स्कूल में तीन सौ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । १७५ विद्यार्थियों ने तीन वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है । सरकार प्रतिवर्ष लिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को १०० से बढ़ा कर १५० कर देने का विचार कर रही है ।

वायु बल के लिये ग्लाइडर

४३५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारत में वायु सेना के लिये ग्लाइडरों की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वायु सेना को आवश्यकताओं को विकास योजना से सहयोजित कर दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, किसी सीमित सीमा तक ।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

वागा (पंजाब) के मार्ग से आयात और निर्यात

४३६. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में अभी तक वागा चुंगी चौकी के मार्ग से भारत में कितना माल आयात किया गया और उसी मार्ग से कितना निर्यात किया गया ;

(ख) इसी अवधि में कितना आयात और निर्यात शुल्क एकत्र किया गया; और

(ग) १९५२–५३ और १९५३–५४ के वागा चुंगी चौकी के मार्ग से आयात और निर्यात किये गये माल के परिमाण के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]**

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

४३७ श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के हेतु राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के निमित्त की गई धन राशि में से पंजाब को कितना धन दिया गया है ;

(ख) पंजाब सरकार ने इस धन को किस प्रकार से व्यय किया है ;

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है और उन्हें किस प्रकार का रोज़गार दिया गया है ; और

(घ) कितने भूतपूर्व सैनिकों को अभी पुनर्वासित करना शेष है और सरकार उन्हें किस प्रकार से पुनर्वासित करना चाहती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के हेतु पंजाब सरकार को १,९९,५०० पये का अनुदान दिया गया है ।

(ख) पंजाब सरकार ने करनाल ज़िले में भूतपूर्व सैनिकों की भूमि सम्बन्धी बस्ती को विकसित करने के लिये १,८६,००० रुपये व्यय किये हैं और जिन भूतपूर्व सैनिकों ने श्रम-मन्त्रालय की संस्थाओं (डी० जी० आर० ई०) में व्यवसायिक प्राविधिक शिक्षण प्राप्त किया था उनको वृत्तियां देने में १३,५०० रुपये व्यय किये हैं ।

(ग) सन् १९५० से ४०५२ भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(१) भूमि सम्बन्धी बस्तियों में	४७५
(२) सरकारी गैर-सरकारी सेवा में	३,५३२
(३) व्यवसायिक प्राविधिक प्रशिक्षण में	४५
कुल	४०५२

(घ) प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, ४,२२० भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार की आवश्यकता है और १०,५०० भूमि सम्बन्धी पुनर्वास चाहते हैं । सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवा में तथा भूमि सम्बन्धी बस्तियों में जहां तक सम्भव हो सकेगा उन्हें पुनर्वासित करने का प्रयत्न किया जायगा ।

भूतपूर्व सैनिक

४३८. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का बंटवारा किस प्रकार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस बंटवारे के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों के कुछ आवेदन पत्र अब भी विचाराधीन हैं ; और

(ग) अभी तक (राज्यवार) कितनी भूमि बांटी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) राज्य सरकारें भूमि भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी संस्थाओं को बांटती हैं जो बाद को अपने सदस्यों को देती हैं ।

(ख) सरकारों के पास विचाराधीन आवेदन पत्रों का विवरण इस प्रकार है :

संख्या	राज्य	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या
१.	उत्तर प्रदेश	२५८
२.	हैदराबाद	५५
३.	मद्रास	४२२
४.	मैसूर	६६
५.	त्रावनकोर-कोचीन	४७३
६.	पंजाब	१०,५००
	कुल	११,७७४

(ग) अब तक जितनी भूमि भूतपूर्व सैनिकों को दी जा चुकी है उस का विवरण इस प्रकार है :

संख्या	राज्य	बांटी गई भूमि एकड़ों में
१.	उत्तर प्रदेश	१७,११५
२.	हैदराबाद	६०५
३.	मद्रास	१८,५९१
४.	मैसूर	३४०
५.	त्रावनकोर कोचीन	१,१५६
६.	पंजाब	४,७५०
७.	राजस्थान	११,४६७
८.	भोपाल	२,४४०
९.	मध्य भारत	४००
१०.	आंध्र	६,००८
	कुल ..	६२,८७२

स्वर्ण खोजक

४३९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे "स्वर्ण खोजक" यंत्र जो बम्बई और कलकत्ते की सीमा शुल्क-चौकियों को भेजे गये हैं सन्तोषजनक रीति से काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक उनकी सहायता से कितने मामले पकड़े गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) (क) वह यंत्र सन्तोषजनक रीति से काम कर रहा है ।

(ख) बम्बई के स्वर्ण खोजक यंत्र की सहायता से नौ मामले पकड़े गये जिनसे चौदह व्यक्ति सम्बन्धित थे । कलकत्ते में स्वर्ण खोजक की सहायता से एक मामला पकड़ा गया जिससे नौ व्यक्ति सम्बन्धित थे ।

तम्बाकू उद्योग में विदेशी विनियोग

४४०. श्री सी० आर० चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में तम्बाकू उद्योग में विदेशी विनियोग की रकम कितनी है ; और

(ख) इस लेखे पर १९५२, १९५३ और १९५४ में अभी तक लाभ की कितनी रकम भेजी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) १ जुलाई, १९५४ को १५ ८६ करोड़ रुपये इस में ३० जून, १९४८ के पश्चात् सामान्

तथा उपकरण के रूप में जो विनियोग किया गया और लाभ का जो पुनर्विलोकन नियोग किया गया वह सम्मिलित नहीं है।

(ख) १९५२-५३ २.७४ करोड़ रुपये
१९५३-५४ ०.७८ करोड़ रुपये

भेज गये लाभ के आंकड़े पत्री वर्ष के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं।

लिगनाइट के निक्षेप

४४१. श्री सी० आर० अय्युण्णि : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण-भारत में लिगनाइट के किन्हीं निक्षेपों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) इन क्षेत्रों से कितने परिमाण में लिगनाइट प्राप्त हो सकता है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग) तक। प्राप्त सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]**

बाढ़ पीड़ितों की सहायता

४४२. श्री एस० सी० सामन्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विदेश स्थित दूतावासों ने भारत में आई बाढ़ों के सम्बन्ध में उचित रूप से प्रचार कार्य किया था;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित इन में से कुछ दूतावासों ने वहां के स्थानीय लोगों को इस उद्देश्य के लिये चन्दा इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसा हुआ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). विदेश स्थित भारतीय मिशनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक वित्त निगम

४४३. सेठ गोविन्द दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने ऐसे उपक्रमों को कितनी राशि दी है जो परस्पर सम्बद्ध हैं ; और

(ख) इन उपक्रमों के प्रधान प्रबन्धकों या संचालकों के नाम क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एस० सी० गुहा) : (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का 'परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों' से क्या तात्पर्य है। फिर भी, जो संस्थायें अपने प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के द्वारा परस्पर सम्बद्ध हैं उन के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सम्बद्ध कर दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]** पिछले छः वर्षों में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा १०८ समवायों को स्वीकृत किये गये कुल २०,७३,-७५,००० रुपये के ऋण में से ३१२.५ लाख रुपय की कुल राशि इन १८ संस्थाओं के लिये स्वीकृत की गई है।

शिक्षा पर औसत व्यय

४४४. सेठ गोविन्द दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में निम्नलिखित वर्गों के प्रत्येक छात्र की शिक्षा पर कितना औसत व्यय पड़ता है :

(१) स्नातकोत्तर कक्षायें ;

(२) स्नातक कक्षायें ;

(३) उच्चतर माध्यमिक ;

(४) मिडिल कक्षा ; और

(५) प्रारम्भिक कक्षा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (१) से (५). शिक्षा के इन विभिन्न स्तरों के अनुसार जैसे स्नातकोत्तर उपाधि स्तर, स्नातक उपाधि स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, मिडिल स्तर और प्रारम्भिक स्तर व्यय के आंकड़े देना सम्भव नहीं है फिर भी, विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं में प्रति विद्यार्थी औसत वार्षिक व्यय इस प्रकार है :—

	रुपये
(१) कला और विज्ञान महा विद्यालय	३३७
(२) उच्चतर माध्यमिक स्कूल	११६
(३) हाई स्कूल	९१
(४) मिडिल स्कूल	६५
(५) प्राइमरी स्कूल (जूनियर बेसिक सहित)	६७

प्रादेशिक सेना

४४५. श्री केशवयंगार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सेना की भर्ती को प्रोत्साहन देने हेतु बनाई गई मैसूर राज्य परामर्शदात्री समिति की संरचना क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ७ नवम्बर, १९५४ के भारत सरकार के संकल्प संख्या १२५४ की एक प्रति जिस में समिति की संरचना दिखाई गई है सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

प्रादेशिक सेना

४४६. श्री केशवयंगार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना की भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिये बनाई गई किसी समीपवर्ती राज्य की परामर्शदात्री समिति में कुर्ग का कोई प्रतिनिधि है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) परामर्शदात्री समिति में कुर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं है क्योंकि उस राज्य में प्रादेशिक सेना की कोई इकाई नहीं बनाई गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

मनीपुर में अनाथालय स्कूल

४४७. श्री रिशांग किशिंग : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ से १९५४ में अब तक भारत सरकार द्वारा कितनी धन राशि मनीपुर में अनाथालय स्कूलों के खोलने पर व्यय की गई है;

(ख) मनीपुर में अनाथालय स्कूलों की संख्या तथा उन में अनाथों की संख्या क्या है;

(ग) इन में से प्रत्येक स्कूल पर सरकार द्वारा कितना वार्षिक व्यय किया जाता है; और

(घ) सन् १९५४ से १९५६ तक ऐसे कितने स्कूल खोले जाने को हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (घ). कोई नहीं ।

भारतीय सैनिक मिशन

४४८. श्री टी० के० चौधरी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम जिन में हम ने उन देशों में पहले से स्थित हमारे कूटनीतिक मिशनों के होते हुए सैनिक मिशन या सैनिक सहचारी नियुक्त किये हैं;

(ख) क्या इन मिशनों में कार्य कर रहे सैनिक पदाधिकारियों की सेवायें उन की क्रियाकारी सेवा अवधि में सम्मिलित की जाती हैं;

(ग) क्या इन पदाधिकारियों के वेतन तथा उपलब्धियां रक्षा आयव्ययक से दी जाती हैं अथवा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के आयव्ययक से; और

(घ) विदेशों में स्थित इन मिशनों में सेवायुक्त पदाधिकारियों की संख्या क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) उन देशों की एक सूची, जिन में हमारे सेवा सहचारी हैं, सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) क्योंकि क्रियाकारी सेवा का अर्थ युद्धक्षेत्र में की गई सेवा से है, इसलिये इन पदाधिकारियों द्वारा इन कूटनीतिक मिशनों में की गई सेवा को उन की क्रियाकारी सेवा अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है ।

(ग) इन पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते रक्षा सेवा प्राक्कलनों से दिये जाते हैं ।

(घ) ऐसे पदाधिकारियों की कुल संख्या ८७ है ।

वायु बल

४५०. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायबल में प्रविष्ठ होने वाले शिशुओं के लिये कोई नई प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

खुदाई (गढ़ नाला)

४५१. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालागढ़ में की गई खुदाई से सिन्धु घाटी सभ्यता के पतन तथा मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बीच की लुप्त कड़ी पर कोई अग्रेतर प्रकाश पड़ा है;

(ख) यदि हां, मूल्यवान खोजों के परिणामस्वरूप, क्या सरकार उस क्षेत्र की कोई प्रकृष्ठ तथा बड़े पैमाने पर खोज कराये जाने की प्रस्थापना करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस खोज कार्य पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने नालागढ़ में कोई खुदाई कार्य नहीं कराया है । वह वस्तुतः नालागढ़ की सीमा से कोई पांच या छः मील परे रोपड (पंजाब) में खुदाई कार्य करा रही है । इस खुदाई कार्य के परिणाम "भारतीय पुरातत्व, १९५३–५४, एक पुर्नविलोकन" में दिये गये हैं, जिस की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने नालागढ़ में कई स्थानों की खोज की है । पंजाब की नदी घाटियों की खोज सम्बन्धी विशाल योजना के एक भाग के रूप में उस क्षेत्र में प्रकृष्ठ खोज कार्य को कदाचित जारी रखा जायें ।

(ग) इस अवस्था पर कोई अनुमान नहीं दिये जा सकते हैं ।

सैनिक दुग्धशालायें

४५२. सरदार इकबाल सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सैनिक दुग्धशालाओं का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह उत्पादन सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो कोई अतिरेक उत्पादन सैनिक उपभोग के लिये भी दिया जाता है;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस कमी को खुले बाजार से दुग्ध तथा अन्य वस्तुओं को खरीद कर पूरा किया जाता है; और

(ङ) क्या यह देखने के लिये कि सैनिक दुग्धशालायें मितव्ययी रूप से चलाई जा रही हैं सरकार ने उन क्षेत्रों में जहां सैनिक दुग्धशालायें स्थापित हैं, चल रही असैनिक दुग्धशालाओं की उत्पादन लागत की तुलना इन उत्पादन लागत से की है।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) गत सितम्बर में भारतीय सैनक दुग्धशालाओं का उत्पादन इस प्रकार था :—

(१)	दुग्ध	२४,३३,२४३ पौंड
(२)	मलाई (क्रीम)	२५,७५५ पौंड
(३)	मक्खन	१८,६७५ पौंड

(ख) से (घ). जहां उत्पादन फ़ार्म स्थित है, उत्पादन साधारणतया पर्याप्त होता है परन्तु ग्रीष्म ऋतु में पशुओं का दूध सूख जाने के कारण, कभी कभी कमी हो जाती है, जिसे खुले बाजार से खरीद कर के पूरा कर लिया जाता है। जाड़े की ऋतु में उत्पादन आवश्यकता से अतिरेक रहता है और उसे लाभ से राज्य तथा असैनिकों को बेच दिया जाता है।

(ङ) क्योंकि उत्पादन, निर्माण, पहुंचाने तथा लेखा रखने की वही प्रणालिय हैं जो कि सैनिक फ़ार्मों में काम में लाई जाती हैं किन्हीं असैनिक दुग्धशालाओं को ज्ञात नहीं हैं, इस लिये कोई ठीक तुलना करना संभव नहीं है फिर भी प्रायः सभी सैनिक फ़ार्म लाभ पर चल रहे हैं।

बुनियादी शिक्षा

४५३. श्री राम दास: क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ और १९५३–५४ में कितने प्राथमिक स्कूलों को, किन किन राज्यों में बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) वरिष्ट और कनिष्ट अध्यापकों के लिए, राज्यवार, कितनी बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें हैं; और

(ग) १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ के वर्षों के लिए तथा सितम्बर, १९५४ तक केन्द्रीय सरकार ने, राज्यवार, बुनियादी शिक्षा के विस्तार के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी है?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) और (ख). यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

अफ़ीम

४५४. श्री आर० सी० शर्मा: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में १९५३ में अफीम की खेती कितने एकड़ भूमि में की गई थी;

(ख) अफीम की खेती पर वहां के कितने परिवार निर्भर हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में इस खेती पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं;

(घ) यदि सच है, तो इन प्रतिबन्धों का स्वरूप क्या है;

(ङ) अफीम की खेती में काम न आने वा ी ज़मीन का क्या उपयोग किया जायेगा; और

(च) अफीम के विस्थापित काश्तकारों के परिवारों की बेकारी की समस्या का क्या हल सोचा जा रहा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) मध्य भारत में १९५३-५४ में १९,९९४ एकड़ भूमि में अफीम की खेती की गयी थी ।

(ख) मांगी गयी सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । फिर भी १९५३-५४ में ३८,२६३ कृषकों को अनुज्ञप्तियां दी गयी थीं ।

(ग) और (घ). इस वर्ष इस के अतिरिक्त कि अफीम की खेती की भूमि में कमी की जायेगी कोई नये प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं । भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये कुछ विशेष सिद्धान्तों के अनुसार अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं और वह सिद्धान्त वर्तमान फसल अर्थात् १९५४-५५ (१-१०-५४ से ३०-९-५५ तक) पर लागू कर दिये गये हैं ।

(ङ) और (च). कृषक गन्ना, गेहूं, जौ, चना और कपास, आदि जैसी नकद फसलें पैदा करेंगे । और इस प्रकार बेरोज़गारी का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुक्रमणिका

लोक-सभा वाद-विवाद भाग १

खंड ६—अंक ११

३० नवम्बर, १९५४

अ

अखिल भारतीय सेवा (यें)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

राज्यों के लिये संयुक्त पदालियां ९०४

अगरतला——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

——(त्रिपुरा) में अग्निकांड ८८१-८२

——(त्रिपुरा) में आग बुझाने के प्रबन्ध ९१६

अग्निकांड——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अगरतला (त्रिपुरा) में——८८१-८२

खेड़िया स्थित भारतीय वायु दल के भांडार में——९०९-१०

अधिनियम——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अधिमान्य शुल्क ९१७-१८

बैंकों का परिसमापन ९०२-०३

अधिमान्य शुल्क——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अधिमान्य शुल्क ९१७-१८

अध्यापक (कों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

विश्व विद्यालय अनुदान आयाग ८९४-९६

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज जलाहली ८९६-९७

अनाथालय——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

मनीपुर में——स्कूल ९३०

अनुज्ञप्ति (यां)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अफीम ९३४——३६

अनुदान (नों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास ९२३—२४

योगाश्रम ८८३—८४

विश्व विद्यालय——आयोग ८९४——९६, ९१६-१७

अनुवाद——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

शकुन्तला का अरबी में—— ९०५-०६

अनुसन्धान——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

पैट्रोल की खोज ९०३

राष्ट्रीय औषधीय-प्रयोगशाला, लखनऊ ८८०-८१

520 L.S.D.

अनुसूचित आदिम जाति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छात्रों की छात्रवृत्तियां ८८५-८६

अनुसूचित जाति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छात्रों की छात्रवृत्तियां ८८५-८६

अफीम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अफ़ीम ९०५, ९३४—३६

अमजद अली, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
विश्व बैंक से ऋण ९१५

अमरीका, संयुक्त राज्य—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरीकी शिल्पिक सहयोग सहायता समझौता ९११-१२

अम्बरनाथ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में मशीनी औज़ारो ... रूप निर्माण का कारखाना ९२२

अम्बाला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सेना की टुकड़ी में विस्फोट ८८७

अय्युण्णि, सी० आर०—
के द्वारा प्रश्न—
लिगनाइट के निक्षेप ९२७

अरबी, भाषा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
'शकुन्तला' का अरबी में अनुवाद ९०५-०६

अर्थ व्यवस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मुद्रा में कमी ८६४-६५

अर्थदण्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६२—६४

अर्हता (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फ्रांसीसी सांस्कृतिक शिष्ट मंडल ८६७

आ

आग बुझाने के प्रबन्ध—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अगरतला (त्रिपुरा) में —९१६

आगरा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खेड़िया स्थित भारतीय वायु बल के भांडार में अग्निकांड ९०९-१०

आज़ाद, श्री भागवत झा—
के द्वारा प्रश्न—
ऋणों का उपयोग ८७६—७८

आज़ाद हिन्द फौज, भूतपूर्व—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के सैनिक ८९२—९४

आनन्दचन्द, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

राज्यों के लिये संयुक्त पदालियां ९०४

आय-कर विभाग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९०-९२

आयात--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

ब्रिटिश वस्त्र--के लिये रियायतें ८७४-७५

वागा (पंजाब) के मार्ग से--और निर्यात ९२३

आयात शुल्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अधिमान्य शुल्क ९१७-१८

रूई ९१८

आयुध कारखाना (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सैनिक सामान के कारखानों की पुनसंगठन समिति ९१४

आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विश्वविद्यालय अनुदान--८९४-९६, ९१६-१७

आरा मिल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आरा मिल ८७८-७९

आर्थिक सहायता--

देखिये "सहायता (यें)"

इ

इकबाल सिंह, सरदार--

के द्वारा प्रश्न--

अफीम ९०५

अमरीकी शिल्पिक सहयोग सहायता समझौता ९११-१२

सैनिक दुग्धशालायें ९३२-३३

इब्राहीम, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

बैंकों का परिसमापन ९०२-०३

विश्व बैंक से ऋण ९१५

उ

उड़ीसा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

छात्रों की छात्र वृत्तियां ८८५-८६

उत्पादन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सैनिक दुग्धशालायें ९३२-३३

उद्योग (गों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनन --- ९१३

तम्बाकू में विदेशी विनियोग ९२६-२७

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त--

के द्वारा अनु० प्रश्न--

परिसीमन आयोग ८६१

के द्वारा प्रश्न--

भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय झगड़े ८५९-६०

विश्व बैंक से ऋण ९१५

ऋ

ऋण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का उपयोग ८७६–७८

औद्योगिक वित्त निगम ९२८

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६७–७०

भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय झगड़े ८५९–६०

मैसूर को—८७५–७६

विभाजन के — ८८९–९०

विश्व बैंक से— ९१५

ए

एकीकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काश्मीर के कार्यालयों का—८९०–९२

एपलबी, श्री पाल० एच०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लोक-प्रशासन ८९९–९००

ओ

ओटावा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विभाजन के ऋण ८८९–९०

औ

औद्योगिक वित्त निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक वित्त निगम ९२८

क

कपड़ा (ड़े)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ब्रिटिश वस्त्र आयातों के लिये रियायतें ८७४-७५

कमीशन पदाधिकारी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अल्पकालीन सेवा—९१४–१५

कमीशन प्राप्त सैनिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय छात्र सेना ९०१–०२

कलकत्ता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"स्वर्ण खोजक" ९२६

कल्याण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नौसेना के कर्मचारीवृन्द का— ८८८–८९

कागज़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

त्रिपुरा पत्रकार संघ ९१०–११

कारखाना (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अम्बरनाथ में मशीनी औज़ारों के मूल-रूप निर्माण का—९२२

कार्यालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काश्मीर के—का एकीकरण ८९०–९२

कालिज--

देखिये "महाविद्यालय (यों)"

कालीदास----

के सम्बन्ध में प्रश्न--

शकुन्तला का अरबी में अनुवाद ९०५-०६

काश्मीर--

देखिये "जम्मू तथा काश्मीर"

कूटनीतिक मंडल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारतीय सैनिक मिशन ९३०-३१

कृषक (कों)--

के सम्बन्ध म प्रश्न--

अफ़ीम ९३४-३६

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६७-७०

कृषि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अफीम ९३४-३६

केन्द्रीय औषध गवेषणा संस्था--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ ८८०-८१

केन्द्रीय सचिवालय --

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय सचिवालय ९००

सरकारी कर्मचारी ८७०-७१

केवल धाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

योगाश्रम ८८३-८४

केशवैयंगार, श्री--

के द्वारा अनु० प्रश्न--

योगाश्रम ८८४

के द्वारा प्रश्न--

प्रादेशिक सेना ९२९-३०

मैसूर को ऋण ८७५-७६

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज जलाहली ८९६-९७

क्लर्क (कों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सरकारी कर्मचारी ८७०-७१

ख

खनन उद्योग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनन उद्योग ९१३

खुदाई--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खुदाई ९०३-०४

--नालागढ़ ९३०

खेड़िया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--स्थित भारतीय वायु बल के भांडार में अग्निकांड ९०९-१०

खोज--

देखिये "अनुसन्धान"

ग

गणपति राम, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

सम्पदा शुल्क ९०५

गिडवानी, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

विदेशी विनियोग ९०१

गिरफ्तारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६२--६४

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०--

के द्वारा प्रश्न--

अल्पकालीन सेवा कमीशन पदाधिकारी ९१४-१५

खेड़िया स्थित भारतीय वायु बल के भांडार में अग्निकांड ९०९-१०

राष्ट्रीय छात्र सेना ९०१-०२

वायु बल ९३१

गोआ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

१९४७ से पूर्व के सिक्कों को वापिस लेना ८९८-९९

गोविन्द दास, सेठ--

के द्वारा प्रश्न--

औद्योगिक वित्त निगम ९२८

शिक्षा पर औसत व्यय ९२८-२९

ग्रामीण--

के सम्बन्ध प्रश्न--

--की ऋणग्रस्तता ८६७--७०

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६७-७०

ग्लाइडर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वायु बल के लिये--९२२-२३

च

चनाब नदी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे के स्लीपर ८५७-५८

चरक, ठाकुर लक्ष्मण सिंह--

के द्वारा प्रश्न--

भूतपूर्व सैनिक ९२५-२६

यूनेस्को (प्रशिक्षण) ८६५-६७

चेटियार, श्री टी० एस० ए०--

के द्वारा अनु० प्रश्न--

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८७०

यूनेस्को (प्रशिक्षण) ८६६

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ८९६

चौधरी, श्री जी० एल०--

के द्वारा प्रश्न--

शकुन्तला का अरबी में अनुवाद ९०५-०६

चौधरी, श्री टी० के०--

के द्वारा प्रश्न--

भारतीय सैनिक मिशन ९३०-३१

चौधरी, श्री सी० आर०—

के द्वारा प्रश्न—

तम्बाकू उद्योग में विदेशी विनियोग ९२६-२७

चौयनियन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६०–६२

छ

छात्र सैनिक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय छात्र सेना ९०१-०२

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश ८७२–७४

छात्रवृत्ति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छात्रों की—८८५–८६

ज

जनता कालिज, मैसूर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जनता कालेज (मैसूर) ८७१-७२

जम्मू तथा काश्मीर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९०–९२

जांगड़े, श्री—

के द्वारा अनु० प्रश्न—

छात्रों की छात्रवृत्तियां ८८६

जेना, श्री के० सी०—

के द्वारा प्रश्न—

छात्रों की छात्रवृत्तियां ८८५–८६

जोशी, श्री एन० एल०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

परिसीमन आयोग ८६१

जोशी, श्री कृष्णाचार्य—

के द्वारा प्रश्न—

काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९०–९२

परिसीमन आयोग ८६०–६२

ललित कला अकादमी ९१३

वायु बल के लिये ग्लाइडर ९२२-२३

"स्वर्ण खोजक" ९२६

जोशी, श्री जेठालाल—

के द्वारा अनु० प्रश्न—

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६९

ड

डाक तथा तार विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९०–९२

त

तम्बाकू—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—उद्योग में विदेशी विनियोग ९२६-२७

तस्कर व्यापार—

देखिये "चौयनियन"

तिम्मय्या, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
जनता कालेज, (मैसूर) ८७१-७२

तिवारी, पंडित डी० एन०—
के द्वारा प्रश्न—
केन्द्रीय सचिवालय ९००
रूई ९१८

त्रिपुरा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अगरतला (—) में अग्निकांड ८८१–८२
अगरतला (—) में आग बुझाने के प्रबन्ध ९१६
—पत्रकार संघ ९१०-११

द

दशरथ देव, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
अगरतला (त्रिपुरा) में अग्निकांड ८८१–८२
अगरतला (त्रिपुरा) में आग बुझाने के प्रबन्ध ९१६
त्रिपुरा पत्रकार संघ ९१०-११

दार्जीलिंग—
के सम्बन्ध म प्रश्न—
पर्वतारोहण संस्था ९०८-०९

दावा (वों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रूई ९१८

दास, श्री स० एन०—
के द्वारा प्रश्न—
लोक-प्रशासन ८९९-९००
सहायता की प्रार्थना (बिहार) ९०६-०८

दास, श्री सारंगधर —
के द्वारा प्रश्न—
राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ ८८०-८१

दिल्ली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
योगाश्रम ८८३-८४
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ८९४-९६
शिक्षा पर औसत व्यय ८२८-२९

दीवान, श्री आर० एस०—
के द्वारा अनु० प्रश्न—
ऋणों का उपयोग ८७८

दुकान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अगरतला (त्रिपुरा) में अग्निकांड ८८१-८२

दुग्धशाला (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सैनिक दुग्धशालायें ९३२-३३

दूतावास (सों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बाढ़ पीड़ितों की सहायता ९२७२

देशमुख, श्री के० जी०—
के द्वारा अनु० प्रश्न—
काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९२

द्विवेदी, श्री एम० एल०—
के द्वारा प्रश्न—
बचत यूनिट की सिफारिशें ९२०–२२
भाग 'ग' राज्य ८९८

न

नानादास, श्री—
के द्वारा अनु० प्रश्न—
छात्रों की छात्रवृत्तियां ८८६

नामकुम सैनिक गण्यशाला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नामकुम सैनिक गण्यशाला ८८२–८३

नायर, श्री वी० पी०—
के द्वारा प्रश्न—
अधिमान्यशुल्क ९१७–१८

नालागढ़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खुदाई—९३२

निक्षेप (पों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लिगनाईट के—९२७

निगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औद्योगिक वित्त—९२८

निर्माण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मैसूर को ऋण ८७५–७६

निर्यात—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वागह (पंजाब) के मार्ग से आयात और— ९२३

निर्वाचन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
परिसीमन आयोग ८६०–६२

नौकरी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बचत यूनिट की सिफारिशें ९२०–२२
भूतपूर्व सैनिक ९०७

नौसेना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के कर्मचारिवृन्द का कल्याण ८८८–८९

पंचवर्षीय योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मुद्रा में कमी ८६४—६५

पंजाब—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खुदाई नालागढ़ ९३२
भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास ९२३–२४
वागह—के मार्ग से आयात और निर्यात ९२३
वागह—के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६२–६४

पटना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ८९४–९६

पत्रकार संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

त्रिपुरा—९१०–११

परामर्श दात्री समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक सेना ९२९–३०

परिसमापन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बैंकों का—९०२–०३

परिसीमन आयोग आदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

परिसीमन आयोग ८६०—६२

परीक्षा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश ८७२–७४

पर्वतारोहण संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्वतारोहण संस्था ९०८–०९

पशु (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नामकुम सैनिक गण्यशाला ८८२–८३

पाकिस्तान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत और—के बीच वित्तीय झगड़े ८५९–६०

रेलवे के स्लीपर ८५७–५८

विभाजन के ऋण ८८९–९०

पुर्नियुक्ति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक ८९२—९४

पुनर्वास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अगरतला (त्रिपुरा) में अग्निकांड ८८१–८२

भूतपूर्व सैनिकों का—९२३–२४

पुनर्संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सैनिक सामान के कारखानों की—समिति ९१४

पुरातत्व विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खुदाई ९०३–०४

पुर्तगाली अधिकारी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

१९४७ से पूर्व के सिक्कों को वापिस लेना ८९८–९९

पुस्तक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शकुन्तला का अरबी में अनुवाद ९०५–०६

पूंजी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खनन उद्योग ९१३

पैट्रोल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की खोज ९०३

प्रचार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लघु बचत योजना ९१८–१९

प्रतिनिधि मंडल (लों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ब्रिटिश वस्त्र आयातों के लिये रियायतें ८७४–७५

प्रतिवेदन —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आरा मिल ८७८–७९
भाग "ग" राज्य ८९८
लोक-प्रशासन ८९९–९००
सैनिक सामान के कारखानों की पुनर्संगठन समिति ९१४

प्रयोगशाला (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय औषधीय—लखनऊ ८८०–८१

प्रशासन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भाग 'ग' राज्य ८९८

प्रशिक्षक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पर्वतारोहण संस्था ९०८–०९

प्रशिक्षण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अगरतला (त्रिपुरा) में आग बुझाने के प्रबन्ध ९१६
अमरीकी शिल्पिक सहयोग सहायता समझौता ९११–१२
अम्बरनाथ में मशीनी औजारों के मूल-रूप निर्माण का कारखाना ९२२
पर्वतारोहण संस्था ९०८–०९
यूनेस्को—८६५–६७
वायु बल ९३१

प्रादेशिक सेना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रादेशिक सेना ९२९–३०

प्रेस सम्मेलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
त्रिपुरा पत्रकार संघ ९१०–११

फ

फ्रांस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फ्रांसीसी सांस्कृतिक शिष्टमंडल ८६७

ब

बंगलौर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मैसूर को ऋण ८७५–७६

बचत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लघु—योजना ९१८–१९

बचत एकक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की सिफारिशें ९२०—२२

च्चे (च्चों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वायु बल ९३१

बन्ध पत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विश्व बैंक के—का विक्रय ८७८

बम्बई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"स्वर्ण खोजक" ९२६

बहादुर सिंह, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

खुदाई ९०३–०४

बाढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—पीड़ितों की सहायता ९२७–२८

बिहार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—को सहायता ९०४–०५

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ८९४–९६

सहायता की प्रार्थना— ९०६–०८

बुनियादी शिक्षा—

देखिये "शिक्षा"

बैंक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६७–७०

—का परिसमापन ९०२–०३

विदेशी विनियोग ९०१

बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी केन्द्रीय—९१२–१३

ब्रिटेन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अधिमान्य शुल्क ९१७–१८

ब्रिटिश वस्त्र आयातों के लिये रियायतें ८७४–७५

भ

भक्त दर्शन, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

परिसीमन आयोग ८६२

के द्वारा प्रश्न—

—पर्वतारोहण संस्था—९०८–०९

भर्ती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक सेना ९२९–३०

भाग 'ग' राज्य—

देखिये "राज्य (ज्यों)"

भारत संघ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९०–९२

भारतीय (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरीकी शिल्पिक सहायता समझौता ९११–१२

भारतीय वायु बल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खड़िया स्थित—के भांडार में अग्निकांड ९०९–१०

भारतीय सैना—
देखिये "सेना (यें)"

भीखाभाई, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
पर्वतारोहण संस्था ९०८–०९
सरकारी कर्मचारी ८७०–७१

भूमि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अफ़ीम ९३४–३६
भूतपूर्व सैनिक ९०७, ९२५–२६

मनीपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में अनाथालय स्कूल ९३०
—में लोक निर्माण विभाग ९१९–२०

मनोरंजन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शारीरिक शिक्षा तथा—सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड ९१२–१३

मशीनी औजार मूल रूप फैक्टरी—
देखिये "कारखाना (ों

महाराज गंज बाजार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अगरतला (त्रिपुरा) में अग्निकांड ८८१–८२

महाविद्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जनता कालेज, (मैसूर) ८७१–७२

मिल (लों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आरा—८७८–७९

मिश्र, श्री लं० ए०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
ब्रिटिश वस्त्र आयातों के लिये रियायत ८७५

मिश्र, श्री विभूति—
के द्वारा प्रश्न—
—भूतपूर्व सैनिक ९०७
युवक शिविर ९००–०१

मुकर्जी श्री एच० एन०—
के द्वारा प्रश्न—
पेट्रोल की खोज ९०

मुद्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में कमी ८६४–६५

मुरारका, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

आरा मिल ८७८–७९

मैसूर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जनता कालेज,— ८७१–७२

प्रादेशिक सेना ९२९–३०

—को ऋण ८७५–७६

य

यंत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"स्वर्ण खोजक" ९२६

युवक शिविर(रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

युवक शिविर ९००–०१

योगाश्रम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

योगाश्रम ८८३–८४

योजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लघु बचत—९१८–१९

सहायता की प्रार्थना (बिहार) ९०६–०८

र

रक्षा भंडार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खेड़िया स्थित भारतीय वायु बल के भांडार में अग्निकांड ९०९–१०

रक्षा सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय सैनिक मिशन ९३०–३१

रक्षित बैंक—

देखिये "बैंक (कों)"

रांची गोशाला समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नामकुम सैनिक गण्यशाला ८८२–८३

राघवाचारी, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

देखिये (प्रशिक्षण) ८६७

राजस्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अफ़ीम ९०५

काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९०–९२

राज्य (ज्यों)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऋणों का उपयोग ८७६–७८

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६७–७०

जनता कालेज, (मैसूर) ८७१–७२

परिसीमन आयोग ८६०–६२

बनियादी शिक्षा ९३४

भाग 'ग' राज्य ८९८

भतपूर्व सैनिक ९२५–२६

राज्य (यों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

युवक शिविर ९००-०१

--के लिये संयुक्त पदालियां ९०४

सहायता की प्रार्थना (बिहार) ९०६-०८

राम दास, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

बुनियादी शिक्षा ९३४

सेना की टुकड़ी में विस्फोट ८८७

राम सुभग सिंह, डा०--

के द्वारा प्रश्न--

१९४७ से पूर्व के सिक्कों को वापिस लेना ८९८-९९

रामनारायण सिंह, बाबू--

के द्वारा प्रश्न--

योगाश्रम ८८३-८४

शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड ९१२-१३

राव, श्री टी० बी० विठ्ठल--

के द्वारा प्रश्न--

फ्रांसीसी सांस्कृतिक शिष्ट मंडल ८६७

सैनिक सामान के कारखानों की पुनर्संगठन समिति ९१४

रावी नदी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे के सलीपर ८५७-५८

राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ ८८०-८१

राष्ट्रीय छात्र सेना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राष्ट्रीय छात्र सेना ९०१-०२

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--में प्रवेश ८७२-७४

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६७-७०

रिशांग किशिंग, श्री --

के द्वारा प्रश्न--

मनीपुर में अनाथालय स्कूल ९३०

रूई--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रूई ९१८

रूस--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

योगाश्रम ८८३-८४

रेलवे स्लीपर (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे के सलीपर ८५७-५८

रोपड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खुदाई नालागढ़ ९३२

ल

लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
ब्रिटिश वस्त्र आयातों के लिये रियायतें ८७४—७५

लघु बचत योजना——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
लघु बचत योजना ९१८—१९

ललित कला अकादमी——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
ललित कला अकादमी ९१३

लिग्नाइट——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
——के निक्षेप ९२७

लोक निर्माण विभाग——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
मनीपुर में——९१९—२०

लोक-प्रशासन——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
लोक-प्रशासन ८९९—९००

लोक-लेख समिति——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
आरा मिल ८७८—८७९

व

वस्तु (यें)——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
अधिमान्य शुल्क ९१७—१८
वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६२——६४

वस्त्र——
देखिये "कपड़ा (ड़े)"

वागह—अटारी सीमान्त——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६२—६४

वागह चुंगी चौकी——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
वागह (पंजाब) के मार्ग से आयात और निर्यात ९२३

वायु बल——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
वायु बल ९३१
——के लिये ग्लाइडर ९२२—२३

विक्रय——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
आरा मिल ८७८—७९
नामकुम सैनिक गण्यशाला ८८२—८३
विश्व बैंक के बन्ध-पत्रों का—८७८

वित्त मंत्री (त्रियों)——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
विभाजन के ऋण ८८९—९०

वित्तीय झगड़े (ड़ों)——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
भारत और पाकिस्तान के बीच——८५९-६०

विदेश (शों)——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
बाढ़ पीड़ितों की सहायता ९२७-२८
भारतीय सैनिक मिशन ९३०-३१
यूनेस्को (प्रशिक्षण) ८६५—६७

विदेशी विनियोग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तम्बाकू उद्योग में-- ९२६-२७
विदेशी विनियोग ९०१

विदेशी विशेषज्ञ (ज्ञों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज जलाहली ८९६-९७

विद्यार्थियों--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अम्बरनाथ में मशीनी औजारों के मूलरूप निर्माण कारखाना ९२२
छात्रों की छात्रवृत्तियां ८८५-८६
यूनेस्को प्रशिक्षण ८६५--६७

विधान सभा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
परिसीमन आयोग ८६०--६२

विधान-सभा भवन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
मैसूर को ऋण ८७५-७६

विभाजन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--के ऋण ८८९-९०

विश्व बैंक--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--के बन्ध-पत्रों का विक्रय ८७८
--से ऋण ९१५

विश्वविद्यालय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--अनुदान आयोग ८९४--९६, ९१६--१७

विस्थापित व्यक्ति (यों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अगरतला (त्रिपुरा) में अग्निकांड ८८१--८२
सरकारी कर्मचारी ८७०-७१

विस्फोट--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
सेना की टुकड़ी में-- ८८७

वेतन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारतीय सैनिक मिशन ९३०-३२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ८९४ --९६
--की उच्चतम सीमा ९११
सरकारी कर्मचारी ८७०-७१

वैज्ञानिक पदाधिकारी (रियों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ ८८०-८१

व्यय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अमरीकी शिल्पिक सहयोग सहायता समझौता ९११-१२
जनता कालेज, (मैसूर) ८७१-७२
नौसेना के कर्मचारीवृन्द का कल्याण ८८८-८९
पर्वतारोहण संस्था ९०८-०९
भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास ९२३-२४
मनीपुर में अनाथालय स्कूल ९३०
लघु बचत योजना ९१८-१९
ललित कला अकादमी ९१३
शिक्षा पर औसत--९२८-२९

520 L.S.D.

श

शकुन्तला—

देखिये "पुस्तक (कें)"

शर्मा, श्री आर० सी०—

के द्वारा प्रश्न—

अफ़ीम ९३४–३६

शर्मा, श्री डी० सी०—

के द्वारा प्रश्न—

भूतपूर्व सैन्किों का पुनर्वास ९२३–२४

वागा (पंजाब) के मार्ग से आयात और निर्यात ९२३

वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६२–६४

विश्व बैंक से ऋण ९१५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ९१६–१७

शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी केंद्रीय बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड ९१२-१३

शिक्षक (कों)—

देखिये "अध्यापक (कों)"

शिक्षा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिहार को सहायता ९०४-०५

बनियादी— ९३४

शारीरिक—तथा मनोरंजन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड ९१२-१३

—पर औसत व्यय ९२८–२९

सहायता की प्रार्थना (बिहार) ९०६-०८

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज, जलाहली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज, जलाहली ८९६-९७

शिल्पिक सहयोग सहायता समझौता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अमरीकी— ९११-१२

शिविर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

युवक— ९००-०१

शिशु—

देखिये "बच्चे (च्चों)"

स

संगण्णा, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

विश्व बैंक के बन्ध-पत्र। का विक्रय ८७८

संघ लोक सेवा आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश ८७२–७४

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज, जलाहली ८९६-९७

सरकारी कर्मचारी ८७०-७१

संयुक्त राष्ट्र, शिक्षात्मिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—(प्रशिक्षण) ८६५–६७

संस्था (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औद्योगिक वित्त निगम ९२८

सचिवालय, केन्द्रीय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय सचिवालय ९००
सरकारी कर्मचारी ८७०-७१

समझौता (ते)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय झगड़े ८५९-६०

समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सैनिक सामान के कारखानों की पुनर्संगठन— ९१४

सम्पदा शुल्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सम्पदा शुल्क ९०५

सरकारी कर्मचारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बचत यूनिट की सिफारिशें ९२०—२२
राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ ८८०-८१
वेतन की उच्चतम सीमा ९११
सरकारी कर्मचारी ८७०-७१

सरकारी पदाधिकारियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय सचिवालय ९००
राज्यों के लिये संयुक्त पदालियां ९०४

सहकारी बैंक—
देखिये "बैंक (कों)"

सहगल, सरदार ए० एस०—
के द्वारा अनु० प्रश्न—
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ८९६

सहायता—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जनता कालेज, (मैसूर) ८७१-७२
बाढ़ पीड़ितों की— ९२७-२८
बिहार को— ९०४-०५
बुनियादी शिक्षा ९३४
भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक ८९२—९४
योगाश्रम ८८३-८४
—की प्रार्थना (बिहार) ९०६—०८

सांस्कृतिक शिष्ट मंडल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फ्रांसीसी— ८६७

सामन्त, श्री एस० सी०—
के द्वारा अनु० प्रश्न—
राष्ट्रीय औषधीय प्रयोगशाला, लखनऊ ८८१
के द्वारा प्रश्न—
आरा मिल ८७९
नौसेना के कर्मचारिवृन्द का कल्याण ८८८—८९
बाढ़ पीड़ितों की सहायता ९२७-२८

सिंघल, श्री एस० सी०—
के द्वारा प्रश्न—
मुद्रा में कमी ८६४-६५

सिंह, ठाकुर युगलकिशोर—
के द्वारा प्रश्न—
नामकुम सैनिक गण्यशाला ८८२-८३

सिंह, श्री अनिरूद्ध——

के द्वारा प्रश्न——

लघु बचत योजना ९१८-१९

सिंह, श्री एल० जोगेश्वर——

के द्वारा प्रश्न——

मनीपुर में लोक निर्माण विभाग ९१९-२०

सिंह, श्री झूलन ——

के द्वारा प्रश्न——

ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता ८६७—७०

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक ८९२—९४

सिंह, श्री वी० पी०——

के द्वारा प्रश्न——

बिहार को सहायता ९०४-०५

वेतन को उच्चतम सीमा ९११

सिक्का (क्कों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

१९४७ से पूर्व के ——को वापिस लेना ८९८-९९

सिन्हा, श्री जी० पी०——

के द्वारा अनु० प्रश्न——

नामकुम सैनिक गण्यशाला ८८३

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी——

के द्वारा अनु० प्रश्न——

मुद्रा में कमी ८६४-६५

के द्वारा प्रश्न——

खुदाई नालागढ़ ९३२

ब्रिटिशवस्त्र आयातों के लिये रियायतें ८७४-७५

विश्व बैंक से ऋण ९१५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ८९४-९६

सिफारिश (शों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

बचत यूनिट की—— ९२०——२२

लोक-प्रशासन ८९९-९००

सुन्दरम्, डा० लंका——

के द्वारा अनु० प्रश्न——

काश्मीर के कार्यालयों का एकीकरण ८९२

सुरेश चन्द्र, डा०——

के द्वारा अनु० प्रश्न——

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक ८९४

सेना (यें)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अल्पकालीन सेवा कमीशन पदाधिकारी ९१४-१५

प्रादेशिक—— ९२९-३०

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक ८९२—९४

सेना कर्मचारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज, जलाहली ८९६-९७

सेना की टुकड़ी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--में विस्फोट ८८७

सेना पदाधिकारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नौसेना के कर्मचारीवृन्द का कल्याण ८८८-८९

भारतीय सैनिक मिशन ९३०-३१

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक ८९२-९४

सैनिक (कों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सेना की टुकड़ी में विस्फोट ८८७

सैनिक गण्यशाला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नामकुम-- ८८२-८३

सैनिक दुग्धशा (यें)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सैनिक दुग्धशालायें ९३२-३३

सैनिक, भूतपूर्व--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भूतपूर्व सैनिक ९०७, ९२५-२६

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास ९२३-२४

सैनिक मंडल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारतीय-- ९३०-३१

सोधिया, श्री के० सी०--

के द्वारा प्रश्न--

राष्ट्रीय रक्षा **अकादमी** में प्रवेश ८७२-७४

स्कूल (लों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मनीपुर में अनाथालय-- ९३०

स्वर्ण खोजक यंत्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

"स्वर्ण खोजक" ९२६

हानि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे के सलीपर ८५७-५८

हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्वतारोहण संस्था ९०८-०९

हुक्म सिंह, सरदार—

के द्वारा प्रश्न—

अम्बरनाथ में मशीनी औजारों के मूल-रूप निर्माण का कारखाना ९२२

खनन उद्योग ९१३

रेलवे के सलीपर ८५७-५८

विभाजन के ऋण ८८९-९०

हुगली नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पेट्रोल की खोज ९०३

हेडा, श्री—

के द्वारा अनु० प्रश्न—

परिसीमन आयोग ८६१

वागह (पंजाब) के रास्ते तस्कर-व्यापार ८६३

GIPD HNS—520 L S D—7-9-55-240

- विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
31-5-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

लोकसभा वादविवाद

भाग २

खंड ४

1954

15 नवम्बर - 3 दिसम्बर

(12) P L

सेवा को

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५——१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १——सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १–६

अंक २——मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७–९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)–२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)–टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११–१२

स्थगन प्रस्ताव——आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२–१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक——प्रवर समिति को सौंपा गया १४–६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक——संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव——असमाप्त . . . ६८–१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ — स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . — १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . — १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . — १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . — १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . — ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . — १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . — १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा . . . . . . — १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . — १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . — १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . . . . — १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त — १८९–२७५

सभा का कार्य . . . . . . — २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . . — २७७–२७९

सभा का कार्य . . . . . . — २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . . . . — २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०
अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६
अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८
अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४	
रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २० से २४ . . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

क १३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त—
खंड २६ से ३८ . . . . . . ९४४–१००९
खंड ३९ से ६० . . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४
राज्य-सभा से सन्देश १०१५
चाय (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७
सभा का कार्य—
सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३
दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित १०२३
आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत
डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४
श्री पाटस्कर १०२९
श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३
श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९
डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६
श्री रघुरामैया १०४६–५०
डा० जयसूर्य १०५०–५२
श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७
श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८
श्री राघवाचारी . . . १०५८–५९
श्री लक्ष्मय्या १०५९
श्री यू० एम० त्रिवेदी . . . १०५९–६०

स्तम्भ

खंड १ से ३ . . . . १०६४–७०

संशोधित रूप में पारित—

श्री एच० एन० मुखर्जी १०७७–८०

डा० लंकासुन्दरम् १०८०

पं० ठाकुर दास भार्गव १०८०–८२

श्री जी० एच० देशपांडे १०८३

डा० काटजू १०८३–८८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड ६१ से ६५ . . . . १०८८–९८

दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत १०९८–११००

अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—

मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन ११०१–११०८

पटल पर रखे गये पत्र—

जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . . ११०८–११०९

चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना ११०९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११०९

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . १११०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित १११०–११

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ११११

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . . ११११–१११२

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त —

खंड ६१ से ६५ . . . . . . १११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक सभा

मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

पटल पर रखे गये पत्र

(१) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन ।

(२) दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्श दात्री समिति की बैठकों का प्रतिवेदन ।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं सभा-पटल पर निम्न प्रतिवेदनों में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि रखता हूं :—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की सितम्बर १९५४ में हुई नवीं वार्षिक बैठक की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]**; और

(२) दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की **ओटावा** में अक्टूबर, १९५४ में हुई बैठकों का प्रतिवेदन **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]**.

आश्वासनों, आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं श्री सत्य नारायण सिन्हा की ओर से, विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण रखता हूं ।

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २—लोक सभा का १९५४ का सातवां सत्र **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १]**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८—लोक सभा का १९५४ का सातवां सत्र **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३—लोक सभा का १९५३ का पांचवा सत्र **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८— लोक सभा का १९५३ का **चौथा सत्र**
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २३— लोक सभा का १९५३ का तृतीय सत्र
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २२— लोक सभा का १९५२ का द्वितीय सत्र
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या २३— लोक सभा का १९५२ का **प्रथम सत्र**
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७]

रेलवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन

श्री एम० ए० अय्यंगार (ति पति) : मैं रेलवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

स्थगन प्रस्ताव

आन्ध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध

अध्यक्ष महोदय : कल श्री ेपालन और श्री राघवैया ारा प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं ने एक तथ्य-पूर्ण विवरण मांगा था और हमें धान मंत्री से क **पत्र** प्राप्त हुआ है जिसे मैं सभा के सामने पढ़ूंगा :

> "उस ़ ग न स्ताव के सम्बन्ध में जिस ी सूचना श्री ए० के० गोपालन और श्री ी० वी० राघवैया ने दी थी, मैं ने आंध्र राज्य के राज्य-पाल से टेलीफोन पर बात ी है । राज्यपाल ने मुझे सूचित किया है कि उन्होंने दो दिन पूर्व ही आदेश जारी किये हैं . . ." पत्र कल की तिथि में है—"आंध्र में परती जमीन और ताड़ी निकालने वालों के सत्याग्रह के सम्बन्ध में दण्डित कैदियों को मुक्त करने के लिये : स्पष्ट है कि ये आदेश जारी किये गये थे क्योंकि सत्याग्रह वापस लिया गया था । आदेश दो दिन पूर्व ही जारी किये ग े थे और वे या तो कार्यान्वित किये जा चुके हैं या एकाध दिन में कार्यान्वित होंगे ।"

दण्ड प्राक्रया साहता (संशोधन) विधेयक—जारी

नये खण्ड २१क, २२क, और २४क

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दण्ड प्रक्रिया संहिता का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर **खण्डवार** विचार करेगी। मैं संशोधन संख्यायें ३६९, ५३, २८७, ३७२ और ३८० को निकाल कर खण्ड २१क, २१ क और २४ क का प्रस्ताव करता हूं क्योंकि यह सभी संशोधन अनियमित हैं क्योंकि वह मुख्य अधिनियम की धाराओं को, जिन्हें संशोधन विधेयक नहीं छूता संशोधित करने की मांग करते हैं ।

अब मैं खण्ड २२ और उस के संशोधनों को सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव) : खन्डों से सम्बन्धित संशोधन संख्या ३७२ तथा अन्य संशोधनों पर, जिन्हें अनियिमित बताया गया है, कल विचार किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जिन सदस्यों ने सूचना दी है उन्हें बोलने का अवसर दिया जायेगा । कल सभापति महोदय ने भी ऐसा ही आश्वासन दिया था । मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप हम लोगों को बोलने दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन नियमित नहीं है क्योंकि संशोधन संख्या ३६९, ५३, २८७, ३८२ और ३८० मुख्य अधिनियम की धारा १६१ और १७२ में संशोधन करना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय ने भी स विषय पर विवाद करने के लिये ो अवसर देना अस्वीकार किया था । एक अवसर आप को सामान्य चर्चा के समय मिला है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा १६१ और १६२ का घनिष्ट सम्बन्ध है । और धारा १६२ के साथ धारा १६१ (३) का संशोधन आवश्यक है । धारा १७२ को गृह मंत्री के स्वयं मूल विधेयक में स्थान दिया गया है । इस प्रकार धारा १६१ (३) १६२ और १७२ के आपसी सम्बन्ध को भली भांति समझा जाना आवश्यक है । धारा १६२ का संशोधन करने के पूर्व धारा १६१ (३) का संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक धारा १६१ (३) के अधीन पुलिस के सामने लिखा गया बयान विश्वासनीय नहीं होगा तब तक अभियोक्ता-पक्ष के गवाह का खण्डन उस बयान के आधार पर नहीं किया जा सकता और पुलिस उस बयान को न तो पूलिखती हैं न उस पर हस्ताक्षर लेती है अतः धारा १६२ का संशोधन करने के पूर्व १६१(३) का संशोधन आवश्यक हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : इन सभी धाराओं के आपस में सम्बन्ध होने का यह अर्थ नहीं है कि एक धारा का परिवर्तन बिना किसी दूसरी धारा के परिवर्तन के सम्भव नहीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : धारा १६१(३) और १६२ का घनिष्ट सम्बन्ध है और यदि उक्त धारा १६१ (३) के अन्तर्गत लिये गये किसी बयान को अभियोक्ता-पक्ष द्वारा किसी प्रकार प्रयुक्त किये जाने की छूट देनी है तो इस प्रकार के बयान की सुरक्षा के लिये धारा १६१ (३) में कुछ और संशोधन करना आवश्यक है ताकि बयान में कुछ मिलावट या गड़बड़ी न की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब तो संशोधन ३६९ के बारे में है । पर अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्द-शहर) : हमारे संशोधन संख्या ५३ और २८७ का सम्बन्ध धारा १६२ से है जिस में कहा गया है कि बयान पर हस्ताक्षर न किये जायें । १८८२ के अधिनियम में से 'सत्यता से' शब्द १८९८ के अधिनियम के अनुसार निकाल दिये गये । कई उच्च-न्यायालयों ने इस की व्याख्या की कि सब-इन्सपेक्टर के सामने दिया गया बयान सही होना आवश्यक नहीं है ; असत्य बयान भी दिया जा सकता है । यदि उस बयान से उस का पुनः परीक्षण किया जायेगा तो वह बयान सही होना चाहिये और इसलिये "सत्यता से" शब्द पुनः लगा दिया जाना चाहिये । ताकि गवाहों को इस बात का पता चले कि पुलिस प्राधिकारी के सामने सही उत्तर देना है । मेरे संशोधन संगत हैं क्योंकि हम इसी वक्तव्य से अभियोक्ता-पक्ष तथा अभियुक्त दोनों के साक्षियों का प्रतिवाद करते हैं । उन्हें जानना चाहिये कि, उन्हें अपने द्वारा दिये गये बयान का ही प्रतिवाद करना होगा । इसलिये ये धारायें अन्तर्सम्बन्धित हैं तथा ये संशोधन नियमित हैं ।

[श्री आर० डी० मिश्र]

इस तथ्य को ध्यान में रख कर भी कि खंड १६१ तथा १६२ अन्तर्सम्बन्धित हैं, मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन उचित हैं ।

दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि हम अपने संशोधनों को पढ़ नहीं सकते तथा हमें उन पर बोलने का अवसर भी नहीं मिलता । मतदान के समय भी ये संशोधन नहीं पढ़े जाते हैं, यह अनुचित है तथा मैं इस सम्बन्ध में आप का नियम जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि मुझ में दंड प्रक्रिया पर निर्णय करने की क्षमता नहीं है, फिर भी मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि क्या इन दो खंडों में कोई अन्तर्सम्बन्ध है ? इस समय में माननीय सदस्यों के भाषणों पर विचार कर के इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहता हूं । यदि कोई सदस्य इस सम्बन्ध में और कहना चाहें तो वे संक्षेप में कह सकते हैं, किन्तु अग्रेतर चर्चा पांच मिनिट से अधिक नहीं होगी ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : जैसा कि संशोधन में प्रस्तावित किया गया है, धारा १६२ में एक साक्षी से, साक्ष्य अधिनियम की धारा १४५ के उपबन्धों के अधीन जिरह की जा सकती है ।

धारा १४५ में एक तीसरी श्रेणी और जोड़ी जा रही है--पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित कोई भी बयान । यह न साक्षी के द्वारा लिखा गया है, न इस में साक्षी के हस्ताक्षर ही हैं । इन परिस्थितियों के अधीन साक्षी के हितों की रक्षा करना आवश्यक है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण पूर्व) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का समर्थन करता हूं क्योंकि धारा १६१ (३) तथा १६२ का अन्तर्सम्बन्ध बिल्कुल स्पष्ट है । धारा १६१ (३) के अनुसार पुलिस अधिकारी साक्षी के बयान को लिखेगा तथा धारा १६२ के अनुसार वह इस का उपयोग बहुत सीमित प्रयोजनों के लिये करेगा ।

हम इस खंड का संशोधन इस आशंका से करना चाहते हैं कि इस का उपयोग अभियुक्त के साक्ष्य को नष्ट करने तथा अभियोजन के साक्षी द्वारा दिये गये विरोधी साक्ष्यों को नष्ट करने के लिये किया जा सकता है । इस के लिये धारा १६१ में ही परिमाण का उपबन्ध है क्योंकि वह सारी पद्धति जिस के अनुसार धारा १६१ अधिनियमित की गई थी को विशृंखलित की जा रही है । इस लिये खंड १६२ में किये जाने वाले किसी भी परिवर्तन से सारी पद्धति में परिवर्तन हो जायेगा । इस लिये खंड १६१ का कोई भी संशोधन खंड १६२ के संशोधनों का सहायक होगा ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं इस मामले को सम्पूर्ण रूप से आपके विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि मेरे मत से ये दोनों पृथक् हैं । किन्तु जहां तक विभिन्न मतों का प्रश्न है यह वांछनीय है कि आप इस पर विचार करें मैं यह कहा जाना पसन्द नहीं करूंगा कि आप यहां नहीं बैठे हैं, मैं बैठ रहा हूं । मैं बाधा उपस्थित करने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं । मैं ऐसी घृणा पैदा नहीं करना चाहता । मैं इस मामले को आपके विवेक पर ही छोड़ता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष-पद द्वारा प्रारम्भ में ही संशोधनों की ग्राह्कता के सम्बन्ध में सामान्य नियम बताये गये थे । मुख्य प्रश्न यह है कि उस सीमा के भीतर माननीय

सदस्य यह बतायें कि यह संशोधन विशेष रूप से इस से सम्बन्धित है अथवा नहीं ?

डा० काटजू: मेरे मत से दंड प्रक्रिया संहिता की प्रत्येक धारा पृथक् तथा स्वतंत्र मामले से सम्बन्ध रखती है तथा इस में बहुत कम मामले एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। उदाहरणस्वरूप वारन्ट केसों (अधिपत्र मामलों) से सम्बन्धित धारायें लीजिये। यदि मैं एक धारा निकाल लूं तो अवशेष धाराओं का समायोजन करना वांछनीय होगा। अन्यथा वे एक दूसरे से नितांत स्वतन्त्र हैं; विशेष रूप से उन धाराओं का समुदाय जिस पर चर्चा हो रही है : अर्थात् १५१, १६१, १६२, १६३, तथा १६४।

इसलिये मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यदि सरकार ने धारा १६१ के अधीन कोई संशोधन किया हो तो धारा १६२ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई इस में धारा १६२ का संशोधन रखना चाहेगा तो वह बिल्कुल पृथक् तथा स्वतन्त्र होगा। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव इस बात के लिये उत्सुक हैं कि पुलिस अपनी डायरी को एक विशेष प्रकार से दर्ज करे। इसे धारा १६१ या १६२ से कुछ नहीं करना है। यह मेरा मत है, किन्तु जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं, मैं आप के निर्णय का आदर करूंगा तथा उस के सम्बन्ध में तर्क नहीं करूंगा।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मेरा मत यह है कि ये दोनों धारायें इतने घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं कि एक का तब तक संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे पर विचार न दिया जाय। जब तक हम कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत न करें, जिस से यह प्रत्याभूति न मिले कि साक्षी ने ही इस प्रकार का साक्ष्य दिया है तब तक धारा १६१ (३) में संशोधन किये बिना धारा १६२ को संशोधित करना अनुचित होगा। यदि हम यह संशोधन करें तथा अभियोग-पक्ष को कुछ रियायत दें तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जायेगी तथा अभियुक्त को भी बहुत असुविधा होगी।

डा० काटजू: यह सारा बखेड़ा प्रवर समिति द्वारा था धारा १६२ पर रखे गये संशोधन के कारण पैदा हुआ है। वह यह है कि न्यायालय की अनुमति से साक्षी से पुलिस की डायरी के बयान के अनुसार जिरह की जायेगी। मेरे माननीय मित्र इस संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि डायरी का बयान एक विशेष रूप से दर्ज किया जाय। चालू प्रक्रिया के अनुसार डायरी के बयान के आधार पर अभियुक्त के कहने पर साक्षी का प्रतिवाद करने की अनुमति है। प्रवर समिति का प्रस्ताव यह है कि बचाव पक्ष को जो लाभ दिया गया है वह लाभ अभियोक्ता पक्ष को भी दिया जाय अर्थात् वह न्यायालय की अनुमति से अपने साक्षी से जिरह कर सकता है न कि बचाव पक्ष के साक्षी से। माननीय मित्र ने धारा १६१ पर एक संशोधन रखा है जो कि भिन्न मामले से सम्बन्ध रखता है, जिसे प्रवर समिति ने छुआ तक नहीं है। यदि हम यह उल्लेख करें कि डायरी किस प्रकार लिखी जाय तथा प्रत्येक बयान परीक्षा किये गये साक्षी की अपनी भाषा में विस्तारपूर्वक हो तो मेरे विचार से जांच का कार्य दुर्लभ हो जायेगा प्रत्येक व्यक्ति ने यहां कहा है कि जांच कुशलतापूर्वक तथा तत्परता से होनी चाहिये, किन्तु यदि हम उपर्युक्त बातों का उल्लेख करेंगे तो इस का बिल्कुल उलटा परिणाम होगा जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं आप इस मामले का स्वयं अध्ययन करें तथा जैसा उचित समझें करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ सन्देहों का समाधान करना चाहता हूं। क्या आजकल भी यह स्थिति है कि यदि

[अध्यक्ष महोदय]

अभियोक्ता-पक्ष का साक्षी बदल जाय तो भी अभियोक्ता उस से जिरह नहीं कर सकता।

डा० काटजू : वे इस से सैकड़ों प्रश्न पूछ सकते हैं, किन्तु यह प्रश्न नहीं पूछ सकते : "अब तुम यह बयान दे रहे हो ; क्या पुलिस के सामने तुमने दूसरा बयान नहीं दिया था" यही अन्तर है। जिसे प्रवर समिति ने दूर करना चाहा, जिस से कि जब प्रतिकूल साक्षी से जिरह की जाय तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है "तुम झूठ बोल रहे हो क्या पुलिस के सामने तुम ने कुछ और कहा था ?" इतना ही किया गया है।

श्री राघवाचारी : आज स्थिति यह है कि अभियोक्ता-पक्ष अपने साक्षी से, उस के प्रतिकूल होने पर भी, जिरह कर सकता है किन्तु अब अभियुक्त धारा १६२ के बयानों का उपयोग अभियोक्ता के साक्षी का प्रतिवाद करने के लिये कर सकता है। अभियोक्ता-पक्ष इन का उपयोग प्रतिवाद करने के प्रयोजन के लिये नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर कल अथवा परसों तक निर्णय करूंगा। इसी बीच हम विधेयक के अन्य खंडों पर चर्चा करेंगे।

श्री साधन गुप्त : श्री पाटस्कर के संशोधन तथा दूसरे संशोधनों पर कब विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी तो वह संशोधनों के संशोधन तक ही सीमित रहेगी। निस्संदेह यह संशोधन तभी नियमानुकूल होगा जब कि मैं दूसरे संशोधनों को स्वीकार कर लूंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खंड २५, ९७, तथा ११४

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को उस संशोधन के सम्बन्ध में क्या कहना है जिस पर वह विचार कर रहे थे क्योंकि इस से मानहानि की चर्चा बहुत कुछ संक्षिप्त हो जायेगी।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : हम वह संशोधन स्वीकार करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बातें कही गई हैं। पहिली यह कि अभियोक्ता पक्ष या वह व्यक्ति जिस की मानहानि हुई है, को कोई खर्चा नहीं बर्दाश्त करना होगा उस की ओर से सरकार अभियोग चलायेगी। दूसरी बात यह है कि यदि अभियोग सरकार की ओर से दायर किया जायगा तो जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वह गवाही के कठघरे में नहीं आयगा और न उस के साथ जिरह करने का अवसर मिलेगा। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जिस की मानहानि होगी वह एक अन्यावश्यक गवाह होगा जहां तक खर्चे का सम्बन्ध है, जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो उसे फिर भी सरकार से अपने खर्चे की पूर्ति कराने का अधिकार प्राप्त है। इसलिये यदि उसे अग्रिम दान के रूप में खर्चा दिया जाता है तो बात एक ही हो जाती है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) मेरा संशोधन यह नहीं है।

श्री दातार : जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, इस में दो बातें कही गई हैं। एक तो यह कि उस व्यक्ति को गवाह के कठघरे में जाना पड़ेगा जब तक कि सत्र न्यायाधीश किन्हीं लिखित कारणों के आधार पर इस के विपरीत कोई आदेश जारी न करे। दूसरी बात प्रतिकर के सम्बन्ध में है जो कि धारा २५० के अन्तर्गत दिया जा सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तीसरी बात प्रक्रिया के सम्बन्ध में है । इस के सम्बन्ध में भी एक संशोधन है कि क्या सरकार उसे स्वीकार करेगी ?

श्री दातार : विचार तो ऐसा ही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार श्री वेंकटरामन् का प्रक्रिया सम्बन्धी संशोधन भी स्वीकार करेगी ?

संशोधन विधेयक के अन्तर्गत जैसा कि वह प्रवर समिति से प्राप्त हुआ है, वारंट केस की प्रक्रिया उस प्रक्रिया से भिन्न है जैसी कि पहले हुआ करती थी। पुराने अधिनियम के अनुसार ो बार जिरह करने का अधिकार दिया जाता था अब वह अधिकार नहीं दिया जाता मैं जानना चाहता हूं कि उस के लिये पुरानी प्रक्रिया रखी जायगी या नई प्रक्रिया का पालन किया जायगा ?

एक और कठिनाई यह है कि उस खंड के सम्बन्ध में जो व्यक्तिगत रूप से दायर किये जाने वाले अभियोगों से सम्बन्धित हैं वह खंड अभी पारित नहीं किया गया है और उस के सम्बन्ध में भी हमने संशोधन की सूचनाएं दी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यक्तिगत आधार पर चलाये जाने वाले अभियोगों की प्रक्रिया वारंट केसों की प्रक्रिया से भिन्न न हो । इस लिये हम चाहते हैं कि इस खंड के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय न किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस से सहमत हूं। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि जहां तक शब्द वारंट प्रक्रिया का सम्बन्ध है, जिस प्रकार भी वारंट प्रक्रिया का रूप-भेद किया जाय वह सब दशाओं में लागू होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कठिनाई यह है कि जब तक हमें यह न मालूम हो कि निश्चित रूप से क्या प्रक्रिया होगी, हम यह निर्णय नहीं कर सकेंगे कि इस धारा को स्वीकार करें या न करें ।

श्री एस० एस० मोरे : मान लीजिये कि यह संशोधन पारित हो गया तो इस का मतलब यह होगा कि हम ने यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया कि दो प्रक्रियायें होंगी । एक उन अभियोगों के लिये जो पुलिस की ओर से चलाये जायेंगे और दूसरी जो व्यक्तिगत रूप से चलाये जाने वाले अभियोगों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाई जायगी। यदि एक बार हम ने इस संशोधन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तो हम आगे चल कर प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार करने का अधिकार नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है । अभी इस खंड पर कोई निर्णय नहीं किया जायगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने एक और संशोधन की सूचना दी है कि इस सेशन केस की प्रक्रिया वैसी ही हो जैसी कि अन्य केसों की होती है । परन्तु कठिनाई यह है कि जब तक हमें यह न मालूम हो कि निश्चित रूप से क्या प्रक्रिया होगी, हम इसके सम्बन्ध में ठीक-ठीक कैसे विचार कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय भी सभा के सामने निश्चय करने के लिये रखा गया है कि क्या इस सेशन केस की प्रक्रिया वैसी ही हो जैसी कि अन्य सेशन केसों की होती है या कोई और प्रक्रिया बताई जाय । दूसरी बात यह है कि क्या वारंट केसों के सम्बन्ध में कोई नई प्रक्रिया बताई जाय । तीसरी बात यह है कि क्या पुलिस की ओर से आरम्भ किये जाने वाले अभियोगों तथा

[उपाध्यक्ष महोदय]

व्यक्तिगत रूप से आरम्भ किये जाने वाले अभियोगों की प्रक्रियाएं एक ही हों। ये तीनों बातें एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध हैं।

यह निश्चित आश्वासन दिया जा चुका है कि सभा के वाद-विवाद करने तथा किसी विनिश्चय पर पहुंचने में कोई बात भी अवरुद्ध नहीं होगी।

श्री दातार : मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम ने संशोधन संख्या ५३८ स्वीकार कर लिया है, जिस के अनुसार सरकारी वकील की ओर से अभियोग चलाने के लिये सरकार की आज्ञा आवश्यक होगी न कि उस अधिकारी अथवा प्राधिकारी की जिस को कि अभियुक्त को पदच्युत करने का अधिकार हो। दूसरे शब्दों में "उस को पद्च्युत करने का अधिकार रखने वाले अधिकारी या प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर शब्द "सरकार" रखा जायगा।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : **राज्य सरकार या संघ सरकार?**

श्री दातार : राज्य सरकार या संघ सरकार जैसा कि केस के अनुसार उचित हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य श्री यू० एस० दुबे अपना भाषण जारी रखें।

श्री यू० एस० दुबे : मैं निवेदन यह कर रहा था कि कल मैं ने यह कहा था कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या और कहने की जरुरत रही है?

श्री यू० एस० दुबे : यह सभा और सरकार दोनों यह चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है और उस भ्रष्टाचार पर जो बेलगाम क्रिटिसिज्म चल रहे हैं इन दोनों को किसी न किसी भांति रोकना है। तो इस रोकने में हम ने देखा है कि पिछले सात सालों में जब से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, एक भी मिनिस्टर, एक भी सरकारी अफसर, जिस के खिलाफ यह बातें कही गयीं, अपने आप को सही साबित करने और अपने ऊपर लगाये गये इल्जाम से बरियत पाने के लिये अदालत के सामने नहीं गया। हो सकता है कि कुछ सरकार के बड़े अधिकारी कामों में ज्यादा लगे रहे हों, या वह अदालतों के सामने जाने में अपनी तौहीन समझते रहे हों। पर छोटे अधिकारी जो थोड़ी सी तनख्वाह पाते हैं जिन को दुनिया के बहुत से झंझट लगे रहते हैं, वह कहां गवाह खोजने जायें और कैसे अपनी छोटी तनख्वाह में मुकदमा लड़ने जायें और उस का खर्चा बरदाश्त करें। उन्होंने भी यही समझा कि जहां ठाकुर को पटका जाता है वहां पुजारियों की गिनती क्या है। उन्होंने भी वही रास्ता अख्तियार किया कि चुपके से सर नवा कर जो कुछ उन के खिलाफ कहा जाय उस को बरदाश्त करते रहे। अब इस में यह पता नहीं हो सकता कि कौन से सरकारी अफसर भले हैं और कौन से सरकारी अफसर ऐसे हैं कि जिन के खिलाफ ये इल्जाम सही तरीके से लगाये गये हैं। बदकिस्मती से हमारी सरकार ने पिछले सात सालों के भीतर यह कोशिश नहीं की कि गलत काम करने वालों की, भ्रष्टाचार के ढंग से रहने वालों की अलग बस्ती बसायी जाय। यानी उन पर इल्जाम लगाया जाय और उस के लिये रास्ता निकाला जाय। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने यह पहला कदम उठाया है जिस से हम उस आदमी को जिस के खिलाफ कोई इल्जाम लगाया जाता है मजबूर कर देंगे कि वह अदालत के सामने जाये और वह अदालत के सामने अपने आप को सही साबित करे, नहीं तो अपने आप को नौकरी से अलग करे।

१ म० प०

इस तरह पर उस को मजबूर करने का यह एक ढंग है। अब हमें और आप देखें कि जो हमारे सरकारी अफसरान और मिनिस्टरान सही तरीके से काम करते हैं, स्टेट का धर्म है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वह उन की पूरी पूरी रक्षा करे और उन अच्छे लोगों को भी उन बुरे लोगों की कैटेगरी (श्रेणी) में शामिल कर के उन्हें भी एक ही कूंची से रंगने का मौका लोगों को मिले और इस तरह शासन के प्रति देश के वातावरण में एक गन्दगी बराबर कायम रहे, इस को दूर करने का यह एक कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया है। मैं समझता हूं कि हम सभी को उस पर विचार कर के सरकार को पूरा पूरा सहयोग देना चाहिये। अब हमें यह देखना है कि इस कसौटी पर जो प्राविज़न सामने रखा गया है वह पूरा पूरा उतरता है या नहीं। इस नुक्ते नज़र से मैं सभा के सभी सदस्यों से इस पर विचार करने को कहूंगा। इस के वास्ते हमें कोई सब्स्टैन्टिव ला बनाने की ज़रुरत नहीं है? मुल्क में सब्स्टैन्टिव ला इतना काफी है कि जो कुछ भी गड़बड़ी देश में की जा सकती है उस सारी गड़बड़ी को दूर करके लोगों को सज़ा दी जा सकती है। अब उन का विधान क्या हो, और किस तरह से उन को अमल में लाया जाये, यही एक प्रश्न है।

एक एतराज तो इस कानून के खिलाफ यह है कि, साहब, इस में एक डिस्टिंक्शन किया जा रहा है, एक क्लास बनाया जा रहा है जिस को इस कानून के मातहत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और यह चीज़ "इक्वेलिटी आफ स्टेट्स इन दी कान्स्टिट्यूशन" के खिलाफ है। मेरी गुजारिश यह है कि यह बात ऐसी नहीं है। आप इस पर विचार करें कि आप इस सूझाव से, जो नया मसविदा आप बना रहे हैं, या कानून में जो परिवर्तन आप ला रहे हैं उस में किसी तरह का कोई विशेष अधिकार न आप किसी को देते हैं और न कोई विशेष फर्क आप कान्स्टिट्यूशन के मुताबिक दिये हुए अधिकार में डाल रहे हैं। क्यों? मैं आप से कहता हूं कि आप उन लोगों की थोड़ी सी सुविधा प्रोसीजर में दे रहे हैं, और इस प्रकार की सुविधायें, मैं आप से अर्ज़ करूंगा, आप और हम सब लेते हैं। मैं आप से पूछता हूं कि हिन्दुस्तान के भीतर हम ३६ करोड़ आदमियों के रिप्रेजेन्टेटिव इस सभा में हैं, करोड़ों आदमियों को जब इस मुल्क में झोंपड़ी भी नसीब नहीं है, तो हम को ४०० रुपये महीना लेने का क्या अधिकार है? हम को बंगलों में रहने का क्या अख्तियार है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खण्ड पर नहीं बोल रहे हैं। अब इन बातों को कैसे संगत कहा जा सकता है?

श्री यू० एस० दुबे : मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम एक सुविधा उनको दे रहे हैं। आर्डिनरी सिटिज़न को यह राइट होता है कि उसे अदालत में जा कर दावा करना पड़ता है। हम बजाय उस के जा कर अदालत में दावा करने के सरकार की तरफ से एक मौका उस को देना चाहते हैं। जहां तक राजप्रमुख, प्रेसिडेन्ट, वाइस प्रेसिडेन्ट या मिनिस्टर का ताल्लुक है, वहां तक सैक्रेटरी टु गवर्नमेंट उन की रज़ामन्दी से अदालत में दाखिल करेगा। लेकिन जहां तक दूसरे छोटे अहलकारों का सम्बन्ध है वहां तक सेन्टर के अहलकारों के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त से और स्टेट के अहलकारों के लिये स्टेट की इजाज़त से कम्प्लेन्ट फाइल हो सकता है और फाइल होने के बाद उन को यह सुविधा है कि उन को अदालत में नहीं जाना है। मगर इस सुविधा के साथ एक बड़ी भारी चीज़ और लगी हुई है, और वह यह कि अगर किसी मिनिस्टर के या सरकारी अफसर

[श्री यू० एस० दुबे]

के खिलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाया गया और इल्ज़ाम लगने के बाद छः महीने तक वह मिनिस्टर या सरकारी अफसर चुपचाप बै ा रहे, तो इस का मतलब यह होगा कि उस ने इल्ज़ाम को कबूल कर लिया। मेरे दोस्त पीछे से कहते हैं कि यह नहीं लिखा हुआ है। मैं कहता हूं कि कानून में यह चीज इम्प्लाइड है कि अगर आप से यह कहा गया कि आप छः महीने के भीतर दावा कीजिये और आप यह दावा नहीं करते हैं तो इस का मतलब है कि आप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इल्ज़ाम अखबारों में निकलते हैं, और तरह से भी लगाये जाते हैं अगर उन इल्ज़ामों के खिलाफ आप छः महीने तक कुछ नहीं करते हैं और सरकार जिस के पास सब चीजें पहुंच जाती हैं उस के पास जब इल्ज़ाम जाये तो वह भी छः महीने के बाद तक चुप बैठी रहती है तो हम को और आप को पूरा मौका मिलता है कि उनसे इस का जवाब पूछें। उन के पास इस का कोई जवाब नहीं रहता है कि कानून की इजाज़त रहते हुए भी वह क्यों चुप बैठे रहें। आज तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी इन्डिविज़ुअल ने दावा नहीं किया तो यह उस की तबियत है कि वह करे या न करे, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में आप इस चीज़ को नहीं कह सकते। अगर गवर्नमेंट के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाये, उस के किसी अधिकारी का डिफेमैशन हो तो वह चुप नहीं बैठ सकती। अगर वह ऐसा करती है तो उस को एक दिन भी मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर) : आज तो गवर्नमेंट पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन अगर वह चुपचाप बैठी रहती है तो क्या इस का यह मतलब है कि उस ने उस बात को कबूल कर लिया ?

श्री यू० एस० दुबे : मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस तरह का कोई प्राविजन नहीं है कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाये वह एक प्राइवेट कमप्लेनेन्ट की तरह से अदालत में जरुर जाय। उस को मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आज यह किया जा रहा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसे स्पष्ट और विशिष्ट क्यों नहीं बनाया जाता ? इस में एक प्राविज़न कर दिया जाय कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाये जाने पर कोई आदमी अगर छः महीने तक दावा न करे तो उस को नौकरी से निकाल दिया जाय।

श्री आर० डी० मिश्र : स्तीफा दे कर चला जाये।

श्री यू० एस० दुबे : मैं अर्ज़ करता हूं कि इस कानून के पास करने में यह इम्प्लाइड है कि अगर किसी डिफैमेंटरी इल्ज़ाम के लगने के बाद गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रहे तो वह अपने उस अहलकार के खिलाफ उस इल्जाम को क़बूल करती है, और छः महीने बीत जाने के बाद उस अधिकारी को नौकरी में रहने का कोई अख्तियार हासिल नहीं होगा।

श्री टेकचन्द : क्या व्यञ्जना से कोई मूल विधि हो सकती है ?

श्री यू० एस० दुबे : इस का निश्चय सभा करेगी।

श्री टेकचन्द : माननीय सदस्य यही सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर सकते ?

श्री यू० एस० दुबे : इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस इंक्वायरी में जो सेफगार्ड होते हैं और उस को

जो सिक्यूरिटी होती है वह इस को हासिल नहीं है । उस तरह की कोई सहूलियत स को हासिल नहीं है । जिस तरह से एक प्राइवेट कम्पलेनेंट जाता है और उस को जो रास्ता चलना पड़ता है उसी रास्ते से यह प्रोसीजर जायगा सिवा इस के कि कम्पलेनेंट को हाजिरी नहीं देनी पड़ेगी । लेकिन कम्पलेनेंट का बयान होना लाजिम है । अब कम्पलेनेंट के विटनेस बाक्स में जाने और उस के जिरह के सारे सवालों के सामने खड़े होने की जो बात इस में आती है उस को देखते हुए किसी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि इस में सरकारी अफसर को किसी तरह बचाने की कोशिश हो रही है । अगर यह साबित हो कि जो कम्पलेनेंट दायर की गयी है वह सही नहीं है तो एक हजार रुपया तक उसे हर्जाना देना होगा । इस मामले में भी किसी तरह की इसे प्राइवेट मामले से मुकाबले में सहूलियत हासिल नहीं है । तो मैं यह गुजारिश करूंगा कि आज जब ऐसा वातावरण पैदा हो गया है क्या यह मुनासिब होगा अगर हम चुपचाप बैठे रहें और जिस तरह से चल रहा है चलने दें, लोगों को एक तरफ बैलगाम चाहे कुछ कहने का हक दे दें और सरकारी अफसरों को चुपचाप बै ने का सुभीता दे दें और इस हालत को हम बेबसी के साथ देखते रहे । अगर ऐसा हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि यह पोजीशन कोई अच्छी पोजीशन नहीं होगी । इसलिये हमें इस मेजर का स्वागत करना चाहिये जिसे सरकार ने उठाया है । अगर आगे चल कर हमें किसी और सहूलियत की ज़रुरत महसूस हुई तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट पीछे नहीं रहेगी और उन बातों को सामने लायेगी और कानून को मजीद तौर पर बदलने के लिये तैयार रहेगी । यह मुझे उम्मीद है कि हाउस इस को मानेगा और इस सुझाव के मुताबिक चलेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या एक ऐसा विधान बना कर जिस के द्वारा एक मंत्री की मानहानि एक विशेष प्रकार का अपराध घोषित किया जा रहा है जिस के लिये एक विशेष प्रक्रिया बनाई जा रही है तथा जिस के लिये विशेष परिमाणों, का उपबन्ध किया जा रहा है । कहीं हमारे संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा, जिस के अनुसार इस बात की गारंटी दी गई है कि सब को समान अधिकार प्राप्त होंगे ? सारे संसार में मानहानि एक व्यक्तिगत हानि या व्यावहारिक अपकृत्य समझी जाती है, केवल विशेष दशाओं में ही इसे अपराध समझा जाता है । कैसी विचित्र बात है कि यदि श्री फ्रैंक एंथनी या मेरे मित्र श्री ए० के० गोपालन, डा० काटजू, या श्री दातार की मानहानि करे, तो उक्त मंत्री सरकारी वकील या राज्य के महाधिवक्ता को अभियोग चलाने का आदेश दे सकते हैं । यदि कोई मंत्री, श्री फ्रैंक एंथनी या श्री ए० के० गोपालन की मानहानि करे तो इन लोगों को साधारण रीति से न्यायालय में अभियोग चला कर अपने चरित्र तथा सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी । ऐसा विभेद क्यों किया जाता है । क्या इस का उद्देश्य विरोधी पक्ष का दमन करना है या प्रेस की स्वतन्त्रता छीनना है ।

मैं माननीय मं ी के सामने कुछ प्रश्न रखता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि वे गम्भीरता पूर्वक इन पर विचार करें और स्थिति को साफ़ करने के लिये निश्चित उत्तर दें ।

पहला सवाल तो यह है कि सरकार का उद्देश्य क्या है । हमें सरकार के उद्देश्य के प्रति संदेह है । क्या सरकार मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों को आलोचना

[श्री एन० सी० चटर्जी]

या मानहानि से बचाने के लिये कोई विशेष प्रक्रिया बनाना चाहती है जिस से कि उन के विरुद्ध भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद का आरोप न लगाया जा सके ।

दूसरा सवाल यह है कि क्या मंत्रियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये जिस विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है उस के फलस्वरूप लोगों को मंत्रियों या ऊंचे पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से रोका नहीं जा रहा है ? यदि किसी सम्पादक को विश्वस्त सूत्र से पता लगे कि किसी मं ी या सरकारी कर्मचारी ने ऐसा व्यवहार किया है जिस के आधार पर उस के विरुद्ध भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोप लगाना आवश्यक है तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिये उस का दायित्व भी ऐसा ही है तो फिर भी छापने से पहिले उसे कई बार सोचना होगा क्योंकि वह जानता है कि कल ही राज्य की समस्त शक्ति उस का दमन करने के लिये लगा दी जायेगी।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि यदि किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार त्यादि के आरोप लगाये जाये तो क्या उसे स बात के लिये बाध्य किया जायेगा कि वह न्यायालय में उपस्थित हो कर अपने को निष्कलंक प्रमाणित करे ।

चौथा सवाल यह है कि यिद किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोप लगाये जायें तो एक निश्चित समय के भीतर उस को उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिये बाध्य किया जायेगा ?

पांचवा श्न यह है कि यदि वह मंत्री या सरकारी कर्मचारी ऐसा करने के लिये तैयार नहीं है तो उस को त्याग-पत्र देने के लिये बाध्य किया जायेगा ?

छठा प्रश्न यह है कि यदि अभियोग असफल हो तो अपराधी के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी ? ऐसी स्थिति में सरकार को यह साफ़ साफ़ आश्वासन देना चाहिये कि न केवल उस व्यक्ति से जिस के वि द्ध अ योग चलाया गया ा, प्रतिकर दिया जायगा तथा मुक्त कर दिया जायेगा वरन् अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल ही कार्यवाही की जायेगी जैसा कि मिथ्या शपथ के विरुद्ध किया जाता है । इस में किसी बात के स्वतः मिलने का प्रश्न पैदा नहीं होता । इस विधेयक में इस बात का स्पष्टीकर होना चाहिये था, और यह स्पष्टीकरण विधान द्वारा ेना चाहिय, यदि वह इसे विधेयक में नहीं रखना चाहते तो उन्हें तना कह देना चाहिये कि यह बात स्वतः सिद्ध पैदा होती है । यदि राज्य में ईमानदारी और शुद्धता की कोई भावना है, और यदि वह भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता ै तो उसे इस काम को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ करना चाहिये। जिस तरह आप ने झूठे शपथ के मामलों के उपचार के लिये इस प्रकार का उपबन्ध किया है, उसी तरह आप इस में भी एक खंड जोड़ सकते हैं---अर्थात् दण्डाधीश स्वयं कार्यवाही प्रारम्भ करेगा अथवा सत्र न्यायाधीश उस व्यक्ति पर अभियोग चलाने का तत्काल आदेश देंगे ।

अन्त में, मैं विनम्रता से यह पूछना चाहता हूं कि उन मामलों में जहां यह बात पक्की हो जाये कि भ्रष्टाचार या पक्षपात, आदि का आरोप सही है और जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वह वास्तव में अपराधी था, सर-

कार क्या, तिकर देना चाहती है ? एक हज़ार रुपया तो मुझे बिल्कुल अनुचित लग रहा है। आखिर ऐसे मामलों में सप्ताह के सप्ताह बीत जाते हैं, और तब ही निर्णय हो पाता है। क्या राज्य द्वारा १०,००० पये खर्च जाने पर १,००० रुपये की राशि निर्धारित करना उचित होगा ? बेचारे अभियुक्त को अधिक फीस पर वकील करना पड़ता है, तो इस तरह की अधिकतम राशि निर्धारित करना कहां तक न्याय है। क्या आप न्यायालय पर उसे नहीं छोड़ देंगे ? न्यायाधीश ही इसे भलीभांति जानता है। इस में कोई संदेह नहीं कि राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के सम्मान और ख्याति पर बट्टा नहीं आने देता। लेकिन क्या अब यह चीज़ छानबीन में सही उतर सकती है यहां धारा १२४-क की बात नहीं चल सकती। स्वाधीन भारत में यह बात नहीं चल सकती। यदि किसी राज्य में मंत्री अथवा मुख्य मंत्री की मानहानि की जाती है तो वह राज्य की मानहानि नहीं है। इन लोगों को सब प्रकार की आलोचना सहन करनी चाहिये। आगामी निर्वाचनों की दृष्टि से स उपबन्ध पर बड़ी शंका की जा रही है। इस शंका को दूर करना चाहिये। इस का यह अभिप्राय नहीं कि प्रेस और विपक्ष को दबाया जाये अपराधियों को छुपाया जाये और सरकारी सेवाओं में अक्षम और अयोग्य लोगों की रक्षा की जाये। जो मंत्री राजनैतिक क्षेत्र में आते हैं उन्हें हर प्रकार की अड़चनों का सामना करने के लिये पहले से ही तैयार रहना चाहिये। मंत्रियों को विशेषाधिकारियों वाला वर्ग बना कर रखने पर बड़ी आपत्ति की जा रही है। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

हम यह स्वीकार नहीं करते कि प्रेस अनावश्यक, अनुचित और अन्यायपूर्ण आलोचना करता है। प्रेस बड़े ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। हमें विश्वास है कि प्रेस संगठन परम्परायें स्थापित करने और निम्न कोटि के प्रेस को निकाल फेंकने का प्रयत्न कर रहा है। प्रेस को नियमों और बनावटी दबाव डालने वाली धाराओं से जकड़ने में उस की प्रगति रुक जायेगी। इस लिये ऐसा न करना ही ठीक रहेगा। हम सब निम्न कोटि के प्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यह संसार में सभी देशों में होता है। यहां इस की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं हुई कि उस के दबाने के लिये प्रेस अधिनियम अथवा किसी स्विशेष मशीनरी का प्रयोग किया जाये। माननीय गृह-कार्य मंत्री को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि सरकार इस खंड द्वारा ईमानदार पत्रकारों और प्रेस को नहीं तंग करना चाहती और उस का प्रयोग केवल भ्रष्टाचार और कुंबा-परवरी का नाश करने के लिये ही किया जायेगा।

श्री वेंकटरामन् : मेरे संशोधन का अभिप्राय वर्तमान धारा का एक प्रकार सुधार करना है। विधेयक के मूल खंड में उल्लिखित है कि सरकारी कर्मचारी की मानहानि सम्बन्धी अभियोजन की स्वीकृति वह उच्चाधिकारी दे सकता है जो उस कर्मचारी को पदच्युत करने का अधिकार रखता हो। इस में कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं और बिना सोचे समझे स्वीकृतियां दी जा सकती हैं। मेरे संशोधन के अनुसार अभियोजन की स्वीकृति देने का अधिकार केवल सरकार को होगा।

द्वितीय संशोधन संख्या ५३९ के दोनों पहलुओं के बारे में है। एक पहलू तो वह प्रक्रिया है जिसका अनुसरण किया जाना है। विधेयक के खंड २९ में दी गई परिभाषा के अनुसार वारंट प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। खंड २९ में पुलिस द्वारा और निजी रूप से चलाये गये अभियोगों के लिये अलग अलग दो प्रक्रियायें

[श्री वेंकटरामन]

हैं। यदि वारंट केस में दण्डाधिकारी के सामने शिकायत की जाती है तो इन अभियोजनों के बचाव के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है परन्तु इस धारा में अभियोजन पक्ष की शिकायत के लिये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन स्वीकृत होने पर चाहे कोई परिवर्तन हो जाये परन्तु वर्तमान विधि के अनुसार ऐसे केस में वारंट प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जायेगा।

इस खंड के अंतर्गत चलाये गये केसों में यदि सत्र न्यायालय कोई प्रतिकूल निर्देश न दे तो जिस व्यक्ति की मानहानि की गई है वह साक्षी होगा। प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के विमति टिप्पण में आपत्ति की गई है कि उस व्यक्ति को, जिस की मानहानि की गई है, चाहे न्यायालय में न लाया जाये। यदि कर्मचारी ने कोई अपराध किया होगा तो वह न्यायालय में जाने से बचने का प्रयत्न करेगा। इस का इलाज मैं ने अपने संशोधन द्वारा कर दिया है कि उसे अभियोक्ता पक्ष की ओर से साक्षी देनी पड़ेगी। न्यायालय उन व्यक्तियों को इस से छूट दे सकता है जो विदेशों में हों ऐसे केसों में न्यायालय को स्वविवेक दिया गया है न कि अभियोक्ता पक्ष को।

किसी सरकारी कर्मचारी की मानहानि करने पर सरकार द्वारा चलाया गया अभियोग यदि झूठा प्रमाणित हो तो मेरे संशोधन संख्या ५४० द्वारा न्यायालय १,००० रु० तक क्षतिपूर्ति दे सकता है। श्री चटर्जी ने १,००० रुपये की सीमा पर आपत्ति की परन्तु क्षतिपूर्ति के लिये मुकदमा करने का अधिकार तो रहता ही है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २५० के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की स्वीकृति होने पर भी रिहाई पाने वाले अभियुक्त व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी क्षति के लिये अभियोग चलाये।

किसी निराधार अभियोग के लिये न्यायालय क्षतिपूर्ति देता है। परन्तु उस व्यक्ति को अपनी क्षति की पूर्ति के लिये अभियोग चलाने का अधिकार रहता है।

श्री एन० एस० जैन : शिकायत सरकार करेगी न कि वह व्यक्ति जिस की मानहानि की गई और सरकार के विरुद्ध कोई व्यावहारिक अथवा आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री वेंकटरामन् : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २५० में यह व्यवस्था है "शिकायत अथवा दी गई जानकारी पर चलाया गया अभियोग"। और यह अभियोग उस प्रदत्त जानकारी पर चलाया गया समझा जायेगा। जो कर्मचारी सरकार को देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कि सरकारी कर्मचारी स्वयं नहीं बल्कि सरकार अभियोग चलाती है उसे हम उस व्यक्ति के समान नहीं समझ सकते जिस के शिकायत करने पर पुलिस कार्यवाही करती है।

श्री वेंकटरामन् : यदि सरकारी कर्मचारी अभियोग चलाने के पक्ष में नहीं होगा तो सरकार उसे पदच्युत कर देगी।

श्री टेक चन्द : किस विधि के अधीन?

श्री वेंकटरामन : जब सरकारी कर्मचारी पर कोई आरोप लगाया जाता है तो सरकार उस कर्मचारी से पूछताछ करेगी। वह या तो कहेगा कि यह आरोप गलत है और सम्बन्धित व्यक्ति पर अभियोग चलाया जाये अथवा वह परोक्ष रूप से अपने अपराध को स्वीकार करेगा। उस अवस्था में सरकार कार्यवाही करेगी। परन्तु कोई कर्मचारी

अभियोग चलाने का विरोध नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से वह अपना अपराध स्वीकार कर रहा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक व्यक्ति चोरी की शिकायत करता है । सब इंस्पैक्टर सन्देह में किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाता है जो कि रिहा हो जाता है । तो सब इंस्पैक्टर पर द्वेष के आधार पर, अभियोग नहीं चलाया जा सकता । इसी प्रकार इसी केस को समझना चाहिये ।

श्री वेंकटरामन् : कर्मचारी को दोनों बातों में से एक कहनी पड़ेगी कि आरोप गलत है अभियोग चलाया जाये या न चलाया जाये । और उन केसों में जहां कोई जानकारी नहीं दी जाती और कोई द्वेषभाव नहीं होता किसी को क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार यह क्यों न कहे कि यह अभियोग सार्वजनिक कल्याण के लिये चलाया जा रहा है अतः द्वेषपूर्ण अभियोजन की क्षतिपूर्ति के लिये अभियोग नहीं चलाने दिया जायेगा ?

श्री वेंकटरामन् : हरेक केस द्वेषपूर्ण भावना से ही दर्ज नहीं किया जाता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : व्यवहारवाद में द्वेषपूर्ण प्रभियोजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यदि दोष झूठा प्रमाणित होता है तो क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी ।

श्री वेंकटरामन् : क्षतिपूर्ति तो बिना इस संशोधन अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २५० को निर्देश किये दी जायेगी । इस धारा में हम केवल वे आधार निश्चित करने का यत्न कर रहे हैं जिन पर क्षतिपूर्ति दी जानी है ।

मेरे मित्र श्री साधन गुप्त का कहना है कि हम एक नागरिक और दूसरे नागरिक में भेदभाव करते हैं । आप को भली भांति ज्ञात है कि संविधान के अनुच्छेद १४ की व्याख्या में लोगों के वर्गीकरण की इजाज़त दी गई है । इस प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी मंत्री की मानहानि हो तो उस को विशेष संरक्षण दिया जाता है, परन्तु एक साधारण व्यक्ति के साथ अन्य प्रकार से व्यवहार किया जाता है । परन्तु किसी मंत्री को यह विशेष संरक्षण उसी स्थिति में दिया जायेगा जबकि लोक-पद से सम्बन्ध रखने वाले किसी लोक कार्य में उस की मानहानि होगी, अन्यथा खंड २५ के अधीन आने वाली प्रक्रिया के अनुसार उस के साथ भी अन्य साधारण व्यक्तियों के समान ही व्यवहार होगा । अतः वास्तव में नागरिकों में भेदभाव रखने का कोई प्रश्न ही नहीं । उन्हें तब तक कोई विशेण संरक्षण न दिया जायेगा जब तक कि किसी लोक-कार्य को करते हुए उन की मानहानि न होगी ।

अतः विशे अधिकार प्राप्त वर्ग बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, अपितु यह खण्ड तो प्रशासन की पवित्रता के संरक्षण और रक्षण के हेतु है । परन्तु आज की वर्तमान विधि के द्वारा यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज समाचार पत्रों में नित्य प्रति मंत्रियों तथा अन्य सार्वजनिक कर्मचारियों की मानहानि होती रहती है और उन्हें न्यायालय में जा कर उस के स्पष्टीकरण करने का कोई समय मिलता नहीं ।

स संशोधन का वास्तविक उद्देश्य तो यह है कि सरकारी कर्मचारी अथवा लोककर्मचारी, लोक कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली अपनी प्रतिष्ठा का स्पष्टीकरण कर सकें । आज की विधि उन्हें इस कार्य के लिये बाध्य नहीं कर सकती । अतः इस का उपाय है—उन्हें अभियोजन के द्वारा इस कार्य के लिये बाध्य किया जाये ।

[श्री वेंकटरामन्]

पत्र आयोग ने इस विषय पर विस्तार-पूर्वक विचार किया है । अतः मैं उसी का यह मत प्रस्तुत करता हूं । पत्र-आयोग ने अपने प्रतिवेदन की कण्डिका ११३१ में लिखा है (पृष्ठ ४३५) : कि अनेक राज्य सरकारों ने निवेदन किया है कि लोक-कर्मचारियों अथवा सरकारी कर्मचारियों की नित्य प्रति मानहानि होती रहती है । परन्तु उन्हें 'सरकारी-कर्मचारी आचरण नियमों', के अधीन उन आरोपों के निराकरण करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाती और वैयक्तिक रूप में अभियोग चलाने में उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । भारतीय दण्ड संहिता स्वयं इस सार्वजनिक कर्मचारियों की स्थिति को पहचानती है और उन के प्रति किये गये आक्षेपों से उन की रक्षा करने के लिये एक पूरा अध्याय भरा पड़ा है । अतः यह आवश्यक है कि कोई मंत्री चाहे अपने वि द्ध लगाये गये आक्षेपों के विरोध में कोई कार्यवाही न भी चलाना चाहे तो भी उन मामलों की एक दंडाधिकारी के द्वारा जांच अवश्य होनी चाहिये ।

अतः यही एक खण्ड है जिस के द्वारा उन्हें न्यायालय में जा कर प्रति परीक्षण के लिये बाध्य किया जा सकता है और यह तभी हो सकता है जब कि अभियोग चलाया जाये ।

अतएव मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तावित किए गए इस खण्ड को संशोधन संहित स्वीकार कर लिया जाये ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर) : माननीय मंत्री जी ने **बार बार प्रतिज्ञातो यह** की थी कि भारतीय दंड विधान में सुधार का जो विधेयक वे संसद के सामने रक्खेंगे, उस का लक्ष्य फौजदारी मुकदमों में न्याय को सुलभ बनाना और न्याय पद्धति को शुद्ध करना होगा, परन्तु मुझे लगता है कि इस विधेयक के विधान रूप धारण करने पर देश की न्याय पद्धति और भी अधिक विकृत, दूषित, और भ्रष्ट हो जायेगी ।

इस विधेयक की जो अभी तक हमारे सामने आलोचना हुई है उस से यही प्रकट होता है कि माननीय मंत्री का उद्देश्य केवल जिस किसी प्रकार भी सरकार का काम सरल करना ही रहा है । इस विधेयक की रचना के समय यह विचार कम ही रक्खा गया है कि जो व्यक्ति फौजदारी मुकदमों में अभियुक्त बनाये जायेंगे उन के साथ अन्याय न हो कर उन्हें न्याय मिलने में किसी प्रकार की अनुचित बाधा उपस्थित न होने पावे ।

इस विधेयक में सब से अधिक आपत्ति और आक्षेपजनक इस की २५वीं धारा है जिस में मंत्रियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को साधारण जनता से ऊंचा उठा कर उन्हें विशेष अधिकार दे डालने का प्रयत्न किया गया है, जो प्रजातन्त्र राज्य का एक कलंक है । किसी को भी किसी की उचित आलोचना करने का एक स्वतं देश में अधिकार होना चाहिये । वाक्स्वतन्त्रता, फ्रीडम आफ स्पीच, किसी भी देश में रहने...देना सत्य का आदर करना है । इस विधेयक की २५वीं धारा की व्याख्या को तो देखिये कि मंत्रियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों की मानहानि के विषयों को पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य ठहरा दिया जाये, इस का परिणाम यह होगा कि अनुचित सख्ती करने वाली पुलिस को जो न्याय अन्याय न देखने में पहले ही विख्यात है, यह और भी अधिक अधिकार

मिल जायेंगे, जिस से मानहानि के नाम पर किसी भी साधारण व्यक्ति को सता कर पुलिस मालिकों को प्रसन्न करने की नीति का और भी अधिक तत्परता से पालन करेगी और अन्याय की वृद्धि होगी । सुधार के नाम पर तो विधान का ऐसा बिगाड़ना अंगरेजी शासन काल में भी नहीं हुआ था । माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में अति अनुदार सिद्ध हो रहे हैं; यद्यपि संसद में बहुजनमत इस विधेयक के विरुद्ध है तथापि, दल शासन पद्धति के अनुसार यह विधान बन ही जायेगा, क्योंकि हमारे गृह मंत्री अधिकतर संसद सदस्यों की बातों से सहमत न होना ही उचित समझते हैं । जिन विधेयकों का और संशोधनों का विरोध कांग्रेस सदस्य भी करते हैं उन्हें भी देश के हित का बता कर पास करा डालना हमारे मंत्री का मार्ग रहा है । यह विधेयक व धारा सचेतक के बल पर नहीं अपितु मंत्री जी के वाक्चातुर्य और हठ से पास होगी ।

आजादी के बाद जनता द्वारा बराबर यही मांग रही कि न्याय और शासन विभाग को पृथक पृथक कर दिया जाय । वह पुकार बिल्कुल व्यर्थ गई, उलटे इस विधान में शासनाधिकारियों की जनता आलोचना भी न कर सके इस के लिये एक संशोधन करके उन अधिकारियों को बन्धन मुक्त कर दिया गया है । अब कहीं अन्याय भी होगा तो जनता की न्यायालय तक पुकार भी सम्भव नहीं । आप ही बताइये कि भारतीय दंड विधान में यह संशोधन न्याय में सहायक होगा या बाधक । पुलिस को जितने ही अधिक अधिकार दिये जायेंगे उतना ही अधिक अन्याय होने की सम्भावना है ।

शायद माननीय मंत्री का यह विचार है कि इस प्रकार के विधान के पदारूढ़ दल के विरोधियों की वाणी मूक और लेखनी कुंठित हो जायेगी, परन्तु यह भी विचारणीय विषय है कि समय का चक्र कभी उलटा भी फिर सकता है । सच्चा न्याय तो वही हो सकता है जो बड़े छोटे सब के लिये समान रूप से लागू हो । हमें असत्य से भयभीत होना चाहिये न कि सत्य का सामना करने से ।

श्री गाडगील : खण्ड २५ के अधीन आने वाली सारी बातें श्री चटर्जी द्वारा पूछे गये प्रश्नों के अन्तर्गत आ गई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मं ी इस का स्पष्टीकरण अवश्य करेंगे । मैं एक पार्टी-जन के रूप में इस का हल नहीं करना चाहता । इस देश में भ्रष्टाचार नित्य प्रति बढ़ रहा है । अतः हमें किसी पार्टी विशेष के सदस्य के रूप में नहीं अपितु एक सच्चे नागरिक के रूप में इस समस्या का विचार करना चाहिए । देखना यह है कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या संशोधित खण्ड २५ में जो कुछ दिया गया है वह पर्याप्त है या नहीं ।

आज की स्थिति यह है कि हमारा प्रैस कुछ अंशों में अच्छा है और कुछ अंशों में बुरा भी है । क्योंकि प्रैस एक महा शक्ति है अतः इस का प्रयोग महान् उत्तरदायित्व-पूर्ण भाव से करना चाहिये । भारत जैसे देश में जहां साक्षरता दस प्रतिशत के लगभग है, प्रैस द्वारा लिखी गई बात को बिलकुल सत्य मान लिया जाता है । अतः जब किसी पत्र में किसी की मानहानि की जाती है तो यह मामला केवल दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत बदले लेने तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु बहुत बढ़ जाता है । अतः जनहित की दृष्टि में इसे अवश्य ही हमें रोकना चाहिए । अतः मेरा निवेदन है कि आज की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए कोई न कोई ऐसा उपबन्ध अवश्य होना चाहिये और मानहानि के लिये दण्ड न्यायालय में वैयक्तिक रूप से अभियोग चलाने के लिये व्यक्तियों

[श्री गाडगील]

को इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। जब मैं कुछेक मित्रों से मिला और उन्हें कहा कि वे उन पत्रों के विरुद्ध अभियोग क्यों नहीं चलाते जिन्होंने उन की मानहानि की है, तो वे उत्तर देते हैं कि हमारी मानहानि हुई परन्तु आप की भी तो मानहानि होती है, आप क्यों नहीं अभियोग चलाते ?

तो इस प्रकार से कोई भी अभियोग नहीं चलाता और मानहानि करने को प्रोत्साहन मिलता रहता है। यदि हम इस के लिये कोई कार्यवाही न करेंगे तो एक समय आएगा कि मंत्री लोग मानहानि की कुछ अधिक परवाह नहीं करेंगे और वह स्थिति बड़ी भयानक होगी।

सरकार द्वारा प्रारम्भ में जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था यह विचार किया था कि इस विशेष अपराध को हस्तक्षेप्य बना दिया जाए, पुलिस द्वारा उन की जांच हो, उस के सम्बन्ध में एक अभियोग चलाया जाये और उस का निर्णय जिला दण्डाधिकारी करें। प्रैस-आयोग भी, इसी निर्णय पर पहुंचा है कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आज की प्रैस की स्थिति ऐसी है इस के सम्बन्ध में एक उपबन्ध बनाना अत्यावश्यक है। केवल इतना ही नहीं अपितु पत्रकारों के शिष्ट मण्डल ने भी इसी बात की सिफारिश की है कि इस के लिये एक विशेष प्रक्रिया होनी चाहिये। परन्तु हमें श्री चटर्जी द्वारा पूछे गये प्रथम प्रश्न को अवश्य ध्यान में रखना है कि यह सुविधा किसी भ्रष्ट पदाधिकारी को प्राप्त नहीं होनी चाहिये। और इस के साथ ही साथ किसी उत्तरदायी पत्रकार पर भी किसी प्रकार का अभियोग न चलाया जाये और न ही उसे किसी प्रकार का क्लेश दिया जाये।

इस विधेयक में दो परिवर्तन किए गए हैं। प्रथम यह कि अब यह हस्तक्षेप्य नहीं है। दूसरा यह कि अब ज़िला दण्डाधिकारी का इस में कोई हाथ नहीं। अब तो सत्र न्यायाधीश ही निर्णय करेगा जिस का कार्यपालिका से कोई सम्बन्ध नहीं।

चर्चा के मध्य यह कहा गया था कि सरकारी अभियोक्ता के पास कई निकम्मी शिकायतें आ जायेंगी। परन्तु किसी भी शिकायत को मंजूरी देने से पूर्व उस की अच्छी प्रकार से पहले जांच होगी। सारा कार्य इस प्रकार से होगा मानो किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प में कोई बात आती है। मंत्रालय उस अधिकारी को बुला कर उस के बारे में पूछताछ करेगा। यदि वह अधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो सरकार उस पर कार्यवाही चलाएगी। क्योंकि सरकार को अपनी प्रतिष्ठा रखनी है। और यदि सरकार को विश्वास हो जाये कि उस पर लगाया गया आक्षेप निराधार है तो सरकार उस पत्रकार पर कार्यवाही चलाए ी। और यदि इस प्रकार का उपबन्ध बना दिया गया तो उस अधिकारी को अभियोजन के लिए जाना ही पड़ेगा। यदि वह नहीं जायेगा तो मामला प्रधान मंत्री अथवा उस राज्य के मुख्य मंत्री तक पहुंचेगा। और यदि वह अभियोग चलाने की अनुमति नहीं देगा, तो जनता बार बार उस पर आक्षेप करेगी और चुनाव के दिनों में वह जनता से मत प्राप्त न कर सकेगा।

अब मैं श्री चटर्जी द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न पर आता हूं। प्रश्न यह है--"क्या पदाधिकारी को दण्ड दिया जायेगा ?" हां यदि वह संतोषजनक उत्तर न दे सका तो उस विभाग की ओर से उसे अवश्य दण्ड दिया जायेगा क्योंकि सरकार अपने आप को अयोग्य तथा भ्रष्ट नहीं कहलाना चाहती जिस का चुनाव के समय बुरा प्रभाव पड़े।

तीसरा प्रश्न यह था कि "यह विशेष प्रक्रिया किस लिये अपनायी गयी है ?" इसका कारण मैं ने पहले ही समझा दिया है कि प्रैस के लोग कुछ विशेष अधिकारों का दावा करते हैं और कहते हैं कि वे साधारण जनता से कुछ भिन्न हैं। और उन का यह कथन ठीक भी है। जब सत्र न्यायालय प्रक्रिया, शिकायत करने वाले के लिये एक विशेष प्रक्रिया है तो यह अभियुक्त के लिये भी वैसी ही एक विशेष प्रक्रिया है जिस के, द्वारा एक सच्चा और पक्षपात रहित निर्णय होगा।

एक बात यह कही गयी थी कि शिकायत तो की जाये परन्तु वास्तविक संतप्त व्यक्ति सामने न आए। युक्ति तो बहुत अच्छी है और श्री वेंकटरामन् ने एक उचित संशोधन प्रस्तुत किया है। इस संशोधन के द्वारा उस व्यक्ति को, जिस के विरुद्ध प्रैस के द्वारा कोई आक्षेप लगाया गया है, न्यायालय में उपस्थित होना ही पड़ेगा। और प्रति परीक्षण का सामना करना ही होगा।

मूल-विधेयक की आपत्तिजनक दो बातें—अर्थात् अपराध को हस्तक्षेप्य बनाना और एक जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अभियोग का निर्णय कराना अब इस में नहीं है।

प्रतिकर के सम्बन्ध में भी एक विशेष प्रक्रिया रखी गई है। साधारण विधि के अनुसार यदि दंडाधिकारी देखता है कि कोई अभियोग झूठा है तो धारा २५० के अनुसार वह दण्ड लगा सकता है। परन्तु क्योंकि अब तो कोई पदाधिकारी किसी सरकारी अभियोक्ता के माध्यम से ही अभियोग चलायेगा कोई भी झूठा अभियोग आगे नहीं जा सकता।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि प्रतिकर किस सीमा तक देना चाहिए। परन्तु सरकार के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि उन्हें झूठे अभियोगों के लिये प्रतिकर देना पड़ेगा।

अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी आपत्तिजनक बातें अब इस विधेयक से निकाल ली गयी हैं और दो अच्छी बातें मिला दी गई हैं। यह हर प्रकार से अब ग्राह्य है। हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस के द्वारा पदाधिकारियों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, इस से तो वे स्वयं घबरा रहे हैं। सत्र-न्यायाधीश के न्यायालय में वे अपना प्रभाव चला कर कुछ भी अत्याचार नहीं कर सकते। इस से तो सरकार और अधिक सचेत हो जायेगी और अपने पदाधिकारियों के विरुद्ध लगे आक्षेपों की सचाई की पूरी जांच करेगी। और भ्रष्टाचार के निवारण का प्रयत्न करेगी। इस के साथ ही साथ प्रैस भी अपने उत्तरदायित्व को पहचानने लगेगा।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

श्री राघवाचारी : गृहकार्य मंत्री भ्रष्टाचार तथा मानहानि के मामलों में निष्पक्ष व्यापिक जांच का उपबन्ध करने वाली नवीन प्रक्रिया की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और हम लोगों पर उस की आलोचना करने का आरोप लगा रहे थे। मैं उन के इस तर्क का उत्तर दूंगा। स्वतन्त्र भारत में सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया है और वे लाखों रुपया हज़म कर जाते हैं। आज के इस युग में पवित्र शासन व्यवस्था का विचार करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है, क्योंकि प्रायः सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की बात पाई जाती है जिन में मंत्री आदि भी सम्मिलित हैं। श्री गाडगिल का आगामी निर्वाचनों में जनता द्वारा उन व्यक्तियों के भाग्य-निर्णय की प्रतीक्षा करने का विचार मुझे पसन्द नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से केवल असंतुष्ट रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे अपराधियों को दण्ड अवश्य ही मिलना चाहिये। यदि मंत्री

[श्री राघवाचारी]

महोदय इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं तो मैं इस का समर्थन करूंगा, परन्तु बात यह है कि इस में यह अपराध किया गया है कि जिन व्यक्तियों ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, सरकार उन्हें बुलाएगी और यदि वे सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचारी सिद्ध कर सकेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। परन्तु क्या इस में ऐसा भी कोई उपबन्ध किया गया है कि उस कर्मचारी के दोषी सिद्ध हो जाने पर उसे दण्ड दिया जायगा? यदि माननीय मंत्री चाहते हैं कि आरोप की न्यायिक जांच पड़ताल हो, तो मेरी राय यह है कि उस कर्मचारी के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए, और आरोप लगाने वाले को उस मामले की पैरवी करने दी जाये। परन्तु दिन प्रति दिन अधिनियमों में संशोधन किये जाते हैं ताकि भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य ही न मिल सके। भारत दंड संहिता में अब जो संशोधन किया गया है उस के अनुसार रिश्वत देने और लेने वाले का साक्ष्य नहीं लिया जायेगा। फिर भला आरोपित अपराध का साक्ष्य कहां से मिलेगा। इस के विपरीत बेचारे आरोप लगाने वाले को अभियुक्त बना लिया जायेगा और यदि वह बच भी जाये तो भी वास्तविक अपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा। सरकार ने भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिये जो उपाय सोचा है, उस के द्वारा यह उद्देश्य सिद्धि नहीं होगी। भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अनुसार यदि पांच विश्वस्त व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाया जाता है। इस प्रकार का उपबन्ध इस में किया जाना चाहिये था, और यदि वह न्यायिक जांच में अपराधी सिद्ध हो जाता तो उसे दंड दिया जाता, अन्यथा अपराध सिद्ध न होने पर उसे छोड़ दिया जाता।

परन्तु ऐसा करने की बजाये सरकार लोगों की आलोचनाओं से चिड़ कर उन्हें परेशान करने के लिये और उन्हें चुप कराने तथा उन की जबान को बन्द करने के लिये इस नवीन उपाय का आश्रय ढूंढ रही है।

प्रजातन्त्र में सब व्यक्तियों को समान अधिकार होते हैं--परन्तु यहां सरकार सरकारी कर्मचारी और जनता के बीच भेद-भाव रखती है। मैं समझता हूं कि मान-हानि में व्यक्तिगत हानि होती है और मानहानि के मामले में साधारण व्यक्ति को स्वयं कष्ट उठा कर अभियोग चलाना पड़ता है, फिर सरकारी कर्मचारी की मानहानि के मामले में आरोप लगाने वाले के विरुद्ध सरकार को भारी खर्च कर के अभियोग चलाने की क्या आवश्यकता है?

दूसरी बात यह है कि इस अपराध में न्यायालय की अनुमति के साथ समझौता करने का भी उपबन्ध किया गया है। अप-राध सिद्ध होने पर समझौता किया जा सकता है--फिर भला अपराध या भ्रष्टाचार कैसे नष्ट हो सकता है। मैं तो समझता हूं कि लोक आलोचना जो प्रजातन्त्र के लिये अनिवार्य होती है, उसे बन्द करने के लिये ही सरकार यह उपबन्ध कर रही है।

प्रैस वाले कहते हैं कि उन के कथन के बारे में गृहकार्य मंत्री ने जो कहा है, वह सर्वथा असत्य है। उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही है। उनके विरुद्ध यदि कोई कार्य-वाही करने की आवश्यकता है तो यह उच्चतम अधिकारी की मंजूरी के साथ और उच्चतम न्यायालय में की जानी चाहिये। परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार समाचारपत्र वालों को अभियोग की धमकी दे कर उन्हें शासन व्यवस्था की बुराइयों को समाचारपत्रों में प्रकाशित करने से रोकना चाहती है।

श्री वी० जी० देशपांडे : इस नवीन संशोधन के समान विधि संसार में अन्य कहीं नहीं है। यह प्रजातन्त्र के नाम पर धब्बा है। श्री वेंकटारमन ने मंत्री जी की सहायता तो की है परन्तु वह विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं करवा सके हैं।

इस विधेयक के प्रति मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा ५०० के अधीन अभियोक्ता को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मेरा अनुभव है कि मेरे मामले में अभियोक्ता को कई दिनों न्यायालय में जाना पड़ा और अन्त में हार कर मुझ से क्षमा मांग कर समझौता करना पड़ा। इस विधेयक में आप मंत्रियों आदि को न्यायालय में न जाने और साक्ष्य न देने की छूट दे रहे हैं। इन सशोधनों के द्वारा स्थिति खराब कर दी गई है! पहले कहीं ऐसा नहीं कहा गया था कि किसी व्यक्ति को भी साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जायेगा, परन्तु अब ऐसा उपबन्ध कर दिया गया है। मंत्रियों के सरकारी कामों में अत्याधिक व्यस्त रहने के कारण उन्हें न्यायालय में जाने से छूट मिल जायेगी और सत्र न्यायालय उसे स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार श्री वेंकटारमन के संशोधन का कोई उपयोग नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आप ने किस आधार पर केवल मंत्रियों को यह विशेषाधिकार दिया है, जबकि संविधान के अनुसार सब व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं। छोटे सरकारी कर्मचारियों को सरकार कुछ सहायता दे, यह बात किसी मात्रा तक मान ली जा सकती है, परन्तु मंत्रियों को यह रियाअत देना, सर्वथा अनुचित है। यदि मंत्रियों को यह विशेषाधिकार देश की जनता के प्रतिष्ठत प्रतिनिधि के नाते दिया जाता है तो समस्त निर्वाचित पदाधिकारियों को इस सूचि में सम्मिलित करना चाहिए था, जिन में विधान सभाओं और लोक सभा तथा राज्य सभा और निर्वाचित संस्थाओं के सदस्य तथा राज्यों के उपमंत्री आदि सभी आ जाते हैं।

श्री गाडगिल ने ऐसी कार्यवाही न करने की अवस्था में, आगामी निर्वाचनों में कांग्रेस दल की पराजय की आशंका प्रकट की है मुझे मालूम कि एक राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विरोधी दल ने अनेक अपराधों के आरोप लगाये थे, और उन पर अभियोग चलाये गये थे, परन्तु जब कांग्रेस दल में परिवर्तन होने लगा तो वे समस्त मामले वापिस ले लिये गये और उसी व्यक्ति को वहां का मुख्य मंत्री बना दिया गया। जब कांग्रेस दल इस प्रकार भ्रष्टाचार का पोषण कर रहा है फिर भला इस दल से यह आशा कैसे की जा सकती है कि यह समाचार पत्रों के विरुद्ध मानहानि का अभियोग न चलाते हुए शासन व्यवस्था को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करेगा। बड़े पदाधिकारी अधिक भ्रष्टाचारी होते हैं, इस लिये मेरा सुझाव यह है कि कम से कम मंत्रियों को यह विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करने को तैयार नहीं तो उपमंत्रियों सभासचिवों आदि सब निर्वाचित पदाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इस सूचि में सम्मिलित करना चाहिये और मानहानि संबंधी उपबंध ही हटा देना चाहिये। जब तक यह नहीं होता, यह विधि किसी प्रकार भी उपयोगी नहीं हो सकती।

श्री टेकचन्द : इन लोगों के लिये पहले से अनेक सुविधायें और रियाअतें विद्यमान हैं, और उन में एक नवीन उन्मुक्ति तथा नवीन विशेषाधिकार की वृद्धि की जा रही है। आप नवीन अधिनियमों में देखेंगे कि सब सरकारी कर्मचारियों को दीवानी और फौजदारी विधि से छूट दी जा रही है। श्री जैनिंग ने अपनी पुस्तक "विधि

[श्री टेक चन्द]

तथा संविधान" के तृतीय सस्करण में लिखा है कि एक ही प्रकार के अपराध के लिये किसी व्यक्ति को अभियोग चलाने और उस के विरुद्ध अभियोग चलाये जाने का सब नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिये । परन्तु अवयस्कों और पागलों आदि को कुछ छूट दी जा सकती है। श्री रिजिज़ ने भी इस की पुष्टि की है। और कहा है कि साधारण नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों की स्थिति की दृष्टि में समान होना चाहिये ।

३ म० प०

"सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिये "। इस सिद्धांत से यह विधेयक बिलकुल विपरीत है । यह फ्रांस और किसी अंश तक जर्मनी तथा बेल्जियम के प्रशासिक विधान के समान है, जिस की सभी संविधानिक विधि-वेताओं ने निन्दा की है । इस प्रकार की अन्य कोई विधि भारत में प्रचलित नहीं है ।

इस विधेयक में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को छूट दे दी गई है । भारतीय दंड संहिता की धारा ४९९ में मानहानि सम्बन्धी विधि के अनुसार न केवल लिखित शब्द, अपितु बोले हुए शब्द भी मानहानि का विषय बनते हैं । यदि कोई व्यक्ति किसी पटवारी या पुलिस वाले के बारे में यह कह दे कि वह रिश्वत लेता है, तो उस बेचारे के विरुद्ध सरकार अभियोग चलाती है और उस कर्मचारी को ऐसे अभियोग के मामले में प्राप्त सभी छूट और विशेषाधिकार मिल जाते हैं । मंत्री लोग तो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसलिये उन्हें इस प्रकार की विशेष छूट और विशेषाधिकार के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये । परन्तु यदि वे इस विशेषाधिकार को अवश्य प्राप्त करेंगे, तो मैं उन से यह प्रार्थना अवश्य करता हूं कि वे सरकारी कर्मचारियों को इस श्रेणी में न रखें, क्योंकि अन्य कारणों के साथ उन की संख्या भी बहुत अधिक है । इस के अतिरिक्त यह विधि केवल लिखित शब्दों और निन्दा-लेखों पर लागू होनी चाहिये और बोले गये शब्दों या उपवचनों पर लागू नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इंगलिस्तान की विधि में भी बोले गये केवल उन्हीं शब्दों को ले कर अभियोग चलाया जाता है, जिन से शांति भंग होने की आशंका होती है ।

वैसे तो गृह-कार्य मंत्री ज्यूरी की इतनी प्रशंसा करते हैं, परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इस विधेयक में ज्यूरी से सब शक्तियां छीन ली गई हैं और केवल सत्र न्यायाधीश ही स विशिष्ट फौजदारी मामले का परीक्षण करेगा । संभवतः सरकार को यह आशंका थी कि ज्यूरी अभियुक्त को छोड़ देगी और उसे इतना अपराधी नहीं मानेगी, जितना कि वह चित्रित किया गया है । इसी कारण जान बूझ कर ज्यूरी को निकाल दिया गया है । मैं इस का कारण जानना चाहता हूं ।

अभियोग के झूठा और तुच्छ सिद्ध हो जाने की अवस्था में, श्री वेंकटरामन्, प्रतिकर देने की अनुमति देना चाहते हैं । परन्तु क्या सचिव द्वारा अभियोग की मंजूरी दिये जाने पर कोई सत्र न्यायाधीश उस अभियोग को तुच्छ कहने का साहस करेगा ? इसी लिये श्री वेंकटरामन् इस रक्षा कवच का उपबन्ध कर रहे हैं और वह समझते हैं कि मंजूरी देते समय सरकार स्वयं इतनी तुच्छता का व्यवहार कर सकती है । प्रतिकर के लिये अभियोग केवल झूठा ही नहीं, बल्कि तुच्छ भी सिद्ध होना चाहिये । अतः ऐसी अवस्था में प्रतिकर की आशा करना व्यर्थ है ।

धारा ४९९ के अनुसार सत्यता तथा सार्वजनिक हित और सद्भावना एक बचाव हो सकता है। यहां सद्भावना का यह अर्थ लिया जाता है कि कोई काम ध्यान पूर्वक किया गया है, और न कि ईमानदारी के साथ। इस प्रकार अच्छा किन्तु लापरवाह व्यक्ति विधि के पंजों में फंस सकता है। परन्तु सामान्य खंड अधिनियम में स 'सद्भावना' शब्द का विपरीत अर्थ है। अतः सत्य, सद्भावना आदि के रक्षा कवच काल्पनिक हैं। इस विधि के अनुसार ईमानदार किन्तु लापरवाह व्यक्ति विधि के जाल से छुटकारा नहीं पा सकता।

फौजदारी अभियोग में अभियुक्त न केवल वित्त की दृष्टि से पिस जाता है, अपितु वह समाज की दृष्टि में भी गिर जाता है। उसे १,००० रूपये के प्रतिकर के लिये अभियोग को न केवल झूठा अपितु तुच्छ भी सिद्ध करना पड़ता है, जिसे वह साधारणतया नहीं कर पाता। इंगलिस्तान में अभियोग झूठा सिद्ध होने पर अभियुक्तों को भारी प्रतिकर दिया जाता है, परन्तु यहां आप उससे अभियोग को तुच्छ सिद्ध करने की आशा करते हैं और तब भी इतना थोड़ा प्रतिकर देने का विचार करते हैं। यह भला कहां का न्याय है ?

श्री वी० पी० नायर : जब सभी वक्ता और गृह-कार्य मंत्री वर्ग के व्यक्ति इस उपबन्ध का इतना घोर विरोध करते हैं, फिर इस विधेयक पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक भी व्यक्ति ने इस उपबन्ध का पूरे दिल से समर्थन नहीं किया है। डा० काटजू का इस विधेयक को प्रस्तुत करने का यह कारण है कि वह मतदान के समय बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इस विधेयक में सार्वजनिक हित की कोई भी बात नहीं है।

डा० काटजू ने सभा को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रेस आयोग के सदस्य डा० सी० पी० रामस्वामी के प्रतिवेदन की निष्पक्षता और महत्त्व का उल्लेख किया था। परन्तु क्या वह उन्हें तब जानते थे जब कि वह मेरी रियासत के दीवान थे। और आधुनिक भारतीय इतिहास में उन का शासन सब से निकृष्ट था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अप्रासंगिक चर्चा छोड़ कर संशोधन विशेष के विषय में ही बोलना चाहिये।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : जब कोई मंत्री किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है, तो क्या अन्य सदस्यों को उस प्रशंसा की सत्यता या असत्यता जानने का अधिकार नहीं होता ?

सभापति महोदय : यदि प्रशंसा के रूप में कुछ कहा जाता है तो चर्चा के मुख्य विषय को छोड़ कर उस बात को चर्चा का विषय नहीं बना लेना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि डा० रामस्वामी त्रावनकोर कोचीन के दीवान के नाते भी दंड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सके थे।

डा० काटजू ने प्रेस आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए उन सदस्यों के विमतिटिप्पण का कोई उल्लेख नहीं किया है जिन्होंने इस उपबन्ध की घोर निन्दा की है। डा० काटजू जब कहते हैं कि सरकार शांति तथा व्यवस्था चाहती है तो हमें इस से यह अनुमान लगाना चाहिये कि सरकार शांति तथा व्यवस्था भंग करना चाहती है और जब वह कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना चाहती है तो इस से यह समझना चाहिये कि वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना और भ्रष्टाचारी

[श्री वी० पी० नायर]

अधिकारियों को बचाना चाहती है। डा० काटजू जानते हैं कि पहले की अपेक्षा वर्तमान प्रशासन में अब अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

भ्रष्टाचार कई रूपों में फैला हुआ है अर्थात् नौकरी दिलाना, पक्षपात करना, इत्यादि अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या इस भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना अनिवार्य है? दिल्ली में इस भ्रष्टाचार के लिये एक विचित्र शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यहां एक इंजीनियर ने हाल ही में १० कोठियां बनवा ली हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

भ्रष्टाचार को नष्ट करने का यह उपाय नहीं है कि शिकायत करने वाले पर अभियोग चलाया जाये और भ्रष्टाचारी को बचाया जाये, बल्कि भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिये छोटे कर्मचारियों को कहा जाये कि वह अपने अधिकारियों के भ्रष्टाचार का भंडा फोड़े और उस भ्रष्टाचार की कथा आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों के द्वारा सब को सुनाई जाये और तब उस के परिणाम देखे जायें।

मैं ने एक संशोधन रखा है कि अभियोग चलाने के पूर्व एक प्रारम्भिक सुनवाई होनी चाहिये और उस व्यक्ति को भी एक अवसर मिलना चाहिये जिस के विरुद्ध शिकायत की गई है। अंगेरजी अधिनियम में भी एक समानवर्ती उपबन्ध है कि न्यायाधीश के प्रारम्भिक आदेश के बिना किसी समाचारपत्र, प्रेस या सम्पादक के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

मेरा निवेदन है कि वर्तमान प्रसंग में हमें लोक आलोचना को प्रोत्साहन देना चाहिए। कम से कम प्रेस के पक्ष में इतनी रिआयत तो की ही जानी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं ने धारा ५०३ में एक संशोधन रखा है। इस विधेयक में प्रत्येक दंडाधिकारी को कमिशन जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इन कमिशनों के द्वारा जनता का अहित हो सकता है। इसलिये प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारियों को ये शक्तियां भले ही दी जायें, परन्तु द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारियों को यह शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें, क्योंकि उन के द्वारा इन के दुरुपयोग की संभावना है।

नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना प्रजातन्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। केवल फ्रांस को छोड़ कर ऐसी विधि विश्व में अन्य कहीं नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, और उपराष्ट्रपति के मामले में भले ही यह विशेषाधिकार दिया जा सकता है, परन्तु अन्य अधिकारियों को यह विशेषाधिकार देना सर्वथा अनुचित और प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। प्रश्न तो अन्य लोक कर्मचारियों का ही है। जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है, वे भी एक वर्ग के रूप में हैं। किसी भी मंत्री को विशेष संरक्षण देने का मैं विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्रियों के साथ भी भारत के साधारण नागरिकों के समान ही व्यवहार होना चाहिये। अन्य सार्वजनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में तो मेरा दृढ़ मत है कि खण्ड २५ को जारी करना तो महान गलत पग उठाना होगा। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी, वंशपोषण अथवा पक्षपात की कोई शिकायत आती है, तो उचित उपाय तो यह है कि इसकी जांच के लिये क समिति नियुक्त की जाये। यदि यह आक्षेप या शिकायत निराधार है तो हमारे पास धारा २११

और धारा १८२ हैं, जिनके द्वारा उस झूठे शिकायत कर्त्ता के विरुद्ध कार्यवाही चलायी जा सकती है।

जहां तक पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, अभी हाल ही में श्री वेंकटरामन् के विरुद्ध १८५० के अधिनियम २१ के अधीन मामला चलाया गया था। अतः जब कि हमारे पास पहिले ही एक व्यवस्था विद्यमान है, तो इस विधि को परिवर्तित करने की आवश्यकता ही क्या है ?

इस का एक और उपाय भी हो सकता है। जब भी किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत आए, सरकार उस की जांच करे। यदि वास्तव में पदाधिकारी भ्रष्ट है ऐसा सिद्ध हो जाये तो उसे अभियोग चलाने को कहा जा सकता है और यदि शिकायत निराधार सिद्ध हुई तो सरकार स्वयं धन दे कर उस पदाधिकारी को झूठे शिकायत कर्त्ता के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए और अपने आप को निर्दोषी सिद्ध करने के लिए कह सकती है। परन्तु उस उपाय का कोई लाभ न होगा—यह तो एक उल्टे मार्ग पर चलना होगा।

इस के लिये हमारे पास प्रैस अधिनियम जो हैं जिन के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो देश की शांति और व्यवस्था की दृष्टि से कोई हानिकारक लेख लिखता है, अभियोग चलाया जा सकता है। तो फिर कठिनाई की बात ही क्या है ?

यदि कोई उच्चपदाधिकारी घूंस लेता है तो यह कोई सार्वजनिक मामला नहीं है यह तो उस का व्यक्तिगत मामला है—यह उस का व्यक्तिगत लोभ प्रदर्शन है। अतः उसे राज्य की ओर से संरक्षण नहीं प्राप्त होना चाहिए। आज भारत में भ्रष्टाचार नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। मुझे आशा है कि जब पुलिस में नये नवयुवक पदाधिकारी बन कर आयेंगे तो दशा अवश्य सुधरेगी। सरकार तो केवल प्रेस का ही विरोध करना चाहती है जब कि स्वयं सरकारी पदाधिकारी इतने भ्रष्ट हुए हुए हैं। उन के विरुद्ध समाचारपत्र नित्य प्रति नाम दे दे कर शिकायत करते हैं, परन्तु सरकार इस की ओर कोई ध्यान नहीं देती। ऐसा कहा गया है कि नियम ऐसे हैं कि कोई भी मनुष्य कोई भी व्यक्तिगत शिकायत नहीं कर सकता। अतः इन नियमों को बदल डालिये। हम ने सरकारी कर्मचारियों को इतने अधिक अधिकार दे कर एक महान् गल्ती की है।

अतः मेरा निवेदन है कि जब आप इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में सोच विचार कर रहें, तो हम एक ऐसी विधि बनानी चाहिए जो एक नागरिक और दूसरे नागरिक में कोई भेदभाव उत्पन्न न करे।

मानहानि के मामलों की जांच करने में एक और भी महान् कठिनाई आती है। केन्द्रीय सरकार में तो कुछ विशेष कठिनाई नहीं, परन्तु राज्य सरकारों में यह कठिनाई अधिक है। वहां पर पार्टियों के राज्य हैं। यदि मुख्य मंत्री अन्य पार्टी के किसी सदस्य के विरुद्ध मामला चलाता है तो उस को अपनी सरकार का डर पड़ जाता है।

अतः मेरा निवेदन है कि विधि बदल कर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख और यदि सभा सहमत हो तो, मंत्री भी इस में सम्मिलित हों क्योंकि यदि इस की मंजूरी दे दी गयी तो मंत्री को मामला चलाने के लिए जाना ही पड़ेगा और इस प्रकार वह संसार के सामने नग्न होगा।

इस से पूर्व एक विधेयक के द्वारा गृह-मंत्री ने सत्र-न्यायाधीश को सभी भ्रष्टाचार के मामलों का निर्णय करने का कार्य सौंपा था और अब मानहानि के मामलों का कार्य भी सौंप रहे हैं। तो क्या इस अतिरिक्त कार्य के लिए और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अधिक सत्र न्यायालय खोले जायेंगे । उस के लिए फिर धन कहां से आएगा ? हमारी ही जेबों से करों के रूप में आएगा । पटवारियों और चौकीदारों के मामले सत्र न्यायालयों के पास भेजने का कोई लाभ नहीं यह तो सत्र न्यायालयों के बहुमूल्य समय को व्यर्थ में गंवाना है । अत: मैं चाहता हूं कि सत्र परीक्षणों को इतना सस्ता नहीं बना देना चाहिए । सत्र न्यायाधीश के पास तो केवल उन्हीं चार व्यक्तियों तथा मंत्रियों से सम्बन्ध रखने वाले परीक्षण आने चाहिएं अन्य छोटे छोटे परीक्षण नहीं ।

अत: यदि आप विधि बनाना भी चाहते हैं तो ऐसी बनाएं जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में भेदभाव न रखे । और भाव पूर्ण विधि तो कूड़े में फैंक देनी चाहिए ।

डा० काटजू : यहां पर दिए गए भाषणों से यह प्रकट होता है कि इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में सदस्यों को कुछ मिथ्या भ्रम हो गया है । मुझे एक बड़ी भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है—वह है यह सन्देह कि मैं मंत्रियों के सहित सभी सार्वजनिक कर्मचारियों का संरक्षण करना चाहता हूं, उन का एक प्रकार का विशेषाधिकार पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूं और उन्हें हर प्रकार की सुविधायें देना चाहता हूं । मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप का यह भ्रम नहीं केवल सचाई से, यथार्थ से दूर है, अपितु जो मैं चाहता हूं, उस के बिल्कुल विपरीत है ।

सभा को ज्ञात है कि यह सार्वजनिक शिकायत छ: मास के अन्दर करनी होती है, और मैं आप को सच्चरित्रता से बताता हूं कि मैं ने अपनी दृष्टि में लक्ष्य यह रखा है कि या तो मामला दण्ड न्यायालय में जायेगा (वह कैसे जायेगा यह आप को अभी बताऊंगा) और या वह व्यक्ति मुक्त कर दिया जायेगा । इस का कोई मध्यम मार्ग नहीं है । मैं यह नहीं चाहता कि इस प्रकार की व्यापक शिकायतें आयें कि सारी की सारी पुलिस भ्रष्ट है, सारी दंडाधिकारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है अथवा सभी मंत्रीगण भ्रष्ट हैं । यह तो सभी पर कीचड़ उछालने की बात है । ये गुप्त रूप के प्रयत्न तो विशेष मंत्रियों अथवा सार्वजनिक कर्मचारियों के ही विरुद्ध होते हैं, निर्धन पटवारियों की कौन चिन्ता करता है ? केवल उच्च अधिकारियों के ही विरुद्ध पत्रों में लेख और विशेषकर उत्तेजित करने वाले लेख दिए जाते हैं । समाचार पत्रों में प्रकाशित शब्दों का जनता की दृष्टि में बड़ा महत्व होता है और सार्वजनिक समाचार पत्र की एक महान शक्ति होती है, अत: यदि ऐसी बातें नित्य प्रति होती रहें तो उन का जनता पर, प्रभाव पड़ता है । निम्न श्रेणी के समाचार पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक ज़िला मुख्यालय और शहर में सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में वितरित किए जाते हैं— लोग सोचते हैं कि कुछ हो रहा है । मेरी यह महान अभिलाषा है कि किसी प्रकार की रोक अवश्य होनी चाहिए और वह प्रैस पर नहीं अपितु सार्वजनिक कर्मचारियों पर । या तो वह न्यायालय में जा कर अपने चरित्र की निर्दोषता को प्रकट करे, अथवा उसे पदच्युत होना होगा । मेरे दृष्टिकोण में कौन सा चित्र विद्यमान है । कल्पना करो कि यह विधेयक इसी रूप में अथवा अन्य किसी मिलते जुलते रूप में पारित हो जाता है, तो किस प्रकार के अनुदेश जारी किए जायेंगे ? अब मैं एक सार्वजनिक कर्मचारी के विषय में बात कर रहा हूं । कल्पना करो कि किसी समाचार पत्र में, किसी विशेष पुलिस निरीक्षक अथवा और किसी के विरुद्ध कोई लेख आता

है, तो इस की प्रक्रिया क्या होगी ? प्रक्रिया यह होगी कि उच्चतर प्राधिकारी उस व्यक्ति से तत्क्षण पूछेगा कि वह क्या कहना चाहता है ? जब धारा २५० के अनुसार प्रतिकर के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, उस समय किसी ने कहा था कि कोई व्यक्ति शिकायत न भी करे, तो भी उसे व्यय अदा करने के लिए कहा जा रहा है । परन्तु वास्तव में यूं होगा कि उच्चतर प्रधिकारी सर्व प्रथम उस व्यक्ति से पूछेगा कि "उसे क्या कहना है ?" उस की शिकायत को पढ़ेगा और यह लिख कर उच्च प्राधिकारी के पास भेज देगा कि "यह सभी कुछ व्यर्थ है और पूर्णतया झूठ है ।" यदि वह इनकार करेगा तो फिर दूसरा व्यक्ति है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है अनुदेश जारी किए जायेंगे और यह परामर्श दिया जायेगा कि सर्व प्रथम उस व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप से अभियोग चलाने के लिये कहा जायेगा । हम सार्वजनिक शिकायतों को इतना सस्ता नहीं बनाना चाहते । यदि वह कोई कारण बताता है और कहता है कि "यह बात मद्रास में प्रकाशित हुई थी, मैं कोइमबटौर में हूं और मेरे लिए मद्रास आने जाने में एक महान कठिनाई होगी"—क्योंकि निजी अभियोक्ता को हर समय न्यायालय में विद्यमान रहना पड़ता है—और यदि वास्तव में उस का कोई उचित कारण है तो ऐसी स्थिति में सरकार स्वयं एक सार्वजनिक अभियोक्ता के द्वारा एक सार्वजनिक अभियोग चलाने की मंजूरी दे सकती है । मैं इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि हमें इस प्रकार के मामलों को अधिक सस्ता नहीं बना देना चाहिए । निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, यदि वे कोई अभियोग चलाना चाहते हैं, तो उन्हें दंडाधिकारी के न्यायालय में चलाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, और यदि वे अभियोग नहीं चलाते तो उन्हें पदच्युत कर देना चाहिये । तब तत्क्षण दो बातें होंगी—ज्यों ही किसी पत्र में किसी मंत्री आदि के विरुद्ध कोई बात प्रकाशित होगी, व्यवस्था अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी, जांच की जायेगी और उस जांच के फल-स्वरूप प्राप्त होने वाला परिणाम एक प्रकार से सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा दी गयी दृढ़ घोषणा होगी कि उस के विरुद्ध लगाए गए सभी आक्षेप झूठे थे और उस ने किसी भी प्रकार की घूंस नहीं ली है । तब उसे एक निजी अभियोग चलाने के लिये कहा जाएगा और उसे उस आदेश को मानना ही पड़ेगा । यदि वह उस आदेश को नहीं मानता तो उस के विरुद्ध जांच होगी । यदि वह आदेश को मान लेता है तो इस में कोई हानि नहीं । यदि वह उस विशेष मामले के बारे में निजी अभियोग चलाने में असमर्थ होने के ये कारण बताता है कि कार्य उस के उलझन के रूप में होगा, उस के लिए बड़ा कठिन होगा—कल्पना करो कि रेलवे विभाग में काम करता है, पहले वह मद्रास में था और अब वह शिमला में स्थानान्तरित हो गया है और कहता है कि उस के लिए एक निजी अभियोग चलाना सुविधाजनक नहीं है —तो इस स्थिति में सरकार सहमत हो सकती है कि यह एक सार्वजनिक अभियोग होगा । मैं तो इसे अधिमान देता हूं कि एक मंत्री दंडाधिकारी के न्यायालय में ही अपना अभियोग चलाए, परन्तु वास्तव में इस पर शिकायत भी थी । पत्रकारों ने कहा कि एक निजी अभियोग के लिये भी वे दंडाधिकारियों और पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । वे एक निजी अभियोग के बारे में दंडाधिकारी की अपेक्षा सत्र न्यायाधीश को अधिमान देते हैं । जब आप यह सोचते हैं कि मैं पत्रकारों और समाचार पत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के रक्त का प्यासा हूं तो मुझे महान आश्चर्य होता है । मेरे माननीय मित्र,

[डा० काटजू]

श्री नायर ने ब्रिटिश अधिनियम से कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं। यदि वे इस विषय पर मुझ से बातचीत करने की कृपा करेंगे तो मैं इस का शीघ्र ही निर्णय कर सकता हूं। मुझे कुछ भी बताने में कोई आपत्ति न होगी—उदाहरणार्थ एक सार्वजनिक अभियोक्ता कहां अभियोग चलाएगा, फिर हमारी एक प्रकार की प्रक्रिया है; अभियोक्ता को नोटिस जारी किया जा सकता है, और फिर वे चैम्बर में मामले पर चर्चा कर सकते हैं, और तब वे इसे देखें। मेरे मन में यही तो रूप है। इस में किसी मौखिक शिकायत कर्ता के विरुद्ध कोई अभियोग चलाने का भाव नहीं है। इस में किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई आशय ही नहीं है, जो किसी संसद् सदस्य के पास या मेरे पास आ कर कहता है कि "क्या आप ने यह सुना है, कि आप का एक अधीन कर्मचारी घूंस लेता है।" दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय प्रक्रिया संहिता कहते हैं कि आप सद्विश्वास से आएं तो आप अभियोग चलाने के पात्र हैं, परन्तु ऐसी निराधार शिकायतों के आधार पर कोई भी अभियोग चलाने तथा उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का स्वप्न भी नहीं ले सकता। यही समाचार पत्र है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में हज़ारों की संख्या में बांटे जाते हैं, तब यह विचार आता है कि. . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव: परन्तु यह आश्वासन कार्यान्वित कैसे किए जायेंगे। जो कुछ हम सुन रहे हैं, वह तो बहुत अच्छा है, परन्तु देखना यह है कि यह कार्य रूप में परिणत कैसे होता है।

डा० काटजू: मेरे गृह-कार्य मंत्री होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता प्रश्न तो यह है कि इस का आधार तो मुद्रित विषय पर है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जो कुछ कह रहे हैं वह मुद्रित नहीं है। इन आश्वासनों को कैसे कार्यान्वित किया जायेगा।

डा० काटजू: एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें क्रियात्मक रूप में विचार करना चाहिए। सैद्धान्तिक रूप में तो हम किसी सविधि या किसी खंड में कई त्रुटियां निकाल सकते हैं। अधिक शिकायत अफवाह की नहीं बल्कि मुद्रित शब्द की है। इस शरारत को हम ठीक करना चाहते हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें कि मुद्रित शब्द को विशेष रूप दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: कृपया ऐसा कर दें क्योंकि हम यहीं तो चाहते हैं।

श्री सारंगधर दास: यदि किसी सार्वजनिक मच पर हज़ारों लोगों के बीच आरोप लगाया जाये तो उस के साथ क्या बर्ताव किया जायगा ?

डा० काटजू: उसे लिख लिया जाता है। हम यह उस को भेज ेंगे और परिणाम यह होगा। जैसे कि मैं ने कहा, सरकार का विचार है कि अधिकतर निजी शिकायत की प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाये। यह कार्यपालिका के अनुदेशों द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरे, सार्वजनिक अभियोक्ता द्वारा कार्यवाही का आश्रय तभी लिया जाता है जब सरकार इस का कोई विशेष कारण देखती है। इस का इस अवस्था पर प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरे, मैं इस बात पर विशेष बल दे कर कहता हूं और यह हंसी नहीं कि यदि कर्मचारी अपराधी पाया जाये तो अपमान-लेख लिखने वाले पर अभियोग नहीं चलाया जायेगा बल्कि सरकारी कर्मचारी की विभागीय जांच तुरन्त आरम्भ

की जायेगी'। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। या तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी जो झूठे अपमान-लेख का प्रचार कर रहा है अथवा यदि अपमान लेख ठीक है तो सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी। मेरी यह पूर्वधारणा है कि प्रकाशक अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करते हुए ही कोई अपमान-लेख प्रकाशित करता है। वह कुछ जांच भी करता है। वह सन्तोष कर लेता है कि सामग्री ठीक है। कृपया उस अन्तर को स्मरण रखें जो किसी विशेष व्यक्ति और किसी विभाग पर के अपमान-लेखों में है। यदि वह सारे विभाग के बारे में हो तो वह निरर्थक है। परन्तु यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अपमान-लेख हो तो वह और बात है। डा० जयसूर्य ब्रिटिश पत्रिका 'टूरुथ' में प्रकाशित मामले के बारे में अवश्य जानते होंगे। उस में कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया गया जिन्होंने कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाये और उन्हें मुकदमा लड़ना पड़ा। इसी प्रकार यदि किसी मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो पहले उस मंत्री अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से जांच की जायेगी; उस से पूछा जाता है कि उसे इस विषय में क्या कहना है। क्या यह ठीक है या गलत? यदि उस का उत्तर अनिश्चित हो या वह टालमटोल करे तो अपमान-लेख लिखने वाले पर अभियोग चलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ऐसी अवस्था में सरकारी कर्मचारी पर अभियोग चलाया जायेगा अथवा उस के बारे में जांच कर के उसे पदच्युत किया जायेगा। परन्तु यदि वह निश्चित रूप से उस का विरोध करता है तो जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फिर यह निजी शिकायत का मामला हो जायेगा और उसे स्वयं शिकायत करनी पड़ेगी। यदि किसी कारण उसे स्वयं न जाना चाहिये तो शिकायत की गई समझी जायेगी और श्री वेंटकरामन द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन के अनुसार प्रथम साक्षी स्वयं सरकारी कर्मचारी होगा न कि सार्वजनिक अभियोक्ता। वह स्वयं शिकायत इस लिये दर्ज नहीं करता कि हम नहीं चाहते कि उसे प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित होना पड़े। शपथ दे कर उस का परीक्षण किया जाता है प्रति-परीक्षण किया जाता है। फिर चाहे उस का पुनः परीक्षण किया जाये। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसे बचाने की सरकार की लेशमात्र इच्छा भी नहीं होती। कई वर्ष के अनुभव से मुझे यह पता चला है। जनता को इन सरकारी कर्मचारियों पर सन्देह रहता है। उन का कहना है कि विभागीय जांच से कोई लाभ नहीं होता बल्कि सारा मामला दबा दिया जाता है। वे चाहते हैं कि जब वह कहे कि आरोप गलत है उस ने घूंस नहीं ली तो सत्र-न्यायालय और दण्डाधिकारी के सामने खुले तौर पर जांच की जाये। फिर तीन चार दिन तक प्रति परीक्षण चलता है और न्यायालय इस परिणाम पर पहुंचता है कि आरोप गलत है तब जनता को सन्तोष होता है। श्री एन० सी० चटर्जी के प्रश्नों का मैं उत्तर दे चुका हूं, यदि वे और प्रश्न पूछना चाहें तो मैं अभी उन का उत्तर दे दूंगा।

श्री एन० सी० चटर्जी: माननीय मंत्री मेरे प्रश्न संख्या ४ को देख कर विश्वास दिलायें कि सरकारी कर्मचारी को कितने समय में अपना आचरण दोष रहित प्रमाणित करना पड़ेगा?

डा० काटजू: यह सीमा निश्चित की जा चुकी है क्योंकि जो कुछ भी किया जाना है छः मास में ही किया जायेगा। छः मास से अधिक समय लगने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। स्मरण रहे कि लोक अभियोक्ता छः मास के अन्दर ही शिकायत कर सकता

[डा० काटजू]

है। पहले सरकारी कर्मचारी से ही पूछताछ की जायेगी। उसे कहा जायेगा कि वह जा कर शिकायत करे नहीं तो जनता की शिकायत पर कार्यवाही की जायेगी। लोग सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी इस विधेयक पर प्रसन्न हैं। मुझे पता चला है कि वे बहुत अप्रसन्न हैं।

एक माननीय सदस्य: वे प्रसन्न हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

डा० काटजू: हम सेवाओं को शुद्ध करने के लिये एक मशीनरी तैयार कर रहे हैं जो अपराधी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी—या तो उन्हें पद-च्युत किया जायेगा अथवा दण्ड दिया जायेगा। उन का अनुचित बचाव नहीं किया जायेगा। और लोगों को यह कहने का अवसर न मिलेगा कि यह सब कूड़ा करकट है।

श्री भागवत झा आज़ाद: इस विधान के बिना उस पदाधिकारी को न्यायालय में जा कर अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करने का आदेश देने में क्या बाधा है?

डा० काटजू: मैं ने यह स्पष्ट कर दिया है। मैं चार बार कह चुका हूं कि साधारण प्रक्रिया यह होगी कि पदाधिकारी जा कर निजी शिकायत दर्ज करे। आप विश्वास करें कि यह हिदायत दी जायेगी। केवल दो प्रतिशत केस ऐसे होंगे जब सरकारी कर्मचारी भारत से बाहर होगा अथवा कोई ऐसी घटना हो जायेगी जिस से लोक अभियोक्ता को शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। यदि लोक अभियोक्ता दर्ज करेगा तो सरकारी कर्मचारी प्रथम साक्षी होगा। उसे कटहरे में जाना पड़ेगा।

श्री आर० डी० मिश्र: क्या आज तक किसी सरकारी अफसर से कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ करप्शन के चार्जिज़ आये हैं तुम उन के खिलाफ कम्पलेंट दायर करो?

डा० काटजू: मैं कहने वाला था कि विधेयक का उद्देश्य यह था कि न्यायालय का किवाड़ खोला जाये। आज वह बन्द पड़ा हुआ है। जब तक एक विशेष ढंग से किवाड़ न खोला जाये तब तक इस का कोई लाभ नहीं। विधेयक का उद्देश्य था कि एक और ढंग से भी न्यायालय का किवाड़ खोला जाये। किवाड़ खोलने पर प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं होगा। इस के बारे में कोई प्रशासकीय विधि है या यूरोपियन प्रक्रियायों में से जहां सरकारी कर्मचारियों को विशेष स्वाधीनता, विशेषाधिकार इत्यादि हैं, इसे नकल किया गया है ऐसी कोई बात नहीं है। प्रक्रिया अक्षरशः वही रहेगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि मंत्री और सरकारी कर्मचारी को उस वर्ग में रखा जा रहा है जिसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। विशेषाधिकार का स्थान क्या है? प्रक्रिया तो वही रहेगी जो सरकारी कर्मचारी की निजी शिकायत पर होती है। केवल इतना ही परिवर्तन किया गया है कि सरकार की हिदायत पर लोक अभियोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। और फिर प्रथम साक्षी वह व्यक्ति होगा जिस के खिलाफ शिकायत की गई है। इस में कौन सा विशेषाधिकार दिया गया है? यह तो नहीं कहा गया कि सरकारी कर्मचारी न्यायालय अथवा विधि का विरोध कर सकता है या उसे साक्षी के रूप में उपस्थित होने से इंकार करने की अनुज्ञा है। यह भी नहीं कहा गया कि उस का साक्ष्य गलत प्रमाणित होने पर उसे दण्ड नहीं दिया जा सकता।

४ म० प०

यह भी नहीं कहा गया कि यह पूर्व-धारणा बना ली जाय कि वह ईमानदार

है। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि न्यायालय यह पूर्व धारणा बना ले कि घूस नहीं ली गई है। सब कुछ कहने की छूट दी गई है। फिर मैं अवश्य कहूंगा कि यह ,कहना बिल्कुल निराधार है कि विशेषाधिकार दिये गये हैं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में उच्चाधिकारी भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। परन्तु इस का उपचार किया जा रहा है। अब आप को प्रत्याभूति मिल गई है कि सरकार प्रत्येक विषय का निबटारा सतर्क हो कर करेगी, आप यह पूर्व धारणा बना सकते हैं कि जब तक सरकार को सन्तोष नहीं हो जाता कि सामग्री उस के सामने न हो और सम्बन्धित कर्मचारी के इंकार करने पर प्रत्यक्ष रूप से केस उस के सामने न हो, वह सार्वजनिक अभियोक्ता को शिकायत दर्ज करने की स्वीकृति अथवा अधिकार नहीं देगी। इस अवस्था में अनुदेश दिया जायेगा कि सरकारी कर्मचारी को शिकायत दर्ज करने के लिये कहा जाये परन्तु यदि बीमारी अथवा स्थानान्तरण अथवा अन्य किसी कारण से वह ऐसा न कर सके और सार्वजनिक अभियोक्ता ने शिकायत दर्ज कर दी है तो क्या परिवर्तन हुआ है? सरकारी कर्मचारी को उस से क्या लाभ हुआ है? इस में कोई भेद नहीं है। साभान्य चर्चा में एक प्रश्न उठाया गया था, यदि सरकार ऐसा करती है तो क्षतिपूर्ति के भुगतान का क्या होगा? श्री वेंकटरामन् ने यह बात स्पष्ट कर दी है क्योंकि आप ने प्रश्न किया था कि सरकारी कर्मचारी स्वयं चाहे शिकायत दर्ज न करे। परन्तु सरकार तब तक शिकायत दर्ज करने का आदेश नहीं देगी जब तक वह सरकारी कर्मचारी की अपमान लेख के झूठा होने की घोषणा के बारे में सन्तुष्ट नहीं होती।

यदि अपमान लेख प्रमाणयुक्त है, यदि वह कहता है कि उसने २०० रुपये लिये थे, इत्यादि, तो कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा। अतः यदि अपमान-लेख गलत सिद्ध हुआ तो उसे नुकसान पूरा करने के लिये कहना अनुचित न होगा। इन तथ्यों के आधार पर मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि वह मेरे प्रस्तावों को संशोधनों के प्रकाश में अनुमोदित करे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि यदि विधेयक स्वीकार कर लिया गया तो श्री नायर के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री टेकचन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति ११ और १२ में
" Act XLV of 1860 "
["(१८६० के अधिनियम ४५)"]
के पश्चात् "(other than the offence of defamation by spoken words)"
"(मौखिक शब्दों द्वारा मान-हानि के अपराध के अतिरिक्त")
ये शब्द रखे जायं।

उपरोक्त संशोधन अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७ में पंक्ति ३५ के स्थान पर
"Government concerned"
("सम्बद्ध सरकार") शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ४४ में, " of warrant cases by Magistrate" ["दंडाधिकारी

[उपाध्यक्ष महोदय]

द्वारा अधिपत्र वाले मुकदमों का"] शब्दों के स्थान पर " by Magistrate of warrant cases instituted otherwise than on a police report and the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of Session otherwise directs be examined as a witness for the prosecution " ["दंडाधिकारियों द्वारा उन अधिपत्र वाले मुकदमों के लिये जो आरक्षी द्वारा सूचना देने पर आरम्भ किये गये मुकदमों के अतिरिक्त हों और वह व्यक्ति, जिस के विरुद्ध अपराध किया गया बताया जाता है, अभियोक्ता पक्ष की ओर से साक्षी के रूप में पेश होगा, जब तक कि सत्र न्यायालय, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित होंगे, अन्यथा निर्देश न दे ।"] ये शब्द रखे जायं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

पृष्ठ ७ में पंक्ति ४४ के पश्चात् निम्न अंश रखा जाये :

"(5A) If in any case instituted under this section, the Court of Session by which the case is heard discharges or acquits all or any of the accused, and is of opinion that the accusation against them or any of them was false and either frivolous or vexatious, the Court of Session may, by its order of discharge or acquittal, direct the person against whom the offence was alleged to have been committed (other than the President, Vice-President or the Governor or Rajpramukh of a State) to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused, when there are more than one.

(5B) The Court of Session shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed and if it is satisfied that the accusation was false and either frivolous or vexatious, it may, for reasons be recorded, direct that compensation to such amount, not exceeding one thousand rupees, as it may determine be paid by such person to the

accused or to each or any of them.

(5C) All compensation awarded under sub-section (5B) may be recovered as if it were a fine.

(5D) No person who has been directed to pay compensation under sub-section (5B) shall, by reason of such order, be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section,

Provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter."

[" (५क) यदि इस धारा के अधीन स्थापित किए गए किसी मामले में वह सत्र न्यायालय जो उस मामले को सुन कर सभी या किसी भी अभियुक्त को छोड़ता अथवा विमुक्त करता है, और यह मत धारण करता है कि उन के या उन में से किसी के विरुद्ध चलाया गया वह अभियोग झूठा और तुच्छ अथवा परिक्लेशकर था, तो सत्र न्यायालय छोड़ने या विमुक्ति के अपने उस आदेश द्वारा उस व्यक्ति को, जिस पर उस अपराध का आरोप लगाया गया था, यह निदेश दे कि वह (राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अथवा किसी राज्य के राजप्रमुख को छोड़ कर) इस बात का कारण बताये कि वह ऐसे अभियुक्त अथवा, यदि वे अनेक हों तो, प्रत्येक या किसी भी ऐसे अभियुक्त को प्रतिकर क्यों न दे।

(५ख) इस प्रकार के निदेश-प्राप्त व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी भी कारण पर सत्र न्यायालय उस का अभिलेख रखेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि उसे इस बात का संतोष प्राप्त हो कि वह अभियोग झूठा और तुच्छ अथवा परिक्लेशकर था तो वह अभिलेख में आने के कारणों से प्रतिकर की राशि, जो एक हज़ार रुपये से अधिक न हो, का निदेश दे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा अभियुक्तों अथवा प्रत्येक या किसी भी अभियुक्त को दिये जाने के लिये निर्धारित हों।

(५ग) उपधारा (५ख) के अधीन दिया गया सभी प्रतिकर अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त किया जाये।

(५घ) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (५ख) के अधीन प्रतिकर देने का निदेश दिया गया है, इस प्रकार के आदेश के कारण इस धारा के अधीन की गई फरयाद से सम्बद्ध किसी व्यवहार सम्बन्धी अथवा अपराध सम्बन्धी दायित्व से मुक्त नहीं किया जायेगा।

परन्तु इस मामले से सम्बद्ध किसी भी अनवर्ती व्यवहार प्रक्रिया

[उपाध्यक्ष महोदय]

के मामले में ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देते समय इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को दी गई किसी भी राशि का हिसाब रखा जाएगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या २२१, २६७, ३१७ और ४७३ अवरुद्ध हैं ।

अन्य सब संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में १७२

विपक्ष में २८

(विभाजन संख्या ४ ४–१० म० प०)

खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया :

खंड ९७ तथा ११४ भी विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड २६ से ३८

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड २६ से ३८ पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

माननीय सदस्य उन संशोधनों की संख्याओं को, जो कि वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, पटल पर दे दें, मैं बाद में उन्हें सदन के सामने रखूंगा । इस बीच में हम इन खंडों पर विचार करेंगे ।

श्री राघवाचारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री टेक चन्द का संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, अनुसूची में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने पड़ेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये तृतीय वाचन के समय किए जायेंगे ।

श्री साधन गुप्त : खंड २६ से ३८ तक पर चर्चा करने से पहले मैं माननीय गृह-मंत्री का ध्यान अपने एक संशोधन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में मैं ने एक नये खंड का सुझाव दिया है । समर्पण सम्बन्धी जांच के लिये दो पृथक प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही हैं । यदि मुकदमा एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर चलाया गया है, तो उस की जांच के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया होगी, यदि पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर तो जांच की प्रक्रिया भिन्न प्रकार की होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं । इन खंडों के सम्बन्ध में भी ऐसे संशोधन हैं जिन के द्वारा नये खंड रखना अपेक्षित है । इन नये खंडों के सम्बन्ध में तर्क देने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य केवल इतना बतलायें कि वे किस आधार पर उन्हें रखना चाहते हैं और वे किन संशोधनों से उत्पन्न होते हैं । यदि वे इन कारणों को लिख कर पटल पर दे दें, तो अध्यक्ष को निर्णय करने में सुविधा होगी ।

श्री साधन गुप्त : मैं भी नये खंड के लिए कारण दे रहा था । जैसा कि मैं ने कहा है, संशोधक विधेयक में दो प्रकार की समर्पण प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं ।

श्री दातार : मैं ने संशोधन संख्या ५४५ से ५५० तक की सूचना दी है । उद्देश्य जिरह की अनुमति देना है । आप खंड २९ में देखेंगे कि अभियुक्त को जिरह का कोई अधिकार नहीं है । यह अधिकार विशिष्ट रूप से दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री पहले बोलें और बतला दें कि विभिन्न संशोधनों के बारे में उन की क्या राय है तो इस से अनावश्यक चर्चा बच जायेगी। उस के बाद चर्चा जारी रह सकती है।

श्री दातार : मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार खंड २९ को किस तरह संशोधित करना चाहती है। खंड २९(५) के अन्तर्गत अभियुक्त गवाह से प्रश्न नहीं पूछ सकता किन्तु मैजिस्ट्रेट पूछ सकता है। उद्देश्य यह था कि समर्पण प्रक्रिया को यथासंभव संक्षिप्त बनाया जाये। किन्तु यह भी स्पष्ट था कि अभियुक्त न्यायालय को कुछ प्रश्नों का सुझाव दे सकता है जो कि न्यायालय पूछेगा। चर्चा के दौरान में दोनों पक्षों के सदस्यों ने अभियुक्त से जिरह का अधिकार ले लिये जाने पर आपत्ति की थी। अब सरकार का विचार यह है कि यह अधिकार दे दिया जाये, इस लिये वह कुछ आनुषंगिक संशोधन कर रही है। ये संशोधन संख्या ५४५ से ५५० तक हैं।

चर्चा इन संशोधनों के आधार पर होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वर्तमान प्रक्रिया पुनः जारी कर दी गई है?

श्री दातार : यह अंशतया पुनः जारी कर दी गई है, पूर्णतया नहीं, क्योंकि उन गवाहों की परीक्षा जिन के वक्तव्य धारा १६४ के अन्तर्गत लिख लिए गए हैं, समर्पण मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं होगी। वह कुछ ऐसे गवाहों की परीक्षा करेगा जो कि प्रत्यक्ष गवाह थे और कुछ ऐसे गवाहों को भी, जिन की परीक्षा उस की राय में होनी चाहिए। इन सब मामलों में हम ने ये शब्द रखे हैं कि उस का वक्तव्य लिखा जाना चाहिए। उन सब गवाहों पर जिन की परीक्षा समर्पण मैजिस्ट्रेट के सामने हुई है, सफाई पक्ष द्वारा जिरह की जायेगी। यह अधिकार पूर्णतया नहीं दिया गया। आप देखेंगे कि मूल समर्पण प्रक्रिया को पूर्णतया पुनः जारी नहीं किया गया, केवल आंशिक रूप में जारी किया गया है। उन गवाहों को जिन के वक्तव्य धारा १६४ के अन्तर्गत लिख लिए गये हैं समर्पण न्यायालय के सामने उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि उन के वक्तव्य मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या समर्पण मैजिस्ट्रेट के लिए प्रत्यक्ष गवाहों की परीक्षा करना अनिवार्य है?

श्री दातार : सामान्यतया इस सम्बन्ध में आप का ध्यान उपखंड (४) की ओर दिलाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या उन के लिए जिरह की अनुमति है?

श्री दातार : संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार, जिरह की अनुमति नहीं थी। इसे वक्तव्य समझा जाता था। उन का वक्तव्य लिखा जाता था और जिरह का कोई अधिकार नहीं था किन्तु न्यायालय को अपनी इच्छानुसार प्रश्न पूछने का अधिकार था।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इन लोगों से।

श्री दातार : जी हां : इन के अतिरिक्त समर्पण न्यायालय को अन्य गवाह बुलाने और उन की परीक्षा करने का भी अधिकार था। यह उपखंड (४) में है।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् प्रत्येक गवाह की, जो कि सत्र न्यायालय के सामने लाया जाता है, समर्पण मैजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जायेगी।

श्री दातार : जहां तक प्रत्यक्ष गवाहों का सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अवश्य उपस्थित करना पड़ेगा चाहे वक्तव्य देने के लिए, चाहे परीक्षा के लिए।

श्री दातार : अब यह नियमित न्यायिक जांच का भाग होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसी ऐसे गवाह को सत्र न्यायालय के सामने लाया जा सकता है, जिस का वक्तव्य या साक्ष्य समर्पण मैजिस्ट्रेट के सामने लिया ही नहीं गया था ?

श्री दातार : जी हां। ऐसा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया सब गवाहों को समर्पण मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ता है। जहां तक वर्तमान संशोधन का सम्बन्ध है, अब अन्तर क्या है ?

श्री दातार : जहां तक खंड २९ का सम्बन्ध है, उन गवाहों को जिन के वक्तव्य धारा १६४ के अन्तर्गत लिखे गए थे, न्यायालय के सामने उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभियुक्त तो उपस्थित हो सकता है।

श्री दातार : उसे उपस्थित होना पड़ता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह कभी नहीं हुआ। धारा १६४ के अन्तर्गत, अभियुक्त कभी उपस्थित नहीं होता।

श्री दातार : हम ने व्यवस्था की है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह विशेषाधिकार यहां दिया गया है ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब एक गवाह समर्पण मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, वह एक वक्तव्य देता है। उस समय अभियुक्त का उपस्थित होना आवश्यक है।

श्री दातार : स्वाभाविकतया, समर्पण मैजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त उपस्थित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : गवाहों के चार वर्ग बनाये जा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट को उन गवाहों की परीक्षा का अधिकार होगा, जिन का घटना से गहरा सम्बन्ध है। यह पहला वर्ग है। दूसरा वह है जिस के मैजिस्ट्रेट केवल वक्तव्य लेता है। तीसरा वह है जिस के वक्तव्य वह धारा १६४ के अन्तर्गत नहीं लेता, बल्कि अभियुक्त के उपस्थित किए जाने से पहले लेता है। चौथा गवाहों का वर्ग वह है जो कि आघातिक मामलों में सीधा सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के सामने लाये जायेंगे।

श्री राघवाचारी : निस्संदेह मैजिस्ट्रेट किसी अन्य गवाह को बुला सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी प्रत्यक्ष गवाह को उपस्थित किया जाये, तो उसे जिरह का अधिकार दिया जा सकता है। इस का अर्थ यह नहीं कि सरकार उन्हें रोक सकती है और फिर उन्हें सीधा पेश कर सकती है या वक्तव्य के लिए सीधा सत्र न्यायालय में ला सकती है।

श्री राघवाचारी : धारा १६४ के अन्तर्गत जांच अधिकारी हर एक की परीक्षा कर सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब प्रत्येक न्यायालय धारा ५४० के अन्तर्गत किसी भी गवाह को बुला सकता है। अब यह अधिकार ले लिया गया है।

श्री दातार : इस अवस्था पर मामले के गुण-दोष में जाना आवश्यक नहीं है। हमें प्रक्रिया निश्चित करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह जानना चाहता था कि परिवर्तन ठीक ठीक क्या है ?

श्री डाभी : मैं यह जानना चाहता हूं कि उपखंड (४) का परन्तुक रहेगा ।

श्री एन० एस० जैन : जी हां ।

श्री डाभी : यदि यह रहेगा, तो फिर यह व्यर्थ है ।

श्री दातार : इस समय हम ने यही स्वीकार किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक बात और है । अब प्रत्यक्ष गवाहों के वक्तव्य धारा १६४ के अन्तर्गत लिये जायेंगे ताकि उन्हें अपने वक्तव्यों पर यथाशीघ्र बांधा जा सके ।

अभियुक्त को दिया गया यह अवसर बिल्कुल निरर्थक हो जायेगा यदि धारा १६४ के अधीन बयान लिया गया हो और धारा १६४ के अधीन प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के सम्बन्ध में बयान लिया जाये । अतः कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकता है ।

श्री दातार : मैं उस पर विचार करूंगा । हम तर्कों को सुनें ।

श्री साधन गुप्त : श्रीमान्, इस विधेयक में दो प्रकार की प्रेषण प्रक्रियाएं, एक धारा २०७-क, के अधीन और दूसरी धारा २०७ के अधीन, उपबन्धित की गयी हैं । किन्तु इस विधेयक के निर्माता इस बात को देखना भूल गये हैं कि धारा ४७८ के अधीन एक तीसरी प्रेषण प्रक्रिया भी संभव है । धारा ४७८ के अधीन, दीवानी अथवा माल अदालत, जब उस के पास कोई अपराध भेजा जाता है अथवा न्यायिक कार्यवाहियों की सुनवाई करते समय किसी अपराध का पता लगता है, तब वह उसे सीधे सेशन अदालत के पास भेज सकते हैं । मान लीजिए कि दीवानी कार्यवाहियों में एक बहुत बड़ी जालसाजी की बात मालूम हो जाये तो दीवानी अथवा माल अदालत बिना दंडाधिकारी को मामला भेजे, स्वतः जांच कर सकती है और सत्र न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय में उस मामले को भेज सकती है । अब धारा ४७८ की उपधारा (२) में यह उपबन्ध किया गया है कि ऐसे मामलों में दीवानी अदालत अध्याय १८ के उपबन्धों का अनुसरण करेगी । सरकार यह देखने में असमर्थ रही कि उस अध्याय में अब केवल एक उपबन्ध नहीं है ।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

अब दो उपबन्ध हैं, एक पुलिस सूचनाओं के लिए तथा दूसरा पुलिस सूचनाओं के अतिरक्त सूचनाओं के लिए । अब जांच करने में दीवानी अदालत किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ? क्या वह पुलिस सूचना वाले मामले के लिए निर्धारित प्रक्रिया है अथवा पुलिस सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया है ? अतः मैं नये खंड ८९-क द्वारा धारा ४७८, उपधारा (२) को संशोधित करना चाहता हूं और यह कहने के बजाय कि दीवानी अदालत अध्याय १८ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, मैं ने यह उल्लेख करने का प्रयत्न किया है कि वह अध्याय १८ की धाराएं २०८ से २२० द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी । बिना इस संशोधन के धारा ४७८ तर्कहीन और अर्थहीन हो जाएगी । अतः मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री उस संशोधन को स्वीकार करेंगे या नहीं ।

श्री दातार : माननीय सदस्य किस संशोधन का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री साधन गुप्त : वह सूची संख्या १८ का संशोधन संख्या ५२१ है । माननीय

[श्री साधन गुप्त]

मंत्री इस पर विचार कर सकते हैं और अब अन्य विषयों को लेता हूं ।

खंड २६ से २८ तक कुछ नये उपबन्ध बनाये गये हैं जो उन मामलों के सम्बन्ध में हैं जो शिकायत के आधार पर चलाए जाते ह । अब यह उपबन्ध किया गया है कि अभियोक्ता जब निवेदन पत्र के आधार पर कार्यवाही करता है तो न केवल उस का वरन् अन्य साक्षियों का, जिन्हें वह न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, परीक्षण किया जायेगा और उन का बयान लिख लिया जायेगा । वास्तविक अभियोक्ता के हित में मैं इन खंडों का, २६ से २८ का, विरोध करता हूं ।

खंड २८ में एक दूसरा उपबन्ध यह है कि अभियोक्ता को साक्षियों की एक सूची देना आवश्यक होगा और जब तक वह सूची न दे दे, समन या वारन्ट जारी नहीं किया जाएगा । यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध हो सकता है, किन्तु कुछ अपवाद अवश्य किये जाने चाहियें और वे न्यायालय के स्वविवेक पर छोड़ दिये जाने चाहिएं क्योंकि ऐसे अनेक पेचीदा मामले हो सकते हैं जहां साक्षियों की पूरी सूची तुरन्त न दी जा सके, और इस लिये मैं ने संशोधन संख्या ४७६ की प्रस्थापना की है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि उचित मामलों में दंडाधीश अभियोक्ता को अपनी सूची में नाम जोड़ने की अनुज्ञा दे सकता है बशर्ते कि वह छूट उस को दी जानी अनिवार्य हो । खंड २८ के लिए यही मेरा प्रस्थापित संशोधन है ।

एक दूसरे संशोधन में मेरी यह प्रस्थापना है कि यदि साक्षियों का बयान लिखा जाना आवश्यक ही हो तो यह अधिक उपयुक्त है कि अभियुक्त को न केवल शिकायत का निवेदन पत्र दिया जाये वरन् संशोधित धारा २०० के अधीन लिखे गये अभियोक्ता तथा साक्षियों के बयान भी दिये जायें । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इन संशोधनों पर भी सावधानी से विचार करें ।

अब मैं उन खंडों का, जो नयी प्रेषण प्रक्रिया तथा वारन्ट प्रक्रिया के विषय में हैं, उल्लेख करूंगा । उन में मुख्य खंड २९ और ३५ हैं । विधेयक के खंड ३४ में धारा २५० में यह परिवर्तन किया गया है कि दंडाधीश को जुर्माने की आधी राशि तक प्रतिकर के रूप में देने की शक्ति बढ़ा दी गयी है । आज जो दंडाधीश केवल एक हजार रुपये तक का अर्थदंड दे सकता है अब दो हजार रुपये का अर्थदंड दे सकेगा इस का यह अर्थ होगा कि एक दंडाधीश जिसे कोई व्यवहारिक अनुभव न हो और साक्ष्य लेने का अनुभव भी न हो अभियोक्ता पर एक हजार रुपये तक के प्रति कर का बोझ लाद सकेगा और उसे कारण दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा । कलकत्ते में, एक हजार रुपये तक के मामले में लघु व्यवहार न्यायालयों का एकाकी अधिकार क्षेत्र होता है । इस से ऊपर के मामलों में उच्चतम न्यायालय के मूल न्यायालय और लघु व्यवहार न्यायालयों का समानाधिकार क्षेत्र होता है । साधारणतया लघु व्यवहार न्यायालयों में पर्याप्त व्यवहारी अनुभव प्राप्त न्यायाधीश होते हैं । उन्हें भी केवल एक हजार रुपये तक का अर्थ-दंड देने की शक्ति होती है और आज एक दंडाधीश को, जो केवल दो या तीन वर्षों से ही न्यायिक शक्ति का उपयोग कर रहा हो और जिसे केवल दंड अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो, बिना उचित सुनवाई के एक हजार रुपये तक का प्रति कर लगाने की अनुमति दी गयी है ।

आन्ध्र राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"आन्ध्र राज्य विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : यद्यपि विधेयक पुरःस्थापित करते ही विधेयक का साधारणतया विरोध नहीं किया जाता है, फिर भी इस विधेयक का विरोध करने के लिये मुझे अवसर दिया जाये । केवल एक सप्ताह पूर्व ही उद्घोषण पर चर्चा हुई थी और शक्ति संसद् को दी गयी थी । अब यह विधेयक संसद् से शक्ति छीन कर कार्यपालिका के हाथों में देना चाहता है । ऐसा नहीं होना चाहिये । विधान बनाने की शक्ति संसद् के अधिकार में ही रहनी चाहिये । शक्ति का छीन लिया जाना सिद्धांत तथा लोकतन्त्र के विरुद्ध है । एक बार हम ने अनुमति दे दी थी । किन्तु यह अब दूसरी बार है और मैं पुरःस्थापन की दशा में ही इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र को इस सम्बन्ध में संविधान के उपबन्ध ज्ञात नहीं मालूम होते हैं । जब राष्ट्रपति शक्तियां अपने अधीन कर लेते हैं तो विधि बनाने वाले प्राधिकार के सम्बन्ध में कुछ करना ही पड़ता है । मेरी इस शीघ्र कार्यवाही का कारण यह है कि आन्ध्र सरकार द्वारा सात अध्यादेश जारी किये गये थे । ये अध्यादेश १० सितम्बर के लगभग समाप्त हो जायेंगे । यदि आन्ध्र सरकार जारी रहती, तो राज्य विधान मंडल से यह कार्य करने के लिए कहा जाता । ये बहुत महत्व-पूर्ण विधेयक है और इसलिए यह यहां प्रस्तुत किया जा रहा है कि संसद् राष्ट्रपति को वह प्राधिकार दे जिससे वे अधिनियम बना सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"आन्ध्र राज्य विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

खंड २६ से ३८

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये ।

	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
खंड २६	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१११
खंड २८	श्री साधन गुप्त	४७६, ४४१
,,	श्री आर० डी० मिश्र	११३, ५४४

	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
खंड २९	पं० ठाकुर दास भार्गव .	३९०, १२०, १२१, १२३, १२४, १२५६, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२
,,	श्री आर० डी० मिश्र . . .	४७७
,,	श्री मूल चन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद-उत्तर)	३१९, ३२०, २६८, २७०, ३२१, ३२३
,,	श्री साधन गुप्त . .	५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८,
,,	श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली पूर्व)	६०, २६९, ६१, ६२, ६३
,,	श्री डाभी	६, ७, ८, २७, ३२४, २८
,,	श्री एन० एस० जैन . . .	२९८, २९९, ३००, ५७३
,,	श्री टेक चन्द . . .	२२७
,,	श्री दातार . . .	५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०
खंड ३०	श्री आर० डी० मिश्र	५५१
,,	पं० ठाकुर दास भार्गव . . .	३९५
खंड ३१	पं० ठाकुर दास भार्गव . . .	३९६
,,	श्री आर० डी० मिश्र . .	५५२
,,	श्री डाभी . .	२९
,,	श्री एम० एल० अग्रवाल .	२२८
नया खंड ३१-क	श्री आर० डी० मिश्र . . .	५५३
खंड ३३	श्री आर० डी० मिश्र . . .	६४
खंड ३४	श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	६५
,,	श्री साधन गुप्त	५१९
खंड ३५	श्री आर० डी० मिश्र . . .	४८५, ५५४
,,	श्री मूल चन्द दुबे	३२६, २७१, ३२८, २७२
,,	श्री एम० एल० अग्रवाल . .	६७
,,	श्री एन० एस० जैन . .	५७४
,,	श्री साधन गुप्त .	५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५
,,	श्री डाभी .	९
खंड ३६	श्री एन० एस० जैन	३०१
नया खंड ३६-क	पं० ठाकुर दास भार्गव	४००
नया खंड ३७-क	श्री मूल चन्द दुबे	३३१

श्री दोतार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ९ में पंक्ति ४ से ११ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

"(4) The Magistrate shall then proceed to take the evidence of such persons, if any, as may be produced by the prosecution as witnesses to the actual commission of the offence alleged; and if the Magistrate is of opinion that it is necessary in the interests of justice to take the evidence of any one or more of the other witnesses for the prosecution, he may take such evidence also :

provided that no such evidence shall be taken under this sub-section of any person whose statement has already been recorded under section 164."

["(४) तत्पश्चात् दंडाधिकारी ऐसे व्यक्तियों का, यदि कोई हों तो, साक्ष्य लेगा, जिन्हें अभियोक्ता पक्ष कथित अपराध के वास्तव में होने के सम्बन्ध में साक्षी के रूप में उपस्थित करे; और यदि दंडाधिकारी की यह राय हो कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि अभियोक्ता पक्ष की ओर से किसी अन्य एक या अनेक साक्षियों का साक्ष्य लिया जाये, तो वह ऐसा साक्ष्य भी ले सकता है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति का जिस का बयान धारा १६४ के अधीन पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, ऐसा साक्ष्य नहीं लिया जायेगा।"]

(२) पृष्ठ ९ में पंक्ति १४ से १७ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

"(5) The accused shall be at liberty to cross-examine the witnesses examined under sub-section (4), and in such case, the prosecutor may re-examine them."

["(५) अभियुक्त को उपधारा (४) के अधीन परीक्षित साक्षियों से जिरह करने की स्वतन्त्रता होगी, और ऐसे मामलों में अभियोक्ता पक्ष भी उन का पुनः परीक्षण कर सकता है।"]

(३) पृष्ठ ९, पंक्ति १८ से १९ में :

"when the statements, if any, have been recorded under sub-section (4)" ["जब बयान, यदि कोई हों, उपधारा (४) के अधीन अभिलिखित किये जा चुके हों"] इन

[श्री दातार]

शब्दों के स्थान पर "when the evidence referred to in sub-section (4) has been taken" ["जब उपधारा (४) में निर्दिष्ट साक्ष्य ले लिया गया हो।"] ये शब्द रखे जायें।

(४) पृष्ठ ५, पंक्ति २३ में: "statements" [बयानों] के स्थान पर "evidence" [साक्ष्य] शब्द रखा जाये।

(५) पृष्ठ ९, पंक्ति २८ में "such statements being recorded" ["ऐसे बयानों के अभिलिखित होने पर"] के स्थान पर "such evidence being taken" ["ऐसे साक्ष्य के लेने पर"] ये शब्द रखे जायं।

(६) पृष्ठ १० और ११ में क्रमशः पंक्तियां ४५ से ४९ और पक्तियां एक तथा दो निकाल दी जायं।

श्री साधन गुप्त: मैं प्रस्ताव करता हूं: पृष्ठ १२ में पंक्ति २३ से ३१ के स्थान पर, निम्न अंश रखा जाये:

"(9) If the accused, after he has entered upon his defence, applies to the Magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination, or the production of any document or other thing, the Magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice. Such ground shall be recorded by him in writing:

Provided that, when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness after the charge is framed, the attendance of such witness shall not be compelled under this section, unless the Magistrate is satisfied that it is necessary for the purpose of justice."

["(९) यदि, अभियुक्त, अपनी सफाई आरम्भ करने के पश्चात्, दंडाधिकारी से आवेदन करता है कि किसी साक्षी की उपस्थिति को बाध्य करने के लिये, जिस से कि उस का परीक्षण या प्रति परीक्षण किया जा सके, या किसी दस्तावेज या अन्य किसी वस्तु को पेश करने के लिये,

आदेशिका निकाली जाय, तो दंडाधिकारी ऐसी आदेशिका निकाल देगा जब तक कि उस का ऐसा विचार न हो कि ऐसा आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत हो जाना चाहिए कि वह विलम्ब करने के प्रयोजन से या न्याय के उद्देश्य में बाधा डालने के लिये किया गया है। ऐसे आधार को वह लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

परन्तु जब कि अभियुक्त दोषारोप के पश्चात् किसी साक्षी का प्रति परीक्षण कर चुका है या उसे प्रति परीक्षण करने का अवसर मिल चुका है तो उस साक्षी को उपस्थित होने के लिये इस धारा के अधीन बाध्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि दंडाधिकारी का समाधान न हो जाये कि न्याय के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है]।"

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।